लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची

अंक 2—मंगलवार, 8 सितम्बर, 1964/17 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
31.	श्री बालकाट का भाग निकलना . .	117–20
32.	गेहूं और चावल की कमी . . .	121–25
33.	खाद्यान्नों का मूल्य	126–32
34.	कलकत्ता और बम्बई के बन्दरगाहों में भीड़ . .	132–38
35.	खाद्यान्नों का राज्य व्यापार	138–40

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
36.	दूसरा जहाज निर्माण कारखाना . . .	140–41
37.	एयर इंडिया के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता .	141–42
38.	मोटे अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना .	142
39	उवरकों का वितरण	142–43
40.	चीनी	143
41.	चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण . . .	143–44
42.	दिल्ली की सहकारी समितियां . . .	144–45
43.	राज्य मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन . .	145–46
44.	सहकार मंत्रियों का सम्मेलन . . .	146–47
45.	चुनाव आयोग	147
46.	उड़ीसा में चुनाव	148
47.	दिल्ली में खाद्यान्न का पकड़ा जाना . . .	148
48.	गेहूं के जोन	149
49.	बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों का रखा जाना . .	149
50.	चीनी का वितरण	149

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 2— Tuesday, September, 8, 1964/Bhadra 17, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Question Nos.*	*Subject*	PAGE
31	Escape of Mr. Walcott	117-20
32	Shortage of Wheat and Rice	121-25
33	Prices of Foodgrains	126-32
34	Congestion in Calcutta and Bombay Ports	132-38
35	State Trading in Foodgrains	138-40

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
36	Second Shipyard	140-41
37	Interim relief to Air India Employees	141-42
38	Movement of Coarse Grain	142
39	Distribution of Fertilizers	142-43
40	Sugar	143
41	Nationalisation of Rice Mills	143-44
42	Cooperative Societies of Delhi	144-45
43	State Chief Ministers' Conference	145-46
44	Conference of Ministers of Co-operation	146-47
45	Election Commission	147
46	Elections in Orissa	148
47	Seizure of Foodgrains in Delhi	148
48	Wheat Zone	149
49	Storing of Foodgrains at ports	149
50	Sugar Distribution	149

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
51.	पर्यटन विकास के लिये निगम	149–50
52.	सरसों तथा सरसों के तेल के मूल्य	150–51
53.	वृद्धावस्था पेन्शन योजना	151
54.	किसानों के लिये नाइट्रोजनी उर्वरक	152
55.	गन्ने के मूल्य	152–53
56.	खाद्यान्नों के उचित मूल्य	153
57.	दिल्ली दुग्ध योजना	154
58.	पर्यटन	154–55
59.	विमानों में अपराध	155
60.	चीनी विपणन बोर्ड	156

अतारांकित

प्रश्न संख्या		
70.	धान कूटने की मशीनें	156–57
71.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	157
72.	नदियों का सर्वेक्षण	157
73.	केरल में भूमि हीन कृषि श्रमिक	157–58
74.	पश्चिम तट सड़क	158
76.	पर्यटक केन्द्रों के लिये विमान सुविधायें	159
77.	गुड़ की कमी	159
78.	दिल्ली में डबल रोटी का मूल्य	160
79.	नये हवाई अड्डे	160
80.	कृषि औद्योगिक श्रम सेवाओं की सहकारी संस्थायें	160–61
81.	कैरवैल विमानों की खरीद	161
82.	सहायक खाद्य पदार्थों का उत्पादन	161–62
83.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	162
84.	दिल्ली दुग्ध योजना	163
85.	अफ्रीकी-एशियाई नौवहन निगम	163
86.	कांडला पतन पर आयात किये गये गेहूं के नौपण्य	163–64
87.	केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में प्रकाशन	164

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGE
51	Corporation for Development of Tourism	149—50
52	Prices of Mustard Seeds and Oil	150—51
53	Old Age Pension Scheme	151
54	Nitrogenous Fertilizers for Farmers	152
55	Prices of Sugarcane	152—53
56	Fair Prices of Foodgrains	153
57	Delhi Milk Scheme	154
58	Tourism	153—55
59	Crimes in Aeroplanes	155
60	Sugar Marketing Board	156

Unstarred Question Nos.		
70	Rice Mill Machines	156—57
71	Community Development Programme	157
72	Survey of Rivers	157
73	Landless Agricultural Labourers in Kerala	157—58
74	West Coast Road	158
76	Air Facilities to Tourist Centres	159
77	Shortage of Gur	159
78	Price of Bread in Delhi	160
79	New Aerodromes	160
80	Agro-Industrial Labour Services Corporatives	160—61
81	Purchase of Caravelle Aircraft	161
82	Production of Subsidiary Foods	161—62
83	Employees State Insurance Scheme	162
84	Delhi Milk Scheme	163
85	Afro-Asian Shipping Corporation	163
86	Imported Wheat Cargoes at Kandla Port	163—64
87	Publication of Central Acts in Hindi	164

प्रश्नोंके लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
88.	ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता	164–65
89.	बेरोज़गारी बीमा योजना	165
90.	टिड्डियों का प्रजनन	165–66
91.	कृषि अनुसंधान	166–67
92.	ग्रामीण क्षत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनायें	167
93.	कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकतायें	168
94.	नेल्लोर का चावल	168
95.	राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड	169
96.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	169
97.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन	170
98.	समाज-कल्याण कार्य के लिये स्वायत्त-शासी निकाय	170
99.	चावल का उत्पादन	170–71
100	एयर इंडिया का बोइंग 707—320 बी	171
101.	मास्को के रास्ते नई दिल्ली-लन्दन विमान सेवा	171–72
102.	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन	172
103.	भूमिहीन किसान	172–73
104.	गाय-भैंसों के साथ निर्दयता	173
105.	हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग	173–74
106.	पश्चिमी राज्यों के साथ मंत्रियों का सम्मेलन	174
107.	खेती का जापानी तरीका	174
108.	गुजरात और राजस्थान में अभाव की स्थिति	175
109.	फ्लाइंग क्लब के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	175
110.	सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली	175–76
111.	उर्वरकों के लिये गोदाम	176
112.	उत्तर प्रदेश में खण्डसारी का पकड़ा जाना	176
113.	कृषि अनुसन्धान	176–77
114.	पंचायती राज संबंधी समिति	177–78
115.	खाद्यान्नों के मूल्य	178

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	Page
88	Indebtedness in Rural Areas	164—65
89	Unemployment Insurance Scheme	165
90	Locusts breeding	165—66
91	Agricultural Research	166—67
92	Social Security Schemes in Rural Areas	167
93	Credit Requirements of Agriculturists	168
94	Nellore Rice	168
95	National Shipping Board	169
96	Hindustan Shipyard	169
97	Reports of Commissioner of S.C. and S.T.	170
98	Autonomous Body for Social Welfare Work	170
99	Rice Production	170—71
100	Air India Boeing 707-320B	171
101	New Delhi-London Air Service *via* Moscow	171—72
102	Grow More Food Campaign	172
103	Landless Cultivators	172—73
104	Cruel treatment of cows and buffalos	173
105	Hindu Religious Endowment Commission	173—74
106	Conference of Food Ministers of Southern States	174
107	Japanese Method of Cultivation	174
108	Scarcity conditions in Gujarat and Rajasthan	175
109	Crash of Flying Club Plane	175
110	Working of Co-operatives	175—76
111	Godown for Fertilizers	176
112	Seizure of Khandsari in U.P.	176
113	Agricultural Research	176—77
114	Committee on Panchayati Raj	177—78
115	Prices of Foodgrains	178

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
116.	खाद्यान्नों का आयात	178
117.	दिल्ली प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम	179
118.	राजधानी में चीनी के व्यापारी	179
119.	फसलों की हानि	179–80
120.	पर्यटक श्रेणी के लिये विमान भाड़ा	180
121.	गोहाटी के निकट नदी पत्तन	180
122.	सिंचाई और जल संभरण योजनायें	181
123.	ग्राम्य शिक्षा आन्दोलन	181–82
124.	सांता क्रूज हवाई अड्डा	182
125.	पर्यटक केन्द्र	182
126.	गुजरात में खाद्य स्थिति	183
127.	मंगलोर पत्तन	183
128.	मैसूर में अभावग्रस्त क्षेत्र	183–84
129.	केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म	183–85
130.	चीनी उद्योग	185
131.	कलकता पत्तन में जहाजों का जमाव	185–86
132.	काल्यों कांड बूटी	186–87
133.	नीन्दकारा पुल	187
134.	भारवाहक जहाज का डूब जाना	187–88
135.	शस्य स्वरूप	188
136.	सामुदायिक विकास खंड	188
137.	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	189
138.	तम्बाकू के लिये उर्वरक	189–90
139.	मवेशी बीमा योजना	190
140.	उपभोक्ता सहकारी समितियों का संघ	190–91
141.	कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की खरीद	191
142.	शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र	191–92
143.	विमान दुर्घटनायें	192
144.	पंजाब में निर्वाचन सम्बन्धी याचिकाय	192–93

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Starred Question Nos.	*Subject*	Page
116	Import of foodgrains	178
117	C. D. Programme in Delhi Region	179
118	Sugar Dealers in the Capital	179
119	Damage to Crops	179—80
120	Air Fares for Tourist Class	180
121	River Port near Gauhati	180
122	Irrigation and Water Supply Schemes	181
123	Rural Education Campaign	181—82
124	Santa Cruz Airport	182
125	Tourist Centres	182
126	Food Situation in Gujarat	183
127	Mangalore Port	183
128	Scarcity Areas of Mysore	183—84
129	Central Mechanised Farm	184—85
130	Sugar Industry	185
131	Congestion at Calcutta Port	185—86
132	'Kalio Kand' Herb	186—87
133	Neendakara Bridge	187
134	Sinking of a Cargo Vessel	187—88
135	Cropping Patterns	188
136	C.D. Blocks	188
137	Delimitation of Constituencies	189
138	Fertiligers for Tobacco	189—90
139	Cattle Insurance Scheme	190
140	Federation of Consumer Co-operatives	190—91
141	Purchase of Agricultural Commodities	191
142	Teachers Constituencies	191—92
143	Air Accidents	192
144	Election Petitions in Punjab	192—93

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
145.	उपचुनाव	193
146.	मोहन बाड़ी के लिये बाइकाऊंट विमान सेवा	193
147.	पशुओं का चारा तैयार करने वाले कारखाने	194
148.	बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग	194–95
149.	कोंकन स्टीमर सेवा	195
150.	कृषि उत्पादन	195–96
151.	दिल्ली दुग्ध योजना	196–97
152.	पशुपालन सम्बन्धी कार्यकारी दल	197–98
153.	उद्योगों के लिए चीनी का सम्भरण	198
154.	पठान-कोट श्रीनगर वायु सेवा	198–99
155.	चीनी का नियति कोटा	199
156.	विधि शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन	199–200
157.	कृषि विकास	200
158.	भूकम्प सम्बन्धी अनुसंधान	200
159.	पटसन की कमी	200
160.	डम-डम कलकत्ता हेलीकोप्टर	201
161.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 13	201
162.	ग्राम-चुनावों में डाक द्वारा मतपत्र भेजना	201–02
163.	सहकारी क्षेत्र का विकास	202

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

मुरुड में दो विदेशियों का एक विमान द्वारा अवैध रूप से उतरना 202, 205–07

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में (प्रश्न) 202–03

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 203–05

सिक्किम में चीनी दस्ते का कथित अनधिकृत प्रवेश

श्री प्र० चं० बरुआ 203

श्री ग्र० म० थामस 204–05

सभा पटल पर रखे गये पत्र 207–10

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Starred Question Nos.	*Subject*	Page
145	Bye-Elections	193
146	Viscount Service to Mohanbari	193
147	Cattle Feed Mills	194
148	Bombay-Agra National Highway	194—95
149	Konkan Steamer Service	195
150	Agricultural Production	195—96
151	Delhi Milk Scheme	196—97
152	Working Group on Animal Husbandry	197—98
153	Sugar Supply for Industries	198
154	Pathankot-Srinagar Air Service	198—99
155	Export Quota of Sugar	199
156	Regional Conference of Legal Education	199—200
157	Development of Agriculture	200
158	Research on Earthquakes	200
159	Shortage of Jute	200
160	Dum Dum-Calcutta Helicopter Service	201
161	National Highway No. 13	201
162	Postal Ballots at General Elections	201—02
163	Development of Cooperative Sector.	202

Re. Motion for Adjournment

Unauthorised landing of two foreigners in a plane at Murud 202, 205—06

Re. Point of Order (Query) 202—03

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 203—05

Reported instrusion of Chinese patrol into Sikkim

Shri R.C. Barooah 203

Shri A.M. Thomas 204—05

Papers Laid on the Table 207—10

विषय		पृष्ठ
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव		210–24
डा० मा० श्री अणे	. . .	211
श्री अ० चं० गुह	. . . . .	211–13
श्री अ० क० गोपालन	. . . .	213–14
श्री म० प्र० मिश्र	. . . .	214–15
श्री राम सेवक यादव	. . . .	215–17
श्री द्वारका दास मंत्री	. . . . .	217–18
श्री याज्ञिक	. . . . .	218–19
श्री प्र० चं० बरुआ	. . . .	219–20
श्री दे० शि० पाटिल	. . . . .	221–22
श्री यशपाल सिंह	. . . . .	222–23
श्री शिवनारायण	. . . . .	223–24
कार्य मंत्रणा समिति		
उन्नतीसवां प्रतिवेदन	. . . . .	224

Subject	Page
Motion Re. Food Situation	210—24
Dr. M.S. Aney	211
Shri A.C. Guha	211—13
Shri A.K. Gopalan	213—14
Shri M.P. Mishra	214—15
Shri Ram Sevak Yadav	215—17
Shri D.D. Mantri	217—18
Shri Yajnik	218—19
Shri P.C. Borooah	219—20
Shri D.S. Patil	221—22
Shri Yash Pal Singh	222—23
Shri Sheo Narain	223—24
Business Advisory Committee	
Twenty-ninth Report	224

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 8 सितम्बर, 1964, 17 भाद्र, 1886 (शक)

Tuesday, September 8, 1964, Bhadra 17, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in the chair.*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री वाल्काट का भाग निकलना

\+

*31. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री 2 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वाल्काट के भाग निकलने के बारे में अग्रेतर जांच-पड़ताल पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पड़ताल का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो कुछ मास पूर्व दिये गये अन्तरिम प्रतिवेदन की उपपत्तियां क्या हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). श्री वाल्काट के भाग निकलने के बारे में आगे जांच करने के लिये नियुक्त अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट 5 सितम्बर को मिल चुकी है। उनकी अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टों पर विचार किया जायेगा और जांच परिणामों तथा इन पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार की जानकारी के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण है कि श्री वाल्काट भारत में तस्कर व्यापार करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय दल का एक अंग था और क्या उन कार्यवाहियों का सम्बन्ध मुरुड़ घटना से भी था ?

श्री कानूनगो : जांच उन परिस्थितियों तक ही सीमित थी जिन में वह व्यक्ति विमान नियंत्रण से निकासी का आदेश मिले बगैर ही भाग गया। अन्य पहलू इस जांच में शामिल नहीं थे। माननीय सदस्य ने जो दूसरी जानकारी पूछी है वह गृह-मंत्रालय दे सकता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार के पास अब यह जानकारी है कि किन परिस्थितियों में उसे निकासी का आदेश मिला ? मैं निष्कर्ष के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि यह कि तथ्य क्या है ?

श्री कानूनगो : पदाधिकारी ने 5 तारीख को अपनी रिपोर्ट पेश की और उसकी विषय-सामग्री तथा सरकार के निष्कर्ष सभा के समक्ष रख दिये जायेंगे।

श्री हरिविष्णु कामत : क्या जांच से यह पता चला है कि श्री वाल्काट के भाग निकलने से पहले वह एयर इंडिया, दिल्ली, के जिला मैनेजर के यहां टिके थे और उनका तथा असैनिक उड्डयन विभाग के कुछ अन्य अफसरों का श्री बाल्काट के भाग निकलने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था और यदि हां, तो क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं। जांच से ऐसी किसी बात का पता नहीं चला है जो माननीय सदस्य ने बताई है।

श्री हेम बरुआ : श्री वाल्काट ने इस देश से रहस्यमय ढंग से भाग निकलने के बाद कराची में भारत के विरुद्ध गन्दे बयान दिये थे और हमारे प्रबन्ध तथा कुछ अफसरों पर आक्षेप भी किया था। क्या इन आरोपों की जांच की जा रही है और यदि जांच कर ली गई है तो क्या नतीजा निकला ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने बताया, जांच उन परिस्थितियों तक ही सीमित थी, जिनमें श्री बाल्काट दिल्ली हवाई अड्डे से भाग निकल सका और क्या कोई अफसर अपना कर्त्तव्य पालन करने में असफल रहा था उसने उसे भाग निकलने में मदद दी। जांच का यही सीमित प्रयोजन था।

श्री हेम बरुआ : औचित्य प्रश्न के हेतु। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से उसे टाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, वह कृपया अपनी जगह बैठ जांय।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह था कि श्री वाल्काट ने भारत से भाग निकलने के बाद भारत के विरुद्ध बहुत गन्दा वक्तव्य दिया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था...

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये वह कहते हैं कि यह प्रश्न विचारणीय विषय के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने यह कहा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनका आशय वही था।

श्री कृ० चं० पन्त : क्या जांच का एक विशिष्ट उद्देश्य यह नहीं है कि वाल्कट के प्रत्यर्पण के लिये एक मामला तैयार किया जाये और भारत में उस पर मुकदमा चलाया जाये ?

श्री कानूनगो : यह प्रत्यर्पणीय अपराध नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय गुप्तचर पदालि के एक वरिष्ठ गुप्तचर पदाधिकारी को श्री वाल्कट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने और इस मामले को आगे चलाने के लिये विदेश भेजा गया था ? क्या वह पदाधिकारी वहां पर कुछ समय तक था और क्या उसने कोई रिपोर्ट पेश की है ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने पहले बताया, यह जानकारी गृह मंत्रालय से प्राप्त होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उसे विदेश नहीं भेजा गया था ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस रिपोर्ट से सम्बन्धित नहीं है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इस जांच समिति के विचारणीय विषयों के अलावा सरकार ने यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि श्री वाल्काट के इस देश में क्या सम्बन्ध हैं और वह इतनी उदंडता से किस प्रकार काम करता रहा ?

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । सरकार ने उसकी छानबीन नहीं की है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जी नहीं। मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार ने इस देश में श्री वाल्काट के संबंधों के बारे में कोई जांच की है ।

श्री कानूनगो : जांच से ऐसी कोई बात नहीं पता लगी है। वह केवल उन्हीं परिस्थितियों तक सीमित थी जिन में वह भाग निकला था ।

श्री हेम बरुआ : तब जांच से क्या पता चला है ?

Shri Bade : May I know whether it is a fact that in the enquiry report it has been mentioned that Mr. Walcott had connections here and in England? I would like to know whether Government propose to take some action against them.

श्री कानूनगो : यह 25 सितम्बर, 1963 को श्री वाल्कट के भाग निकलने के बारे में था और जैसा कि मैंने बताया विचारणीय विषय यह था : जिन परिस्थितियों में श्री वाल्काट 25 सितम्बर, 1963 को सफदरजंग हवाई अड्डे से पाइपर हवाई जहाज लेकर उड़ गया उनकी जांच करना. . . ।

अध्यक्ष महोदय : वह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है (अन्तर्बाधा) श्री शिव नारायण।

Shri Sheo Narayan : What is the number of officers in the enquiry team and what are the categories of those officers ?

श्री कानूनगो केवल एक पदाधिकारी उसकी जांच कर रहा है और वह संचार मंत्रालय का सचिव है ।

श्री जोकीम आल्वा : माननीय मंत्री ने इस बात का खंडन किया है कि श्री बाल्कट एयर इंडिया, नई दिल्ली के जिला प्रबन्धक के अतिथि थे । तब यह किस प्रकार है कि पूछे गये प्रश्नों के परिणामस्वरूप, इस व्यक्ति का नैरोबी में तबादला कर दिया गया ? क्या वह वहां गया है या उसने जाने से इन्कार कर दिया है ? क्या अब भी वह नौकरी में है ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने बताया जांच से इस तरह की किसी बात का पता नहीं चला है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मंत्री के उत्तर से बराबर ही यह दिखाई पड़ता है कि बड़ी दुखद स्थिति है । क्या वह यह सुझाव देना चाहते हैं कि जांच इस तरह की थी कि श्री बाल्काट का पहले का और बाद का आचरण जांच से परे रखा गया ? वह कहते हैं कि हम इसकी जांच नहीं करते, उसकी जांच नहीं करते । श्री बाल्कट सम्बन्धी हर बात को इस जांच से परे रखा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : तब वह एक विभिन्न चर्चा होगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार का ध्यान 'मदर इंडिया' नामक मासिक पत्र में उल्लिखित उन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है जिनमें कहा गया है कि जिस सुरक्षा व्यवस्था के अधीन श्री बाल्काट अभी हाल में इस देश से दो बार भाग कर निकल गया उसमें श्री लालबहादुर शास्त्री या और कोई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपहरण कर भारत से बाहर ले जाने पर कोई आश्चर्य न होगा ? यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या राय है ?

श्री कानूनगो : जैसा कि मैंने बताया, यह जांच केवल श्री बाल्काट के भाग निकलने तक ही सीमित है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या अगला प्रश्न किये जाने से पहले मैं आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूं कि रिपोर्ट की एक प्रति इसी अधिवेशन में सभापटल पर रखने के लिये आप मंत्री महोदय से निवेनन करें ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि रिपोर्ट इसी अधिवेशन में सभा पटल पर रख दी जायगी ।

श्री नाथ पाई : हम इस बात का स्वागत करते हैं कि आपने इसी अधिवेशन में रिपोर्ट की प्रति सभापटल पर रखने के लिये मंत्री महोदय को आदेश दिया । लेकिन हम अखंडित रिपोर्ट चाहते हैं , वैसी रिपोर्ट नहीं जैसी कि नेफा जांच के सम्बन्ध में सदन को दीं गई थी । हम समिति की मौलिक रिपोर्ट चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में निदेश नहीं दे सकता । सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने दीजिये । यदि कुछ भाग निकाल दिये गये, तो हम देखेंगे ।

गेहूं और चावल की कमी

32. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बाल्मीकी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री न० प्र० यादव :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री अचल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री राम हरख यादव :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री धर्मलिंगम :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्यों में गेहूं और चावल की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कमी से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) राज्यों ने कुल कितनी मांग की है और केन्द्र उस मांग को किस प्रकार पूरा करेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). चावल और गेहूं की कमी है किन्तु इस कमी की मात्रा प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। गेहूं की

कमी का मुख्य कारण लगातार दो वर्षों में अच्छी उपज न होना और चावल की कमी का कारण मंडियों में माल का कम आना है ।

(ग) चावल और गेहूं का आयात बढ़ा दिया गया है और अब गेहूं और चावल काफी मात्रा में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बेचा जा रहा है। गुप्त संचय स्टाक को बाजार में लाने और खुले बाजार में भावों की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिये लाइसेंसिंग नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया है ।

(घ) प्रत्येक कमी वाले राज्य की आवश्यकताओं की जांच उस राज्य की राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है और अन्य राज्यों की आवश्यकताओं और केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्नों की समस्त प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न भेजे जाते हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका : 1963–64 में कुल कितना गेहूं और चावल विदेशों से मंगाया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : 1953 में लगभग 45 लाख टन अनाज आयात किया गया था और अनुमान है कि 1964 में वह लगभग 60 लाख टन तक पहुंच जायेगा ।

श्री हिम्मतसिंहका : मोटे तौर पर राज्यों को हर महीने कितना अनाज दिया जा रहा है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : पिछले पांच छः महीनों में हर महीनों लगभग 5 लाख टन अनाज उठाया जा चुका है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में गेहूं का दाम अन्य क्षेत्रों में प्रचलित दाम से दुगना है और यदि हां, तो क्या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिये नियत की गई मात्रा पर सरकार पुनः विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही का सुझाव है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या देश में अनाज के उचित वितरण की सहूलियत के लिये खाद्य क्षेत्र समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो वह प्रस्ताव इस समय किस दशा में है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह भी एक विषय है जो विचाराधीन है । खण्ड पद्धति को व्यापारिक मौसम के बीच में पंडित नहीं किया जा सकता । अगली फसल के मौसम में हम स्थिति का पुनरावलोकन करेंगे और तब कोई निश्चय करेंगे ।

श्री रामसहाय पांडेय : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आयात किया हुआ गेहूं प्राप्त करने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रायः प्रत्येक राज्य सरकार ने एक अभ्यावेदन दिया है ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether Food Ministry has received complaints from State Govts. or representations to the effect that foodgrains are not reaching fair price shops in adequate quantity ?

Shri Kashi Ram Gupta : Are Government aware that people are helpless due to non-availability of foodgrains in rural areas of Rajasthan and the foreign wheat does not reach there according to schedule?

Shri D. R. Chavan : As stated by hon'ble member, we have not got any such information but in case he has got any such complaint, he may send it to me and I shall enquire into it.

श्री बड़े : क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में सरकार गेहूं नहीं दे रही है और 50 प्रतिशत कम कोश कर दिया गया है और इसलिये अनाज की मुख्य दूकानों पर कोई अनाज नहीं है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं पहले ही बता चुका हूं कि देश में उपलब्ध कुल अनाज को ध्यान में रख कर राज्यों की मांगें पूरी की जाती हैं ।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या सरकार जानती है कि गेहूं का मूल्य नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा की गई सभी कार्यवाही निष्फल रही है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में गेहूं 30 रुपये से 40 रुपये फी मन के बीच बिक रहा है और यदि हां, तो मूल्य नियंत्रित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद होने वाला है और यह प्रश्न उस समय पूछा जा सकता है, यहां नहीं ।

श्री दा० रा० चह्वाण : कुल उपलब्ध अनाज के अनुसार ही हम राज्यों की मांगें पूरी कर रहे हैं ।

श्री बासप्पा : भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या राज्य सरकारें जमाखोरी आदि के विरुद्ध नियंत्रण-आदेश लागू करने के मामले में केन्द्रीय सरकार का साथ दे रही है और क्या सरकार जमाखोरी को पूरी तरह समाप्त करने के लिये एक केन्द्रीय दल बनाने के विषय पर विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आखिर में कार्रवाई विभिन्न राज्य सरकारों को करनी होगी। मैं समझता हूं कि मुझे राज्य सरकारों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी है कि वे सहयोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन वे प्रभावशाली ढंग से और कुशलता से काम कर रही हैं या नहीं यह अपनी-अपनी राय का मामला है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : देश में खाद्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या सरकार ने उन्हें समाप्त करने के लिये अनाज का एक केन्द्रीय संग्रह कायम करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केन्द्रीय सरकार आयात करती है । वह अनाज जमा करती है और विभिन्न राज्यों में बांटती है । इस अर्थ में, गेहूं और चावल का भी एक केन्द्रीय संग्रह है ।

Shri Naval Prabhakar : In reply to the original question, the hon. Minister had stated that licensing order had been made more stringent. I would like to know whether there has been any reaction of it in Delhi and how many dealers have contravened the licensing order.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि मैं तुरन्त संख्या नहीं बता सकता ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : अतिरिक्त अनाज वाले राज्यों का अनुचित रुख और कमी वाले राज्यों की कठिनाइयों को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त अनाज वाले इन राज्यों को क्षेत्रीय निर्बन्धन हटाने के लिये कोई निदेश जारी करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे आक्षेप और आरोप नहीं होने चाहियें। वह यह क्यों मान लेते हैं कि उनका रुख अनुचित है।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : विभिन्न राज्यों में गेहूं और चावल के उपयोग की अलग-अलग आदतों को देखते हुए क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बांटने के लिये गेहूं और चावल की मात्रा के बारे में उन्हें कड़े आदेश जारी किये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में गेहूं साधारणतया गेहूं का उपभोग करने वाले क्षेत्रों को ही बांटा जाता है। लेकिन हम गैर गेहूं क्षेत्रों में भी गेहूं को लोकप्रिय बना रहे हैं। इसलिये उस हद तक हम गैर-गेहूं क्षेत्रों को भी गेहूं देते हैं और गेहूं को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : अनाज की कमी दूर करने के लिये क्या क्या दीर्घकालीन कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि मैं वाद-विवाद के उत्तर में इस विषय का विवेचन करूंगा।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether Government have made any survey about the requirements of wheat and rice in a year, and the names of those countries with which negotiations have been carried on to remove the scarcity ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गेहूं मुख्यतः अमरीका से पी० एल० 480 के अधीन मंगाया जाता है। उसके अलावा हम आस्ट्रेलिया तथा कुछ दूसरे देशों से व्यापार के तौर पर आयात करते हैं। हम अमरीका से पी० एल० 480 के अधीन चावल लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी खरीद कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : Has any survey been made about the annual requirements of wheat and rice?

Mr. Speaker : He will reply to all these questions during the course of the debate.

श्री प्र० कु० घोष : क्या गेहूं की कमी इस कारण है कि इसकी पैदावार कम है अथवा सरकार की इस गलत नीति के कारण कि गेहूं सीधे ही उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा उपभोक्ता को देने की बजाय बड़ी चक्कियों को दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सरकार से यह जानकारी लेना चाहते हैं कि उसकी नीतियां गलत हैं ? शायद उनका अपना विचार ऐसा हो, परन्तु वह क्या जानकारी लेना चाहते हैं ? क्या सरकार यह कहेगी कि उसकी जानकारी यह है कि उसकी नीतियां गलत हैं ?

श्री हिम्मतसिंहजी : अभी अभी मंत्री महोदय गेहूं की खपत के बारे में बोल रहे थे। गेहूं को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गेहूं से मैदा, सूजी, आटा आदि तैयार करके इनका वितरण किया जाता है इससे लोग इसके और अधिक आदी होते जा रहे ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई हिदायतें भेजी हैं अथवा राज्य सरकारों ने अपनी ओर से जिला दण्डाधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं कि वे राशन की दुकानों से उन व्यक्तियों को अनाज का संभरण न होने दें जिनके पास एक एकड़ अथवा दो तीन एकड़ से अधिक भूमि हो ; यदि हां, तो उन लोगों को अन्न सामग्री किस प्रकार मिलेगी इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्यान्न की कुल उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रख कर हम विभिन्न राज्यों को इसका निश्चित भाग देते हैं। उसके पश्चात् राज्य सरकारें यह निर्णय करती हैं कि वे इसका वितरण किस प्रकार करेंगी और किसको करेंगी। निस्सन्देह हम राज्य सरकारों से बात-चीत करते हैं, परन्तु अन्तिम जिम्मेवारी राज्य सरकार की ही होती है ।

Shri M. L. Dwivedy : On a point of order, Sir, you turn your eyes away from the members whose names appear against the question and call the names of other members, whose names are not clubbed with the question. If you object to our asking a supplementary question we will refrain from putting the questions in future, since our names are not called even when we stand ?

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat. When so many names appear on a certain question that every one of them cannot be called, that question is treated to be before the whole House. Still I try to call the Members in whose names that question stands. But when it is not possible to call all those Members, it is also not desirable to exclude other Members. In that context, the hon. Member is correct in saying that I look not only the Members putting the question but to the whole House.

Shri M. L. Dwivedy : If this is the position, the clubbing of names may be discontinued.

Mr. Speaker : This point can also be considered.
The hon. Member may resume his seat.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री रामेश्वर टांटिया ।

श्री रामेश्वर टांटिया : प्रश्न संख्या 33 ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, प्रश्न संख्या 56 का विषय मिलता जुलता है और इसे भी इसके साथ ही ले लेना चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मेरे विचार में वह इससे थोड़ा भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर केवल प्रश्न संख्या 33 का ही उत्तर दिया जाना चाहिये ।

खाद्यान्नों का मूल्य

+

*33. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री हेमराज :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बाल्मीकी :
श्री दाजी :
श्री बासप्पा :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री ग्र० सिं० सहगल :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :

श्री दलजीत सिंह :
श्री म० ला० जाधव :
श्री कजरोलकर :
श्री महानन्द :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री बासुदेवन नायर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री ह० चं० सोय :
श्री ब० कु० दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में देश भर में खाद्यानों, विशेषतः गेहूं और चावल के मूल्य बढ़े हैं और अब भी बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) गत 6 महीनों में खाद्यान्नों के भावों में बढ़ोत्तरी हुई है किन्तु फसल के तुरन्त बाद गेहूं के भावों में कुछ गिरावट आयी थी। अगस्त के अन्तिम तीन सप्ताहों में अनाज के थोक भावों के अखिल भारतीय सूचकांक में बढ़ोत्तरी अपेक्षा-कृत थोड़ी थी।

(ख) गेहूं के भावों में वृद्धि का कारण मुख्यतः लगातार दो वर्षों में कम उपज होना जब कि चावल के भावों में वृद्धि मंडियों में कम आमद के कारण हुई है।

(ग) भाव बढ़ने से रोकने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) अधिक आयात और उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा खाद्यान्नों का वितरण।

(2) अधिकतम थोक और खुदरा भावों का निर्धारण ;

(3) राज्य में गुप्त संचय विरोधी उपाय जारी करना ;

(4) खाद्यान्नों पर दी जाने वाली बैंक पेशगियों के प्रतिबन्धों को कड़ा करना; और

(5) व्यापारियों पर लाइसेंसिंग नियंत्रण का अधिक कड़ाई से प्रवर्तन करना।

श्री रामेश्वर टांटिया: क्या यह सच है कि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए काश्तकारों के लिये गेहूं और चावल के मूल्य कम दर पर निर्धारित किये गये थे ; यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस वर्ष काश्तकारों ने गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अपने पास चावल और गेहूं अधिक मात्रा में रख छोड़ा है और सरकार इस के बारे में क्या कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मूल्य निर्धारण केवल खाद्यान्नों का समाहार करने के लिये है। दक्षिणी खण्ड से चावल प्राप्त करना बन्द कर दिया गया है क्योंकि इससे व्यापारियों

के पास जो चावल रह गया था उस में असन्तुलन पैदा हो रहा था । उत्पादक के लिये उचित मूल्य निर्धारण की समस्त प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है और, जैसा कि पहले ही मेरे द्वारा परिचालित की गई टिप्पणी में बताया जा चुका है किसान के लिये लाभप्रद मूल्य निर्धारण करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । बाद में कृषिमूल्य आयोग मूल्यों की रूप रेखा के बारे में व्यापक रूप से विचार करेगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार इस से अवगत है कि कुछ राज्यों में भारतीय गेहूं का मूल्य आस्ट्रेलिया के गेहूं की अपेक्षा दुगुना है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इतने बड़े अन्तर के कारणों की जांच की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 1956 से हम आयातित गेहूं 37.50 रु० प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं। गत 18 महीनों में स्वदेशी गेहूं का मूल्य बढ़ गया है और वह कुछ स्थानों पर आयातित गेहूं की अपेक्षा केवल दुगना ही नहीं, अपितु तिगना है । आयातित गेहूं की मांग बढ़ने का एक कारण यह भी है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि गत ऋतु में पैदा किया गया सारा अन्न मण्डी में आ जाता तो आज खाद्य की कमी न होती और मूल्य न चढ़ते । इस संबंध में, क्या माननीय मंत्री इस से संतुष्ठ हैं कि नीचे उनको जो उत्पादन के आंकड़े दिये जाते हैं वे सही हैं और यह कि निचले स्तरों से कोई झठी सूचना नहीं दी जाती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पैदावार के आंकड़ों के संबंध में मैं नहीं कह सकता कि वे शत प्रति शत सही होते हैं परन्तु उनसे हमें इतना पता अवश्य लगता है कि उत्पादन बढ़ रहा है अथवा नहीं ; यदि कुछ त्रुटियां हैं तो वे तो प्रतिवर्ष रहेंगी । हो सकता है आंकड़े हजार टन तक शुद्ध न हों, परन्तु यह निश्चित है कि उन से उत्पादन की प्रवृति का पता चलता है ।

Shri M. L. Dwivedy : Has the attention of the hon. Minister been drawn to the news item appearing in to day's newspapers that Delhi shop keepers have refused to abide by the agreement entered by them regarding the prices of foodgrains and that they will not display the price lists on their shops? If prices cannot be brought under control in Delhi, what steps Govt. propose to take to control the prices throughout the country so that prices may not shoot up further?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: मैंने आज यह समाचार पढ़ा है । मैं वास्तविक स्थिति का पता लगाऊंगा और तत्पश्चात् उस पर कुछ कार्यवाही करूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि गहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य थोक मूल्यों से बहुत अधिक हैं और, यदि हां, तो खुदरा और थोक मूल्यों के बीच जो अन्तर है उसको कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सर्वप्रथम हम उत्पादक का मूल्य और फिर उचित लाभ जोड़कर थोक मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं। कुछ और उचित लाभ रख कर हमें खुदरा मूल्य भी निर्धारित करने हैं। फिर मूल्यों को लागू करने का प्रश्न है जिस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि उत्पादक और उपभोक्ता के मूल्यों में अधिक अन्तर न पड़ने पाये ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि हमारी पूंजी-प्रधान विकास संबंधी प्राथमिकताएं और भमि संबंधी नीतियों का संकुचित और टूटी फूटी होना, ये दोनों बातें इस मामले में वास्तविक रूप से दोषी हैं और यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान अनुभव की पृष्ठ भूमि में सम्पूर्ण स्थिति पर पुनः विचार करना चाहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अपनी अपनी राय है। इस के बारे में मतभेद हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का पहला भाग तो केवल एक राय और एक सुझाव है । दूसरा भाग, कि क्या सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना चाहती है, ही प्रश्न है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आता है; इसलिये यदि इस संबंध में कोई मतभेद है . . .

अध्यक्ष महोदय : सरकार का कोई अभिप्राय नहीं है । सरकार इस मत से सहमत नहीं है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं उस मत से सहमत नहीं हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप उनका बचाव कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर मुझे क्या करना चाहिये ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह आवश्यक है ? वह स्वयं ही अपना बचाव कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल समय बचाने के लिये ही ऐसा किया है; इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था ।

डा० रानेन सेन : फसल कटने के तुरन्त बाद ही चावल का मूल्य बढ़ना प्रारम्भ हो गया। अब माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इसका कारण यह था कि उपयुक्त समय पर चावल का क्रय-विक्रय मंड़ियों में नहीं किया जा रहा था । जब पूर्वी भारत के कुछ भागों में मूल्य बहुत अधिक ऊंचे जाने लगे तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कृपलानी : वे सो रहे थे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पूर्वी भारत में बंगाल राज्य मुख्य है । वहां पर, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं और मैं माननीय सदस्य को यह और बता दूं कि कठिनाइयों के होते हुए भी वहां पर मूल्य नीति सफलतापूर्वक चलाई जा रही है ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just stated that the rise in the prices of rice is due to the fact that rice was not marketed at the proper time. After all, where has the rice gone? Have Government as certained the reasons for its not being marketed, and if it is being hoarded then what steps have Government taken to bring its hoarded stock in the market?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमको यह बात मालूम है कि विशेषत: पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष देश में कितना उत्पादन हुआ है । जहां तक चावल का सम्बन्ध है, लगभग सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 1962–63 की तुलना में 1963–64 में चावल के उत्पादन में 40 लाख टन

की वृद्धि हुई है । अब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मंडियों में बहुत कम चावल आया है और इस प्रकार समस्त फालतू चावल जो कि बेचा जा सकता था बाजार में नहीं आया है । हमारी जांच से यह पता चला है कि बड़े बड़े उत्पादकों ने व्यापारियों के साथ तालमेल कर के उसे रोक रखा है ।

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या यह सच है कि सरकार उड़ीसा में धान को 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है और उसे 34 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वह जानकारी दे रहे हैं ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार ने मूल्यों की समानता तथा मूल्य स्थैर्यीकरण के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ? भविष्य में मूल्यों को स्थिर रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जो कार्यवाही की जा चुकी है वह मैं बता चुका हूं । भविष्य के बारे में भी मैंने बताया है कि हम उत्पादक, थोक बिक्रेता तथा फुटकर बिक्रेता के मूल्यों को निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : क्या सरकार का विचार होटलों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने का है क्योंकि होटल मालिक हाल ही में अपने खाद्य पदार्थों के मूल्य बेरोकटोक बढ़ाते रहे हैं ?

श्री प्र० के० देव : विशेष रूप से कॉफी के ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ व्यापारी उत्पादकों के नाम से अपना कार्य कर रहे हैं और विपणन समितियों तथा राज्य भंडागार निगमों जैसी सरकारी संस्थाओं की सहायता ले रहे हैं और खाद्यान्नों को छिपा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य उस स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि इस समय उनके राज्य में चल रही है । मुझे आंध्र में चल रही इस अवस्था का पता है और हमें उसको ध्यान में रखते हुए ही कार्यवाही करनी है ।

Shri Yashpal Singh: Whether it is a fact that the slogan of State trading has induced the profiteers to board stocks in larger quantities, even though State trading has not been introduced, its scare has resulted in increase in prices of foodgrains? What action do Government contemplate in this matter? Are Government prepared to introduce full-fledged State trading or to take strong action against the profiteers ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरकार का विचार व्यापक रूप में राज्य व्यापार प्रारम्भ करने का है जिस से कि गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापारी उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ न कर सकें ।

डा० सरोजिनी महिषी : अपैक्स बैंकों और जिलों के ऋण संबंधी सरकारी बैंकों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसे व्यापारियों को ऋण न दिये जायें जिनके द्वारा ऋण के रुपये को माल छिपा कर रखने में उपयोग किये जाने की सम्भावना है । परन्तु क्या यह सच नहीं है कि भाण्डागारों की रसीदों के दिखाने पर तथाकथित कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के भण्डार में रखने के लिये ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं । जहां तक भाण्डागार निगमों का सम्बन्ध है, उनके मामले में भी खाद्यान्नों पर ऋण देने के सम्बन्ध में हम प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ।

श्री बासप्पा : क्या प्रस्तावित कृषि-जन्य पदार्थ मूल्य आयोग में कृषकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के बारे में सरकार ने विचार किया है ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : आयोग के गठ सम्बन्धी बात विचाराधीन है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विशेष रुप से पश्चिमी बंगाल में चावल खुले बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है और यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने कहा है, 'नहीं' ।

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : हम उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा चावल दे रहे हैं . . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ऐसा केवल कलकत्ता में एक सीमित क्षेत्र में किया जा रहा है ।

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : . . विशेष रूप से कलकत्ता शहर में नियंत्रित मूल्यों पर प्रति परिवार के हिसाब से। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खुले बाजार में वह बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा रहा था । हाल ही के कुछ सप्ताहों में, खुले बाजार के मूल्य भी बहुत गिर गये हैं और कुछ जिलों में वह लगभग नियंत्रित मूल्य के बराबर हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कहां ? **(अंतर्बाधा)** ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है । मुझे खेद है कि सदन में इस सम्बन्ध में लोग निराश हैं और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ 40 से 50 तक नाम जुड़े हुए हैं । परन्तु हम खाद्य स्थिति पर भी सदन में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि 15 घंटों तक चलेगी ।

श्री नम्बियार : उस चर्चा में प्रत्येक को बोलने का अवसर नहीं दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रश्न काल के दौरान भी प्रत्येक को अवसर नहीं मिल सकता । यह हमारी कठिनाई है ।

श्री दी० चं० शर्मा : कुछों को तो अवसर मिल ही रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, ठीक है । श्री डी० सी० शर्मा ।

श्री दी० चं० शर्मा : उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्यों, व्यापारियों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों और उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों में बहुत असमानता है । पहले और दूसरे के बीच तथा दूसरे और तीसरे के बीच, तथा विशेष रूपसे, उपभोक्ता ओं के मामले में, इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : उत्पादकों के मूल्य और थोकविक्रेताओं के मूल्य के बीच तथा थोक विक्रेताओं के मूल्य और फुटकर विक्रेताओं के मूल्य के बीच हमने उपयुक्त अन्तर रखा है । उस आधार पर, 6 अथवा 7, राज्यों में मूल्यों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें जारी कर दी गई हैं । परन्तु हम उत्पादक के स्तर पर, थोक विक्रेता के स्तर पर और फुटकर विक्रेताओं के स्तर पर सम्पूर्ण भारत के लिये और अधिक बड़े पैमाने पर मूल्य निर्धारित करने जा रहे हैं और उनके बीच केवल थोड़ा सा उपयुक्त अन्तर रखा जायेगा।

Shri C. L. Chaudhry : In which States have Government fixed the prices of foodgrains?

कलकत्ता और बम्बई के बन्दरगाहों में भीड़

\+

डा० रानेन सेन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प० चं० बर्मन :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
*३४. श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री अ० व० राघवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री प्र० के० देव :

श्री मोहन स्वरूप :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई के बन्दरगाहों में अभी हाल में कई दिनों तक कितने ही जहाज इकट्ठे हो गये थे जिसका प्रभाव जहाजों से अनाज उतारने के काम पर पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं ; और

(घ) इन बन्दरगाहों में विलम्ब शुल्क के तौर पर कितनी विदेशी मुद्रा का नुक्सान हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) . एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० ३००१/६४]

डा० रानेन सेन : विवरण से पता चलता है कि अन्य कारणों के साथ साथ यह भी एक कारण था कि अनाज को बोरों में भरने के लिये लगाये हुए श्रमिकों ने कम काम किया था । क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के श्रमिक संघों के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर गया है कि श्रमिकों ने काम कम नहीं किया था परन्तु इसके विपरीत गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा मजदूरों के सम्बन्ध में की गई गोलमाल के कारण कलकत्ता पत्तन में यह संकट पैदा हो गया था ?

श्री राज बहादुर : प्रति श्रमिक के कार्य में कुछ कमी हुई थी और मैं समझता हूं कि इस तथ्य को छोड़ा नहीं जा सकता । बम्बई में अप्रैल के महीने में प्रतिदिन औसतन 2,334 टन माल उतारा गया था । परन्तु मई के महीने में यह औसत घट कर 655 टन हो गई । मैंने उन दिनों में से केवल एक ही दिन के आंकड़े बताये हैं। सभी दिनों के आंकड़े बताना मैं आवश्यक नहीं समझता ।

डा० रानेन सेन : मैं कलकत्ता के बारे में पूछ रहा था ।

श्री राज बहादुर : कलकत्ता के बारे में इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि बम्बई गोदी के श्रमिकों की अपेक्षा कलकत्ता गोदी के श्रमिकों की हालत अधिक खराब है ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि केवल यही अन्तर है कि कलकत्ता पत्तन में हम अभी तक प्रोत्साहन योजना लागू नहीं कर सके हैं। यह इसलिये नहीं है कि हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम इसके लिये प्रयत्न करते रहे हैं परन्तु हमें श्रमिक संघों और उनके प्रतिनिधियों को इसके लिये सहमत करना है । हमें आशा है कि इस समय जो बातचीत चल रही है उसके परिणामस्वरूप वहां बहुत शीघ्र ही प्रोत्साहन योजना लागू कर दी जायेगी । इसके अतिरिक्त हमने संबंधित लोगों से यह कहा है कि , इस योजना के लागू न होने तक भी, वे किसी निश्चित स्तर से अधिक किये गये कार्य पर कुछ बोनस की व्यवस्था करें।

Shri Vishram Prasad : It is mentioned in the statement that Rs. 30 lakhs and Rs.10 lakhs had to be paid as demurrage charges in Bombay &Culcutta respectively. Keeping this in view, do Government propose to introduce mechanical system of unloading at ports?

Shri Raj Bahadur : It is beyond doubt that mechanical system of unloading needs to be introduced at ports. But in this connection we have also to see that labour is not put to much inconvenience and that there is no increase in unemployment. Both the positions will have to be reconcited.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कलकत्ता पत्तन के संबंध में विवरण के पैरा 4 में यह कहा गया है कि :

> "जून और जुलाई के महीनों में दिनांक 7 से लेकर 14 तक ज्वार-भिति के अवरोधों के परिणामस्वरूप रेतीली स्थलों पर जहाज रुके रहे।"

और इसके कारण भी जहाज रुक गये थे। इस संबंध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गत कुछ वर्षों में कलकत्ता की नदियों में ज्वार-भितियां अधिक प्रचण्ड हो गई हैं तथा अक्सर आती रहती हैं और यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

श्री राज बहादुर : नदी के किसी बन्दरगाह पर ज्वार भित्तियों का आना एक अनिवार्य बात है। ज्वार भितियों की इस कठिनाई से नदी के बन्दरगाह को पूरी तरह से बचाये रखना असम्भव है। फिर भी, इसका एक मात्र उपाय यह है कि पर्याप्त जलीय स्थल की व्यवस्था की जाये और वह केवल तभी उपलब्ध हो सकेगा जब कि फरक्का बांध बन जायेगा। इसके बावजूद भी हम पूरे पूरे कार्य को कराते रहने के लिये प्रयत्न करते रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Have Government received some letters or memoranda to the effect that the contract for unloading foodgrains at Bombay port was given in a wrong manner and that the negligence on the part of contractors appointed for the purpose has resulted in a loss to the Government of lakhs of rupees; if so, what information had been gathered and steps taken by the Govt. in this regard?

Shri Raj Bahadur : The contractors were engaged by the Ministry of Food and because there were some complaints against them, the contract system has since been discontinued and the work is now being done departmentally.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that in the beginning, mechanization was proposed to be introduced but the cranes could not reach there in time resulting in protests from the labour and consequent congestion? Are Government in a position to state precisely the space required for unloading of foodgrains and the space available at present?

Shri Raj Bahadur : There has never been any difficulty regarding cranes. Our problem was that during the months of June and July it is difficult to carry on work at Bombay, Calcutta and other ports due to heavy rains and whereas previously they had to handle approximately three to four lakhs tons of foodgrains at the said ports, at that occasion they had to handle approximately 5¼ to 5½ lakh tons of wheat and 50 thousand tons of rice and in July eight lakh tons of wheat and fifty thousand tons of rice reached at the port. But I may inform you that from the output of Bombay, Calcutta and other ports it is clear that the maximum quantity of foodgrains was unloaded. In April 122 thousand tons of foodgrains were unloaded at Bombay.

Shri M. L. Dwivedy : These figures are given in the statement.

Shri Raj Bahadur : I would like to give you the output of all the ports. In April 360 thousand tons, in June 534 thousand tons, in July 577 thousand tons and in August 594 thousand tons, *i.e.*, about 6 lakhs tons of foodgrains were unloaded, which is a record figure.

श्री के० दे० मालवीय : नौभरक[1] प्रथा को समाप्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री राज बहादुर : नौभरक अनेक कार्य करते हैं। वे जहाजों में सामान लदवाने तथा उतरवाने के लिये मजदूरों की व्यवस्था करते हैं। वे वित्त-प्रबन्धकों के रूप में कार्य करते हैं अर्थात् वे माल भेजने वालों और पोत कम्पनियों की ओर से श्रमिकों को मजूरी देते हैं। वे माल को छुड़ाने का तथा कई अन्य काम भी करते हैं। इस प्रथा को केवल आदेश निकाल कर समाप्त कर देना सरल नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिये सभी भारतीय तथा विदेशी जहाजरानी कम्पनियों को अन्य वैकल्पिक सेवा का उपयोग करने के लिये राजी करना पड़ेगा। यह एक बहुत प्राचीन प्रथा है जो कुछ साम्यवादी देशों को छोड़ सभी देशों में प्रचलित है।

श्री के० दे० मालवीय : क्या लंका ने नौभरक प्रथा समाप्त नहीं की ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मुहम्मद इलियास : सरकार ने ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त क्यों किया है जिससे अब सामयिक श्रमिक न रख कर विभागीय श्रमिक रखे जाते हैं ? कलकत्ता पत्तन में गोलमाल होने का यही मुख्य कारण है। वहां पर सारे श्रमिक ठेकेदारों तथा नौभरकों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं .....

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क दे रहे हैं।

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि मामले पर व्यावहारिक तथा वास्तविक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जहाजरानी कम्पनियां अब नौभरकों की मारफत श्रमिकों की नियुक्ति करती हैं। नौभरक श्रमिकों की व्यवस्था करने के साथ-साथ जहाजरानी कम्पनियों की ओर से और भी अनेक कार्य करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में हम जहाजरानी कम्पनियों से नौभरक प्रथा को एक दम समाप्त करने के लिए नहीं कह सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक गोदी श्रमिक बोर्ड भी है जिसमें श्रमिक संघों, नौभरकों और जहाजरानी कम्पनियों के प्रतिनिधि हैं। पत्तन ट्रस्ट का अध्यक्ष गोदी श्रमिक बोर्ड का भी अध्यक्ष है। सारी व्यवस्था एक खास ढंग पर चल रही है। अतः नौभरकों द्वारा श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाता है, और इसकी कोई गुंजायश नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि पत्तनों पर माल जमा हो जाने का कारण यह है कि सरकार यह निर्णय शीघ्र करने में हिचकिचा रही है कि माल का लदान मशीनों द्वारा हो या श्रमिकों द्वारा किया जाये।

श्री राज बहादुर : जहाजों पर खाद्यान्न अथवा अन्य सामान लदवाने तथा उतरवाने के लिये यंत्रों का प्रयोग करने में सरकार द्वारा हिचकिचाहट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें कोई

[1]Stevedores.

भी कदम उठाने से पहले हमें यह देखना है कि जो श्रमिक इस समय व्यवस्थित रूप से पत्तनों में काम कर रहे हैं और जो यंत्रों के प्रयोग को अपनाने से बेकार हो जायेंगे, क्या हम नई व्यवस्था अपनाने के पश्चात् उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं और क्या हम उन्हें किसी दूसरे रोजगार में लगा सकते हैं या नहीं ।

श्री तिरुमल राव : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया है कि जहाज कांडला और मद्रास की ओर भेजे जा रहे हैं। क्या सरकार ने उन्हें तूतीकोरिन, विशाखा-पटनम और काकिनाडा जैसे छोटे और मध्यवर्ती पत्तनों की ओर भेजने की वांछनीयता पर भी विचार किया है, और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने पृष्ठ देश, जिसमें अनाज का वितरण किया जाना है, रेल तथा अन्य परिवहन की सुविधायें आदि जैसी अन्य कई बातों को ध्यान में रखा है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए वितरण का तरीका निकाला जाना चाहिये ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि विदेशों से आयात किये गये खाद्यान्नों को ले जाने वाले जहाजों में से हल्दिया पत्तन पर आधे खाद्यान्न उतारे जाते हैं ? क्या वहां पर श्रमिक विवाद हुआ था ? और क्या श्रमिकों की कमी पूरी करने के लिये कलकत्ता से अर्द्ध-कुशल श्रमिक मंगाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक इन खाद्य के जहाजों में प्रकाश का प्रबन्ध करने का प्रश्न है यह तभी किया जा सकता है जब कि मौसम साफ हो और जहाज वहां अच्छी तरह लंगर डाल सके । हमें इस मामले में अन्तर्ग्रस्त विशेष कारणों को ध्यान में रखना होगा। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है मेरे विचार से हल्दिया में कोई श्रमिक विवाद नहीं चल रहा है । इसके लिये मैं उस क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य को धन्यवाद देता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वक्तव्य से पता चलता है कि कलकत्ता पत्तन में काफी संख्या में जहाज आ रहे हैं। अधिक माल जमा हो जाने का यह एक कारण है। कलकत्ता पत्तन में जहाजों को खड़ा करने की सर्वविदित कमी तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय ने पत्तन अधिकारियों पर लगाये गये गोलमाल के उन आरोपों की जांच की है जो उन पर पत्तन में जहाजों को खड़ा करने की कमी होने पर भी जहाजों को दूसरे पत्तनों की ओर भेजने की व्यवस्था करने की बजाय वहां पर बहुत संख्या में खड़े करने की अनुमति देने के कारण लगाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : कलकत्ता में खाद्यान्नों से भरे जहाजों के लिये स्थान की कोई कमी नहीं है यद्यपि जहाजों के लिये चार स्थान सुरक्षित हैं, फिर भी एक समय में खाद्यान्नों के 10 जहाज एक साथ खड़े किये गये। जून में कलकत्ता पत्तन में 33 जहाज आये जब कि औसत 20 की है । अतः गोलमाल का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कह है कि कलकत्ता में बड़ी संख्या में जहाज आये।

श्री राज बहादुर : जहां तक जहाजों के इकट्ठे होने का प्रश्न है, इसके लिये अब तक कलकत्ता पत्तन अथवा कोई और पत्तन उत्तरदायी नहीं है । क्योंकि जहाज के पहुंचने तथा

दूसरे पत्तनों पर लादने संबंधी विनियम पत्तन प्रशासन के हाथ में नहीं है । उन्हें दूसरे पत्तनों पर सुविधानुसार लाद कर भेजा जाता है । प्रश्न व्यावहारिक कठिनाइयों का है । खाद्यान्न सब से अधिक मात्रा में वर्षा ऋतु में आता है जो कि हमारे लिये सब से अधिक असुविधाजनक है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What will be the cost of machinery which is being imported for unloading vessels and how many labourers will be thrown out of employment as a result of introduction of mechanisation?

Shri Raj Bahadur : Pumps are being imported. Old pumps are somewhat defective and their capacity in also limited. Foreign exchange that might be necessary for the purpose will be arranged.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How many labourers will be rendered surplus?

Shri Raj Bahadur : Pumps are fitted for unloading foodgrains. There is no question of displacement of labourers as a result thereof.

श्री कपूर सिंह : चूंकि हमारे देश में खाद्यान्नों का बड़ी मात्रा में आयात एक स्थायी चीज हो गयी है अतः क्या सरकार पत्तनों पर माल को, विशेषतः खाद्यान्न को, जल्दी उतारने के लिये कोई स्वचालित यंत्र लगाने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : मैं पहले बता चुका हूं कि स्वचालित व्यवस्था तथा यंत्रीकरण आवश्यक है । हम यथासंभव यंत्रीकरण करना चाहते हैं। परन्तु लोगों के रोजगार के प्रश्न को ध्यान में रख कर ही ऐसा करेंगे ।

श्री कपूर सिंह : स्वचालित व्यवस्था यंत्रीकरण से भिन्न वस्तु है ।

Shri M. L. Dwivedi : Whether it is a fact that stevedores go on raising their rates from time to time and do not pass on the benefit to the labour? While zamindars have been abolished with a stroke of pen, can't these stevedores be abolished ?

Shri Raj Bahadur : So far as they are concerned, their rates etc. are kept under control by Dock Labour Board. Besides, they cannot raise the rates without the consent of the shipping companies. They can charge only those rates which are fixed by shipping companies and Dock Labour Board. They are not merely intermediaries—I want to remove this mis-understanding. Had they been merely intermediaries I would have accepted your argument. They do certain other jobs in addition to providing labour, which cannot be done by shipping companies or shippers themselves.

Shri K. D. Malviya : Whether stevedore system has been abolished or not in Ceylon?

Shri Raj Bahadur : Yes, there it has been abolished. That is a foreign land and I cannot say any thing about that.

An Hon. Member : Why ?

Shri Raj Bahadur : I do not want to say because the port troubles there are well known.

Mr. Speaker : I have neither permitted the question nor its reply.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कलकत्ता पत्तन में ठेका प्रणाली की समाप्ति से प्राप्त हुए अनुभव के संदर्भ में, क्या सरकार ने मशीनों के द्वारा माल लादने का तरीका अपनाने का विचार अब त्याग दिया है ?

श्री राज बहादुर : हम ने मशीनों द्वारा लदान का विचार त्यागा नहीं है, नियमित और क्रमबद्ध चरणों में इस को चालू किया जाएगा ।

खाद्यान्नों का राज्य व्यापार

\+

*35. श्री विश्राम प्रसाद :
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री धवन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बड़े :
श्री दाजी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शशिरंजन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्न का राजकीय व्यापार करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) और (ख). पूरे पैमाने पर राज व्यापार, जिससे सरकार देश में खाद्यान्नों के सारे विक्रय अधिशेष की खरीद और उनका वितरण करेगी, लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार पहले से ही फालतू पैदा करने वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की खरीदारी कर रही है और उस खरीदे गये तथा विदेशों से आयात किये गये अनाजों का वितरण निर्धारित मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा कर रही है। खाद्यान्न व्यापार निगम सरकार को यथासम्भव बहुत बड़ी मात्रा में विक्रय अधिशेष के खरीदने तथा उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं में वितरण करने में सहायता करने के लिये स्थापित किया जा रहा है। यह जनवरी, 1965 में अपना कार्य प्रारम्भ करेगा ।

Shri Vishram Prasad : How foodgrains are going to be distributed to the consumers through State Trading corporation, which is going to be established?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस निगम की स्थापना का एक उद्देश्य यह भी है। इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे, एक तो उत्पादकों को उचित मूल्य मिल जायेंगे दूसरे उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर अनाज मिल जायेगा ।

Shri Vishram Prasad: To day the prices of wheat are 18 rupees per maund in Delhi and Rs. 40 per maund in Eastern U.P. whether it is possible to stabilise them in the whole country ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, इस प्रकार के अन्तर को कम कर दिया जायेगा ।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से मालूम होता है कि सरकार भारत में उत्पन्न चावल अथवा गेहूं के वितरण के लिए पूरा-पूरा समाहार नहीं करेगी। यदि हां, तो क्या सरकार को यह नहीं बताया गया है कि राज्य व्यापार निगम यदि थोड़ा सा समाहार कर ले तो इस वर्ष जो संकट आया अथवा भविष्य में कभी ऐसा संकट आये तो उससे निबटा जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, मूल्यों पर थोड़ी मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा अपितु अधिक मात्रा का ही प्रभाव पड़ेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी बताया तथा वह पहले भी बता चुके हैं कि खाद्यान्न निगम अगले वर्ष की फसल से अपना काम आरम्भ कर देगा। वर्तमान परिस्थितियों में जब तक किसानों को ऋण देने की कोई पद्धति नहीं बना दी जाती है तब तक वह उत्पादक से खाद्यान्न किस प्रकार ले सकते हैं क्योंकि उत्पादक महाजनों तथा बड़े व्यापारियों को ऋण ले कर अपने खाद्यान्न पहले ही बेच चुके होते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब निगम बन जायेगा अथवा उसमे पहले ही हम प्रबंध कर रहे हैं कि विभिन्न राज्यों से खाद्यान्न विशेषतया चावल खरीद सकें। मैं इस बात से सहमत हूं कि बाद में विभिन्न उत्पादकों को धन भी पेशगी दिया जायेगा। परन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जब निगम बन जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो फालतू खाद्यान्न मंडियों तथा बाजारों में बिकने आता है उसमें से कितनी मात्रा का समाहार किया जायेगा तथा क्या यह खरीदारी राज्यों में फसल का मौसम आरम्भ होने पर आरम्भ कर दिया जायेगा जो नवम्बर अथवा दिसम्बर के आरंभ में शुरू हो जाता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसीलिये मैंने कहा था कि चावल के लिये तथा जनवरी से पहले आने वाली चावल की फसल के लिए तदर्थ प्रबंध किए जा रहे हैं । इसके लिये अन्य प्रबंध भी किए जा रहे हैं ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : जबकि सरकार ने समाहार के लिये खाद्यान्नों का राज्य व्यापार लागू करने का निर्णय कर लिया है क्या सरकार को जानकारी है कि जिन कुछ राज्यों ने राज्य व्यापार लागू करने का निर्णय किया था उनको कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसको रद्द करना पड़ा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : तथ्य यह है कि कुछ राज्य बड़े पैमाने पर राज्य व्यापार लागू करना चाहते हैं । जो राज्य, राज्य व्यापार नहीं करता उनमें निगम राज्य व्यापार करेगा जिससे यह पद्धति समस्त देश में लागू हो जाए ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दूसरा जहाज निर्माण कारखाना

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री नम्बियार:
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावत्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
*36. श्री मणियंगाडन :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दाजी :

श्री अ० सिं० सहगल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री बासप्पा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बसवन्त :
श्री बीरप्पा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह तथा उनके मंत्रालय के दूसरे ऊंचे अधिकारी जून, 1964 के मध्य में जापान गये थे ताकि जापानी जहाज-निर्माताओं के सहयोग से कोचीन में एक जहाज निर्माण कारखाना खोलने के बारे में उनके साथ उच्चस्तरीय बार्ता की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या नतीजा निकला ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने सहयोग के लिये जो विशिष्ट शर्तें रखी थी उनके आधार पर उस फर्म से बातचीत की गई थी और दोनों पक्षों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए आपस में एक दूसरे को नोट भेजे गये थे । बाद में मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि अगस्त में दिल्ली आये थे और आगे बातचीत बढ़ी थी । अब शीघ्र ही उन से लिखित उत्तर आने की आशा है । शीघ्र ही एक करार सम्पन्न हो जाने की आशा है ।

एयर इंडिया के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*37. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ब० कु० दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कमचारी संघ से परामर्श किये बिना ही उन कर्मचारियों की की

जाने वाली अन्तरिम सहायता की मात्रा के सम्बंध में लिये गये स्वेच्छिक निर्णय को देखते हुए, एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा ज्यादा देर तक कार्य करने के लिये मना कर दिये जाने के कारण 28 जून, 1964 को बम्बई के सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर विमान यातायात में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एयर कारपोरेशन इम्पलौइज यूनियन द्वारा जारी किये गये 'नियम के मुताबिक काम करो' (वर्क टु रूल) और 'निश्चित समय से अधिक काम न करो' (नो ओवर टाइम वर्क) निदेश का कुछ कर्मचारियों द्वारा अनुसरण किये जाने के कारण 28-6-1964 को सान्ताक्रुज पर एयर इंडिया की उड़ानों में देरियां हुई । उक्त निदेश उपर्युक्त यूनियन द्वारा अन्तरिम सहायता के प्रश्न पर दिया गया । उस प्रश्न पर निर्णय यूनियन के साथ विचार विमर्श करने के बाद लिया गया, यद्यपि बातचीत द्वारा कोई समझौता नहीं हो सका । उपर्युक्त प्रश्न दूसरी मांगों के साथ अब न्याय-निर्णय के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिव्यूनल को भेजा गया है ।

मोटे अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना-ले जाना

*38. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोटे अनाज के निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने सम्बंधी निर्णय को विभिन्न राज्यों ने क्रियान्वित किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य सरकारों ने जिन्होंने मोटे अनाज के संचलन पर प्रतिबंध लगा रखा था, सूचित किया है कि भारत सरकार की सहमति से पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा चने के संचलन पर और राजस्थान राज्य द्वारा चने और जौ के संचलन पर लगाये गये आंशिक प्रतिबंधों को छोड़ कर, उन्होंने यह प्रतिबंध हटा लिये हैं ।

उर्वरकों का वितरण

*39. **श्री धवन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए एक केन्द्रीय विपणन

निगम स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब से लागू किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या कृषकों के लिए उर्वरकों के मूल्य को कम करने के एक प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). केन्द्रीय विपणन निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन रहा है। हाल ही में निर्णय किया गया है कि विशेषज्ञ स्तर पर एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो कि उर्वरकों के वितरण की दीर्घ तथा अल्पकालीन समस्याओं, उनके मूल्य निर्धारण तथा वितरण व वृद्धि-निकायों के कृत्यों और अन्य सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करे। प्रस्तावित समिति एक केन्द्रीय विपणन निगम की स्थापना तथा उर्वरकों के मूल्य निर्धारण आदि के प्रश्नों पर विचार करेगी ।

चीनी

*40. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री नम्बियार :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री प० कुन्हन :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के चीनी की कमी दूर करने तथा चीनी की अधिक कीमतों को कम करने सम्बंधी उपायों के बावजूद देश के विभिन्न भागों में चीनी की कमी तथा चीनी की अधिक कीमतें अभी भी बनी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में और आगे क्या कदम उठाने जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) शर्करा की कमी का कारण कम उत्पादन होना है। सरकार द्वारा शर्करा की कीमतें उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

(ख) 1964–65 की फसल में शर्करा का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विचार हो रहा है।

चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण

श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री शशिरंजन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

*41. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दाजी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री बासप्पा :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सोच रही है ;

(ख) क्या इस सम्बंध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग), इस समय चावल की मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे नई चावल मिलों की स्थापना करने में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दें । मार्ग दर्शन (पाइलट) अध्ययन तथा मूल्यांकन के लिए 6 आधुनिक ढंग की चावल मिलें सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है । इन मिलों से 8–10 प्रतिशत तक अधिक चावल प्राप्त होने की सम्भावना है । इस मूल्यांकन के अध्ययन के आधार पर आगे निर्णय लिये जायेंगे ।

दिल्ली की सरकारी समितियां

*42. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 2 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी समितियों के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति सम्बंधी परिनियत जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

State Chief Ministers' Conference

Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Dr. Ranen Sen :
Shri Dinen Bhattacharya :
Shri Vishram Prasad :
Shri Hem Barua :
Shri R. G. Dubey :
Shri P. Venk atasubbaiah :
Shri D. C. Sharma :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bade :
Shri Jashvant Mehta :
Shri Kapur Singh :
Shri Narasimha Reddy :

*43. **Shri D. D. Puri :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri D. D. Mantri :
Shri S. M. Banerjee :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Daljit Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri N. R. Laskar :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Shiv Charan Gupta :

Shri Ram Harkh Yadav :
Shri R. Barua :
Shri D. N. Tiwary :
Shri Kishen Pattnayak :
Shrimati Renuka Barkataki :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the food situtation in the country was considered at the Conference of the Chief Ministers of States held in June, 1964;

(b) if so, the decision taken for solving the food problem and increasing agricultural production;

(c) the steps taken or proposed to be taken to implement the decisions; and

(d) whether co-operation of other countries would also be solicited?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (*a*) Yes Sir.

(b) and (c) A statement showing the decisions taken at the Conference and the action taken thereon is placed on the Table of the Sabha. [Placed in Library *See* No. LT-3002/64].

(d) Yes, Sir.

सहकार मन्त्रियों का सम्मेलन

*44. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री राम चन्द्र मलिक :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सहकार मंत्रियों का एक सम्मेलन जून, 1964 में हैदराबाद में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ : ऋण, सहकारी विपणन और प्रोसेसिंग, शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी समितियां, सहकारी खेती, कमजोर वर्गों की समस्याओं का हल, सहकारी प्रशासन और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के बीच पारस्परिक सम्बंध । सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई हैं ।

(ग) अधिकांश सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों द्वारा कार्यवाही की जा रही है । जिन सिफारिशों पर केन्द्रीय स्तर पर विचार किया जाना है उन पर दूसरे मंत्रालयों और योजना आयोग के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है ; कुछेक सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है ।

चुनाव आयोग

*45. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने यह मांग की है कि उसे कागजात पेश करने के लिये वही अधिकार प्रदान किये जाने चाहियें जोकि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले आयोगों को दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रार्थना कब की गई ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) से (ग). निर्वाचन आयोग ने इस प्रश्न पर कि क्या उड़ीसा विधान सभा के एक सदस्य श्री बीरेन मित्र उक्त सभा के सदस्य होने के लिए किसी अनर्हता के अध्यधीन हो गये हैं 30 मई, 1964 को उड़ीसा के राज्यपाल को जो राय दी उसमें निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह वांछनीय है कि निर्वाचन आयोग में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन आयोग की शक्तियां निहित होनी चाहिएं, जैसे साक्षियों को आहूत करने और उनसे शपथ पर पृच्छा करने की शक्ति, दस्तावेजों की पेशी बाध्य करने की शक्ति, साक्षियों से पृच्छा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति आदि । निर्वाचन आयोग ने 15 जुलाई, 1964 के एक पत्र द्वारा सरकार का ध्यान उपरोक्त बातों की ओर दिलाया है । निर्वाचन आयोग द्वारा उठाया गया प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

उड़ीसा में चुनाव

*46. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य विधान मंडल तथा संसद् दोनों के लिये साथ साथ ही आगामी सामान्य चुनाव करने के लिये उड़ीसा सरकार के साथ कोई आगे विचार विमर्श किया है ;

(ख) उड़ीसा राज्य विधान मंडल तथा संसद् के लिये हुए गत चुनावों पर पृथक पृथक कितनी धन राशि खर्च हुई ; और

(ग) जब ये चुनाव 1957 में एक साथ हुए थे, तो उस समय राज्य के लिये हुए चुनाव पर कुल कितना व्यय हुआ था ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1961 में राज्य विधान सभा के लिये पिछले साधारण निर्वाचनों में हुए खर्च की राशि लगभग 13 लाख रुपये थी । 1962 में हुए संसदीय निर्वाचनों में लगभग 17,84,000 रु० खर्च हुए ।

(ग) 1957 में एक साथ हुए दोनों निर्वाचनों में कुल खर्च लगभग 34,89,293 रु० हुआ ।

दिल्ली में खाद्यान्न का पकड़ा जाना

*47. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जुलाई, 1964 को दिल्ली प्राधिकारियों द्वारा गृह कार्य मंत्रालय की सलाह पर बड़ी संख्या में गोदामों पर छापे मारने के दौरान खाद्यान्न के कथित जमाखोरों तथा तस्कर व्यापारियों से 2 लाख मन अनाज पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की जमाखोरी का पता लगाने के लिये आगे क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

WHEAT ZONE

*48. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a food zone comprising Delhi, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh is being constituted;

(b) if so, when it is likely to be constituted; and

(c) what would be its possible effect on Delhi and Himachal Pradesh ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Storing of Foodgrains at Ports

*49. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that great difficulty is being experienced in storing foodgrains at various ports such as Bombay, Calcutta and Madras; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government in this connection ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चीनी का वितरण

*50. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री चाण्डक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो मास से चीनी की वितरण व्यवस्था में पाई जाने वाली कुछ गम्भीर त्रुटियों के सिलसिले में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटन विकास के लिये निगम

श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

*51. श्री धवन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेम राज :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कु० चं० पन्त :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में पर्यटन का विकास करने के लिये एक निगम स्थापित करने संबंधी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). पर्यटन पर तदर्थ समिति द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि पर्यटन संबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध वाणिज्यिक रूप की विभिन्न कार्यवाहियों को करने के लिये निगम स्थापित किये जायें। प्रस्तावित निगमों के क्षेत्र, कृत्यों और वित्तीय प्राक्कलनों के संबंध में प्रारम्भिक ब्योरे तैयार कर लिये गये हैं और आशा है कि उनको अन्तिम रूप देने के पश्चात् इस वर्ष के अन्त तक निगम स्थापित कर दिये जायेंगे।

सरसों तथा सरसों के तेल के मूल्य

*52. डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री सरकार मुरमू :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में सरसों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप पूर्वी राज्यों में सरसों के तेल के मूल्य भी बढ़ गये हैं ; और

(ग) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) हाल ही में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा अन्य राज्यों में भी सरसों के मूल्य बढ़ गये हैं ।

(ख) दूसरे राज्यों--जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब भी शामिल हैं--में मूल्यों के ऊंचे रुख़ के कारण पूर्वी राज्यों में भी सरसों के तेल के मूल्य बढ़े हैं ।

(ग) सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :—

"अनुसूचित बैंकों द्वारा पेशगी रकम की उपान्त आवश्यकताओं का कम करना, अग्रे व्यापार तथा तिलहन व वनस्पति तेलों पर प्रतिबंध लगाना ।

वृद्धावस्था पेन्शन योजना

*53. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नम्बियार :
श्री सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृद्धावस्था पेन्शन योजना को लागू करने के सम्बंध में भारत सरकार पुनः विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह योजना किन किन क्षेत्रों में लागू की जायेगी ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) से (ग). जी, नहीं । वृद्धावस्था पेन्शन के लिए एक उचित और ऐसी योजना जिसको क्रियान्वित किया जा सके का प्रश्न विचाराधीन है । आशा है कि इस पर शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा ।

किसानों के लिये नाइट्रोजनी उर्वरक

*54. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को सस्ते दामों पर नाइट्रोजनी उर्वरक देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की कीमतें कम करने के प्रश्न पर समय समय पर विचार किया जाता है । इस नीति के अनुसार दिसम्बर, 1961 में केन्द्रीय उर्वरक भंडार से दिये गये समस्त नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों के मूल्य घटा दिये गये थे । तत्पश्चात् कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया की खपत को बढ़ाने के लिए 5 अक्तूबर, 1962 से कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्य में 32.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा 1 जनवरी, 1964 से यूरिया के मूल्य में 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की कमी कर दी गई थी ।

Prices of Sugarcane

*55. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri P. C. Borooah :
Shri M. L. Jadhav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have taken final decision on the representation made by the State Governments for increasing the prices of the sugarcane;

(b) whether any measures are under consideration to prevent any adverse repercussions on the production of sugarcane and sugar as a result of prices fixed by the Central Government;

(c) whether any State Governments other than Bihar and Uttar Pradesh have approached the Central Government for increasing the price of sugarcane; and

(d) if so, the special reasons that have been put forth by them ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) The Central Government have announced a minimum cane price of Rs. 4·96 per quintal linked to a recovery of 9·4% and below, with a provision for

a premium in price at the rate of 4 Paise per quintal for every additional 0·1 % recovery. This price may be revised in certain cases to prevent undue diversion of sugarcane from factories.

(b) This matter is covered by the terms of reference of Sen Commission.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

खाद्यान्नों के उचित मूल्य

*56. श्री यशपाल सिंह :
श्री शशिरंजन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री पु० र० पटेल :
श्री बड़े :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री चाण्डक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों को चुनने के लिए क्या कसौटी होगी ; और

(ग) समिति के क्या कृत्य होंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). उत्पादकों के लिए खाद्यान्नों के अनुकूल तथा पर्याप्त और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक तकनीकी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके निर्माण तथा विचारार्थ विषय विचाराधीन हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना

*57. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1964 में सरकार ने सात विशेषज्ञों का अध्ययन दल दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के निर्देश पद क्या थे ; और

(ग) क्या अध्ययन दल की ओर से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और यदि हां, तो उसकी उप-पत्तियां क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां ।

(ख) योजना की कार्यकुशलता व इसके भावी ढांचे के विषय में सरकार से सिफारिशें करने तथा इसके दिन प्रति दिन के कार्यों में सुधार करने हेतु दिल्ली दुग्ध योजना की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करना ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3003/64]

पर्यटन

*58. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हेम राज :
श्री बासप्पा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1964 में श्रीनगर में हुए पर्यटन सम्मेलन में भारत के विगत तथा भावी पर्यटन व्यापार के विकास पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस विचार के परिणामस्वरूप मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या काश्मीर को कम पर्यटक जाने के कारण जो क्षति पहुंची है, उसका भी कोई विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया गया, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(घ) देश के हित की दृष्टि से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का विकास करने की दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3004 / 64]

(ग) यद्यपि यह प्रश्न कार्यावलि में नहीं है तथापि इस पर भी चर्चा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर सरकार के योग से विज्ञापनों, समाचारपत्रों, रेडियो के कार्यक्रमों तथा सिनेमा स्लाइडों द्वारा, एक प्रचार आंन्दोलन चालू किया गया है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार वहां पर डोंगियों (हाउस बोटों) और परिवहन सेवा में कुछ रियायत देने के लिये भी राजी हो गई है।

आशा है कि इन प्रयत्नों के परिणाम का पता अक्टूबर के अन्त तक लग जायेगा। विश्वस्त रूप से पता लगा है कि अमरनाथ यात्रा काफी सफल रही है ; साधुओं के अतिरिक्त यात्रियों की संख्या 6,000 से अधिक है और इसे सब से बड़ी संख्या माना जाता है।

विमानों में अपराध

*59. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धूलेश्वर मीना :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री 21 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विमानों पर होने वाले अपराधों के सम्बंध में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अध्ययन पूर्ण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभिसमय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). अभिसमय (कन्वेंशन) की अभी जांच की जा रही है ।

चीनी विपणन बोर्ड

*60. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकर लाल बेरवा :
श्री काशी नाथ पांडे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी विपणन बोर्ड के गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह बोर्ड कब तक बन जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं। इस पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विधान बन जाने के बाद ।

धान कूटने की मशीनें

*70. श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रामपुरे :
श्री श्री नारायण दास :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान कूटने की मशीनें खरीदने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल यूरोप भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) इस पर कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) इससे क्या फायदा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं : डा० पी० के० किमाल, भारत सरकार के तकनीकी सलाहकार, खाद्य विभाग, डा० डोरिस डी० ब्राउन, फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञ और श्री वी० एस० टी० मदालियार, भारत में सहकारी चावल मिलिंग उद्योग के प्रतिनिधि ।

(ग) भारतीय चलार्थ में लगभग 15,000 रु० और विदेशी चलार्थ में लगभग 3,500 रु०।

(घ) प्रतिनिधिमण्डल ने स्थान पर जा कर विभिन्न आधुनिक उपकरणों के मेल का अध्ययन किया, उनकी तकनीकी क्षमता का अनुमान लगाया ऐसे छः यूनिटों को चुना जो धान से अधिक चावल तैयार करने के लिये बनाये गये हैं, भाव तय किया मिलों को परीक्षात्मक रूप से चलाने और भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया और भारत में नये ढंग के उपकरणों के विकास संबंधी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

71. **श्री दलजीत सिंह :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962-63 और 1963-64 में दिल्ली में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि व्यय की गई।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :

	1962-63	1963-64
दिल्ली में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर व्यय की गई कुल राशि	5,24,000	5,73,000

नदियों का सवक्षण

72. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलियों की संख्या बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये केरल में नदियों का सर्वेक्षण करने का कोई विचार है ;

(ख) इस वर्ष में सर्वेक्षण के लिये कौन कौन सी नदियां चुनी गई हैं ; और

(ग) इस परियोजना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). जानकारी केरल सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में भूमिहीन कृषि श्रमिक

73. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूदान और ग्रामदान की भूमि दे कर बसाने की योजना में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या योजना के क्रियान्वित करने में विलम्ब इस कारण हुआ है कि नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). भूदान भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाने की योजना की क्रियान्विति के लिये केरल सरकार ने राज्य भूदान

यज्ञ समिति के परामर्श से प्रारूपित नियम बनाये हैं। राज्य सरकार नियमों पर विचार कर रही है और उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूदान भूमि के वितरण में सुविधा के लिये राज्य सरकार ने भूदान यज्ञ विधेयक बनाया है।

पश्चिम तट सड़क

74. { **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट सड़क पर तेलीचेरी, माहे और बादागारा में बाहरी सड़क के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) भूमि अर्जन पर क्या खर्च आने का अनुमान है और क्या भूमि अर्जन का कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ; और

(घ) कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) सीमित धनराशि होने के कारण तेलीचेरी, माहे और बादागारा में बाहरी सड़कें बनाने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इन बाहरी सड़कों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

तेलीचेरी बाहरी सड़क : स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कुछ अभ्यावेदन दिये गये थे जिसके कारण बाहरी सड़क का मार्ग काफी समय से निश्चित नहीं किया जा सका। इस बीच मार्ग निश्चित किया जा चुका है। भूमि अर्जन के लिये एक प्राक्कलन हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और भारत सरकार उस पर विचार कर रही है।

बादागारा बाहरी सड़क :—मार्ग निर्धारण का काम दिसम्बर, 1960 में किया गया था। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन करने के कारण मार्ग निर्धारण में कुछ छोटे परिवर्तन करके भूमि की चौड़ाई को 150 फुट से घटा कर 100 फुट करना पड़ा था। भूमि अर्जन का काम आरम्भ कर दिया गया है।

माहे बाहरी सड़क :—यह कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

(ख) भूमि अर्जन की अनुमानित लागत इस प्रकार है :

तेलीचेरी बाहरी सड़क	35,65,700 रु०
बादागारा बाहरी सड़क	7,56,900 रु०
माहे बाहरी सड़क	कार्यक्रम में नहीं है।

जैसा कि उत्तर के भाग (क) में बताया गया है भूमि अर्जन का काम समाप्त नहीं हुआ है।

(ग) बादागारा बाहरी सड़क के मामले में 91,885.64 रु० की राशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जा चुका है। दूसरी बाहरी सड़क के बारे में कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है।

(घ) यदि निधियां उपलब्ध हुईं तो तेलीचेरी और बादागारा की बाहरी सड़कों का काम चौथी योजनावधि में पूरा हो जायेगा।

पर्यटक केन्द्रों के लिये विमान सुविधायें

76. **श्री राम हरख यादव :** क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ पर्यटक केन्द्रों को अधिक विमान सुविधाएं देना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) सरकार ने एक असैनिक उड्डयन विकास निधि स्थापित करने का निर्णय किया है जिस से कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को ऐसी विमान सेवाएं चलाने के लिये अनुदान दिया जा सके जिन्हें सरकार पर्यटन के हित में आवश्यक समझती है और जिनका चलाया जाना वाणिज्यिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

(ग) अभी कोई अनुमान लगाने का समय नहीं आया है ।

गुड़ की कमी

77. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि गत छः महीनों में गुड़ की भारी कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत छः महीनों में गुड़ के मूल्य में कितना उतार चढ़ाव रहा और उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) देश में गुड़ की भारी कमी नहीं रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गत छः महीनों में प्रमुख मण्डियों में गुड़ के प्रचलित थोक भाव इस प्रकार थे :—

मण्डी—मास के अन्त में रुपयों में प्रति क्विन्टल थोक भाव

	मार्च 1964	अप्रैल 1964	मई 1964	जून 1964	जुलाई 1964	अगस्त 1964
जालन्धर .	87.50	95.00	110.00	110.00	110.00	107.55
दिल्ली	80.00	73.00	86.95	90.00	101.95	99.95
मुजफ्फरनगर .	65.25	73.40	85.05	75.55	105.95	98.75
कलकत्ता	86.00	89.60	88.40	88.40	94.45	96.45
अहमदाबाद	113.05	113.05	116.00	118.95	116.00	116.00
कोल्हापुर	82.00	85.05	97.00	95.00	97.00	97.00
अनाकापल्ले	54.25	63.10	79.15	80.65	97.50	95.65
मद्रास . .	70.05	64.95	82.50	85.05	80.00	85.05

मूल्यों के उतार चढाव मुख्यतः मौसमी मांग और सम्भरण की स्थिति के कारण हैं ।

PRICE OF BREAD IN DELHI

78. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that price of bread in Delhi has increased by 12 per cent ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) : During the last 2 months the manufacturers' price of bread of popular brands in Delhi has gone up by about 5% and the retail price payable by consumers has increased by 7 to 12%. This increase was due to increase in the prices of yeast, fat and milk powder. Production of maida had recently to be restricted to augment the availability of atta. Supplies of maida to bakeries had consequently to be suspended. Arrangement, however, is now in hand to give some supplies of maida to bakeries.

नये हवाई अड्डे

79. श्री मोहन स्वरूप :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रा० बरुआ :

क्या असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नये हवाई अड्डे बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन स्थानों पर;

(ग) क्या कोई प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये खजूराहों में एक खुले मौसम की विमान-पट्टी के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसी प्रयोजन के लिये हसन में एक हवाई पट्टी के निर्माण के लिये प्राक्कलन भी तैयार किया गया है। पर्यटकों तथा घरेलू वायु यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अन्य स्थानों पर असैनिक हवाई अड्डों के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कृषि औद्योगिक श्रम सेवायें की सहकारी संस्थायें

80. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के निर्बल वर्ग के लिये कृषि औद्योगिक श्रम सेवाओं की सहकारी समितियां गठित करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) क्या हाल ही में हैदराबाद में हुए राज्यों के सहकार मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में इस योजना पर विचार किया गया था और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिये गये थे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) जून, 1964 में हैदराबाद में हुए राज्यों के सहकार मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में निर्बल वर्गों की समस्याओं को हल करने के कुछ मुख्य मार्गों पर चर्चा की गई थी । योजना आयोग के परामर्श में इस मामले की अग्रेतर जांच की जा रही है ।

कैरवेल विमानों की खरीद

81. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या असैनिक उड्यन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने कैरवेल विमानों की खरीद के लिये 'सुड एवियेशन आफ फ्रांस' के साथ एक संविदे पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने कैरवेल विमान प्राप्त कर लिये गये हैं ; और

(ग) क्या इन विमानों की खरीद से इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा मुख्य वायु मार्गों पर यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा किये जाने की आशा की जा सकती है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इण्डियन एयर लाइन्स ने 'सुड एवियेशन आफ फ्रांस' को चार कैरवेल विमानों की खरीद के लिये क्रयादेश दिया है, जिनके कि नवम्बर, 1964 में दिये जाने की आशा है ।

(ख) क्रयादेश के समय प्राप्त हुए एक विमान के अतिरिक्त तीन विमान ।

(ग) मुख्य वायुमार्गों पर यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिये चार कैरवेल विमान अपर्याप्त हैं ।

सहायक खाद्यपदार्थों का उत्पादन

82. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने राज्य सरकारों को यह लिखा है कि वे सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में शीघ्रता से वृद्धि करने के लिये केन्द्र को अपनी विस्तृत योजनायें भेजें ;

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य सरकारों ने क्या क्या मुख्य सुझाव दिये हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा वे कहां तक स्वीकृत किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). मूल्यों की वर्तमान स्थिति और फल, सब्जियों, दूध, मांस, अण्डों और मछलियों जैसे सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय किया गया था कि ऐसे विशेष विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायें जो कि शीघ्र फलित होने वाले हों तथा जिनसे उन स्थानों पर सम्भरण बढ़ जायेगा जहां कि विपणन सुविधायें उपलब्ध हैं । इस कार्यक्रम के अधीन आने वाली योजनायें, अन्य कामों के अतिरिक्त इन बातों से सम्बद्ध हैं : शहरों के चारों ओर फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाना, निर्यात के लिये फलों की पैदावार का संवर्धन, प्रकृष्ट पशु विकास कार्यक्रम, पशु वैद्यशालायें, मुर्गीपालन, शूकरपालन-केन्द्रों और भेड़पालन केन्द्रों का तीव्र विकास, और मत्स्यपालन केन्द्रों का विकास जिसमें बन्दरगाह सुविधाओं की व्यवस्था, प्रवेश मार्ग, शीतागारों तथा परिष्करण सुविधाओं का विकास, प्रशीतित परिवहन की व्यवस्था, इत्यादि सम्मिलित हैं ये योजनायें केन्द्र समर्थित योजनाओं के रूप में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जायेंगी और तृतीय योजना के शेष दो वर्षों की अवधि में उनकी पूरी लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाएगी । अधिकांश राज्यों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं और वे मंजूर की जा रही हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

83. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य कर्मचारी बीमा योजना का भारी विस्तार करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या मुख्य परिवर्तन करने का विचार है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी, हां । 4 अक्टूबर, 1964 से गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में इस योजना का विस्तार किया जा रहा है जिस से कि दो लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा । वर्ष 1964–65 में महाराष्ट्र राज्य के पूना, नांदेड़, अमलनेर और खोपोली नगरों में तथा पश्चिम बंगाल के हुगली नगर में इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है ।

(ख) चतुर्थ योजना काल के दौरान, यह विचार है कि :

(एक) जिन क्षेत्रों में 500 अथवा उससे अधिक बीमा करने योग्य कर्मचारी हों और जो क्षेत्र अभी तक इस योजना के अन्तर्गत नहीं आये हों, उन क्षेत्रों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को इस योजना के अधीन लाना ;

(दो) परिवारों के लिये अस्पतालों में भर्ती किये जाने की सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(तीन) अधिनियम के क्षेत्र का निम्नलिखित तक विस्तार करना :

(क) छोटे छोटे कारखाने जो इस समय इस के अधीन नहीं हैं ; और

(ख) चुने हुए केन्द्रों में दुकानें, वाणिज्यिक संस्थान तथा परिवहन समवाय ।

दिल्ली दुग्ध योजना

84. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में सहकारी डेरियों की योजना प्रारम्भ कर दिये जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र से दिल्ली दुग्ध योजना के लिये दुग्ध के सम्भरण में भारी कमी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को अन्य स्रोतों से पूरा करने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अफ्रीकी–एशियाई नौवहन निगम

85. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी-एशियाई आर्थिक परिषद् ने दोनों महाद्वीपों के अल्प-विकसित देशों के पारस्परिक हित के लिये एक अफ्रीकी-एशियाई नौवहन निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अफ्रीकी-एशियाई नौवहन निगम के बनाये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कांडला पत्तन पर आयात किये गये गेहूं के नौपण्य

86. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों के दौरान कांडला पत्तन पर आयात किये गये गेहूं के नौपण्यों को उठाने के कार्य में कोई कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो गेहूं के नौपण्यों के माल को शीघ्रतापूर्वक उठाये जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) जून, जुलाई और अगस्त 1964 के दौरान लदान सुविधाओं के अभाव में जहाजों के रुके रहने से सरकार को यदि कोई विलम्ब-शुल्क देना पड़ा तो वह कितना था ;

(घ) राजस्थान जैसे खाद्यान्नों के अभाव वाले क्षेत्रों में आटा पीसने के उद्योग को विलम्ब से खाद्यान्न दिये जाने के कारण कितनी हानि हुई है ; और

(ङ) निकटवर्ती क्षेत्रों से राजस्थान की आटा मिलों को गेहूं का कोटा दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है, जिससे कि आटा तैयार करने की उनकी क्षमता बेकार न रहे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जून और जुलाई में क्रमशः लगभग 25,000 रुपये और 50,000 रुपये विलम्ब-शुल्क के रूप में दिये गये थे। अगस्त 1964 में बिलकुल भी जहाज विलम्ब-शुल्क नहीं दिया गया ।

(घ) राजस्थान में तीन रॉलर आटा मिलें हैं। उन में से एक में अगस्त 1964 से नियमित रुप से कार्य हो रहा है। अन्य दो मिलों के मामले में यह बताया जाता है कि उन में से एक मिल जून, जुलाई और अगस्त, 1964 में केवल दो दिन बाद रही थी और दूसरी जून में 4 दिन, जुलाई में 11 दिन तथा अगस्त में 7 दिन बन्द रही थी ।

(ङ) सामान्यतः गेहूं का वितरण निकटवर्ती डिपुओं से किये जाते हैं बशर्ते कि उन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो ।

Publication of Central Acts in Hindi

87. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. K. Deo :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the opinions of the Legal experts were obtained before the Central Acts were published in Hindi;

(b) if so, the names of the experts whose opinions were sought; and

(c) whether the translated Acts will be laid on the Table?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen) : (a), to (c). Central Acts are proposed to be published in Hindi twice. In the first stage, they are published in Hindi for general information only, when they have been translated by the legally qualified officers of the Translation Section of this Ministry. It is not considered necessary to obtain the opinion of other legal experts at this stage.

These translations are placed before the Official Language (Legislative) Commission which consists of legal experts drawn from various language groups. They finalise the translations after consultation with the State Governments. These translations will be duly published under the authority of the President under Section 5 of the Official Languages Act. The authoritative Hindi texts may be laid before each House of Parliament.

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण ग्रस्तता

88. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हेम राज :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री दिनांक 2 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या

93 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता के भार को कम करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के अतिरिक्त और कोई बात बताने की नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा किये गये 1961-62 के अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण के विस्तृत प्रतिवेदन की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

बेरोजगारी बीमा योजना

89. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बाल्मीकी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बेरोजगारी बीमा योजना के लागू किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना के कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी, नहीं, सिवाय इसके कि छंटनी और जबरी छुट्टी की हालत में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये कुछ लाभों की व्यवस्था कर दी गई है और वस्त्र उद्योग के निर्बल एककों में उन श्रमिकों की सहायता करने के लिये जोकि कारखानों के बन्द हो जाने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कुछ अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

टिड्डियों का प्रजनन

90. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के टिड्डी-विरोधी अनुसन्धान केन्द्र ने भारत को कोई चेतावनी दी है कि आगामी महीनों में भारत में टिड्डियों के प्रजनन की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुसूचित मरुभूमि क्षेत्र में मानसून के महीनों में टिड्डियों के सीमित प्रजनन का अनुमान लगाया गया था । अनुसूचित मरुभूमि केन्द्र में राजस्थान, पंजाब और गुजरात

के भाग सम्मिलित हैं और यह क्षेत्र भारत में टिड्डियों के हमले का केन्द्र है । लन्दन स्थित मरुभूमि टिड्डी सूचना सेवा (जोकि टिड्डी-विरोधी अनुसन्धान केन्द्र का एक भाग है) से 3 जुलाई, 1964 को चेतावनी प्राप्त होने से पूर्व ही भारत सरकार ने 30 मई, 1964 तक अनुसूचित मरुभूमि क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियंत्रण कार्य के लिये निदेश जारी कर दिये थे । इन कर्मचारियों के पास पर्याप्त संख्या में गाड़ियां, उपकरण और कीटाणु-नाशक औषधियां हैं और इन को जहां तक आवश्यक हो स्थानीय विस्तृत टिड्डी प्रजनन को नष्ट करने के लिये महत्वपूर्ण स्थानों पर भेजा जाता है ।

अनुसूचित मरुभूमि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र में टिड्डियों के प्रजनन की कोई संभावना नहीं है । तथापि, राज्य सरकारों को पाक्षिक टिड्डी स्थिति बुलेटिनों द्वारा देश में टिड्डियों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से सूचना दी जा रही है ।

कृषि अनुसंधान

91. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी विशेषज्ञों के एक दल ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि भारत में कृषि अनुसन्धान कार्य में लगे हुए 90 प्रतिशत कर्मचारियों को उस क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी नहीं है जिसमें कि वे अपना कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विदेशी विशेषज्ञों द्वारा बताये गये दोषों को दूर करने के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) जी, नहीं । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उप-सभापति और भारत सरकार, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के विशेष सचिव के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान पुनरीक्षण दल के विदेशी सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि अनु-

सन्धान कार्य में लगे हुए १० प्रतिशत कर्मचारियों को उन क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी ही नहीं है जिनमें वे अपना कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनको अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी नहीं है १० प्रतिशत तक तो नहीं हो सकती। अधिकांश राज्यों ने राज्य स्तर पर होने वाली वार्षिक और अर्धवार्षिक बैठकों के द्वारा अनुसंधान तथा विस्तार सेवाओं के अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था की है, जिन बैठकों में अनुसंधान कार्यक्रमों का सिंहावलोकन किया जाता है और विस्तार सेवाओं के संयुक्त निदेशकों तथा प्रादेशिक अधिकारियों से मंत्रणा करके अनुसंधान कार्यकर्त्ता नये कार्यक्रम बनाते हैं। विभिन्न राज्यों के क्षेत्र का दौरा करते समय जो भी समस्याएं भारत सरकार के विशेषज्ञों के समक्ष आती हैं वे उनकी सूचना अनुसंधान अनुभाग या ऐसे विशिष्ट संस्थानों को दे देते हैं जो उस समस्या को सुलझाने में समुचित रूप से सुसज्जित होते हैं। भारत सरकार राज्यों के कृषि विभागों से पत्र-व्यवहार करती रही है जिसमें उनको क्षेत्र की समस्या तथा साथ ही ऐसे हलों के विषय में सूचित कर दिया जाता है जो दूसरे राज्यों ने सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिए हैं और संबंधित राज्य में भी लागू हो सकते हैं। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों में यह भी ध्यान रखा गया कि राज्यों में स्थापित विस्तार सेवाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाए। विस्तार सेवाओं को सशक्त बनाने से अनुसन्धान तथा उनके बीच सम्पर्क और अधिक घनिष्ट हो जाएगा। इसके फलस्वरूप आज की अपेक्षा अनुसंधान कर्मचारी कृषकों की समस्याओं से अधिक विशिष्ट रूप से भलीभांति अवगत होने की स्थिति में हो जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनायें

92. श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चालू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार समस्त ग्राम उद्योगों का सर्वेक्षण करने पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के कार्य को कब से आरम्भ करने की संभावना है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र ही सम्मिलित हैं। वृद्धावस्था निवृत्ति वेतन तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए सहायता और निवारण की ऐसी दो नई योजनाएं भी विचाराधीन है जो पूरे देश के लिए हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग). इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

2106 (Ai) LSD—5.

कृषकों की साख संबंधी आवश्यकतायें

93. श्री लक्ष्मी दास :
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषकों की कुल वार्षिक साख संबंधी आवश्यकताओं का सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) वर्तमान समय में सरकारी एजेन्सियों इन आवश्यकताओं के लिए कितना प्रदान करती हैं?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) सन् 1961-62 के रिजर्व बैंक के अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन संबंधी सर्वेक्षण (अन्तःकालीन अनुमान) में यह दर्शाया गया है कि सन् 1961-62 में भारतीय कृषक परिवारों द्वारा लिये गये उधार धन की राशि लगभग 1030 करोड़ रुपये थी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त परिवारों के द्वारा लिए गए उधार धन की राशि लगभग 1230 करोड़ रुपये थी। कृषि के लिए उपयोग में लाई गई यथार्थ राशि ज्ञात नहीं है।

(ग) कृषि विकास के लिए राज्य सरकारों ने सन् 1961-62 और 1962-63 में सीधे कृषकों को क्रमशः लगभग 22 करोड़ तथा 21 करोड़ रुपए के तकावी ऋण दिए हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों ने सन् 1961-62 में 244 करोड़ रुपए और सन् 1962-63 में 278 करोड़ रुपए के ऋण दिये।

नेल्लोर का चावल

94. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के चावल के व्यापारियों ने केन्द्रीय सरकार से ऐसा अभ्यावेदन किया है जिसमें नेल्लोर के चावल को दक्षिण प्रखंड के बाहर भेजने की अनुमति मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड

95. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मी० रु० मसानी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी बोर्ड के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन कारणों से त्यागपत्र दिया है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यतः त्यागपत्र निजी कारणों से दिया गया है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

96. श्री यशपाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की लापरवाही के परिणाम-स्वरूप निर्माणाधीन एक पोत के लिये आवश्यक बिजली के सामान को ठीक करने में 1 लाख रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदारी ठहराने के लिये कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). निर्माणाधीन एक पोत के लिये आयात किये गये बिजली के उपकरणों की पेटियों को उपयोग के लिये खोलने से पता चला कि यह सामान बहुत समय तक रखे रहने से खराब हो गया था। इन उपकरणों की मरम्मत करनी पड़ी जिस पर 8.2 लाख रुपये व्यय हुये।

बिजली के उपकरणों को हुई क्षति के कारणों की जांच करने तथा इसके लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड के निदेशकों बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई निदेशक समिति ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है;

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड में प्रचलित साधारण व्यवस्था के अनुसार उस समय अधिक ध्यान उपकरणों को संभाल कर रखने की ओर दिया गया;

(दो) उस समय की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इसके लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका।

(तीन) समिति ने भविष्य में इस प्रकार की भारी मशीनरी को सुरक्षित ढंग से रखने के कुछ विशेष सुझाव भी दिये हैं। इन सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन

97. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1962–63 और 1963–64 के प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) से (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपना वर्ष 1962–63 का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया है। चूंकि यह प्रतिवेदन अभी तक छपा नहीं गया है अतः इसकी प्रतियां लोक-सभा तथा राज्य-सभा के पटलों पर नहीं रखी जा सकीं। इस प्रतिवेदन को शीघ्र छपवाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

आयुक्त के वर्ष 1963–64 के 30 सितम्बर, 1964 तक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

समाज कल्याण कार्य के लिये स्वायत्त शासी निकाय

98. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण कार्य के लिये एक स्वायत्तशासी निकाय बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) पहिले से ही स्वायत्तता प्राप्त समाज कल्याण बोर्ड कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल का उत्पादन

99. श्री रा० गिव्वुबे : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964–65 में चावलों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से पंजाब में सघन खेती कार्यक्रम को लागू करने के लिये 23 खंड चुने गये हैं ; और

(ख) यह योजना किस प्रकार प्रगति कर रही है और क्या सरकार का इस योजना को अन्य राज्यों में भी चालू करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष में यह योजना हाल में खरीफ की फसल के समय से चालू की गई है। अतः अभी इतनी जल्दी प्रगति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की योजनायें अन्य राज्यों में भी चालू की गई हैं।

एयर इंडिया का बोइंग 707-320 बी

100. श्री रा० गि० दुबे :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया का नया बोइंग 707-320 बी लन्दन से उड़ान के बाद मार्ग में बिना कहीं रुके 29 मई, 1964 को भारत पहुंचा; और

(ख) यह नया बोइंग उन विमानों की तुलना में कैसा है जो इस समय हमारे पास हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) नये विमान में प्रैट एण्ड ह्विटने जे० टी० 3 डी–3 बी टर्बोफेन इंजन लगे हुए हैं जिनकी "थ्रस्ट रेटिंग" 500 पौंड प्रति इंजन अधिक है। पूरी लम्बाई के "लीडिंग एज फ्लैप" समपरिवर्तित "विंग टिप्स" और अधिक बड़ा येन फ्लैप होने के कारण इस अधिक शक्ति वाले थ्रस्ट इंजन से विमान को 707––437 की लम्बाई के धवन मार्ग से तापमान की स्थिति के अनुसार लगभग 4 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कम लम्बाई में ही उड़ाया और उतारा जा सकता है।

उड़ान की स्थिति में पी० एण्ड डब्ल्यू ज० टी० 3 डी–3 बी० इंजनों की अधिक उड़ान क्षमता के कारण यह विमान 707-437 से पहिले ही गति पकड़ सकता है और लन्दन–न्यूयार्क जैसे लम्बे क्षेत्रों में इसके परिणामस्वरूप उड़ान के समय में 15 से 20 मिनट तक की बचत हो जाती है।

इस विमान की दूसरी प्रमुख विशेषता धन की अपेक्षकृत कम खपत है क्योंकि टार्बोफैन इंजन विशुद्ध जेट अथवा "बाइ पास" इंजन से अच्छा होता है। परिणामतः इस विमान की ईंधन की खपत रोल्सराय कॉन्वे 508 इंजनों वाले 707-437 विमान से लगभग 10 प्रतिशत कम होती है, अथवा वह बराबरी के उड़ान सकल भार पर 707-437 विमान की अपेक्षा अधिक दूरी तक उड़ सकता है।

मास्को के रास्ते नई दिल्ली-लन्दन विमान सेवा

101. श्री रा० गि० दुबे :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को के रास्ते नई दिल्ली और लन्दन के बीच एक विमान सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर रूस और भारत के बीच कोई बातचीत हुई है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां। एयर इण्डिया की मास्को के रास्ते नई दिल्ली और लन्दन के बीच प्रति सप्ताह दो विमान सेवाएं चालू करने की योजनाएं हैं। ऐसी प्रथम सेवा नई दिल्ली से 2 अक्तूबर, 1964 से चालू होगी।

(ख) जून, 1964 में एयर इण्डिया और एरोफ्लोट के बीच बातचीत हुई थी जिसके परिणामस्वरूप एयर इण्डिया द्वारा इस सेवा को चलाने का करार किया गया था।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

102. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू फसल के लिये अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के भाग के रूप में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों को विशेष उर्वरक कोटे दिये गये हैं और यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने उर्वरकों के अपने कोटे को समय पर नहीं उठाया और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और समय पर कोटा न उठाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आने वाली खरीफ के फसल के लिये भी इस प्रकार के कोटे दिये जा रहे हैं और यदि हां, तो कितने और इसके लिये प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित आवश्यकताएं क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सामान्य रीति से राज्य सरकारों को दिये जाने वाले त्रैमासिक कोटे के अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों को अपनी कृषि कार्यक्रमों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त कोटे मंजूर किये गये थे। देखिये परिशिष्ट 'क'। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3005/64] इसके अतिरिक्त पटसन, कपास, तम्बाकू, चाय, काफी और रबड़ की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी कोटे दिये गये में—देखिये परिशिष्ट 'ख' [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3005/64]

(ख) कुछ मामलों में राज्य सरकारों द्वारा बहुत थोड़ा सा माल नहीं उठाया गया है। जो माल नहीं उठाया गया है उसकी मात्रा तथा न उठाने के कारणों का उल्लेख एक संलग्न विवरण में किया गया है। (परिशिष्ट 'ग')। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3005/64]

(ग) सामान्य रीति के अनुसार भविष्य में भी कोटे हर तीसरे मास दिये जायेंगे। अक्तूबर–दिसम्बर, 64 और जनवरी–मार्च 65 की अवधियों के लिये राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकताओं के जो अनुमान लगाये गये हैं व संलग्न विवरण में दिये गये हैं। (परिशिष्ट 'घ') [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०- 3005/64]

Landless Cultivators

103. Shri Bagri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of landless cultivators in the country ;

(b) the acreage of land available with Government to settle these cultivators ; and

(c) the steps being taken to rehabilitate them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) According to the Second Agricultural Labour Enquiry, the total number of households of agricultural labourers in the country was 16·3 millions out of which about 57% had no lands.

(b) The Wastelands Survey and Reclamation Committee appointed by the Government of India has located about 10·8 lakh acres of land in blocks of 250 acres and above. It is estimated that about 2/3 of this area belongs to Government. Survey and categorisation of wastelands in blocks of less than 250 acres have been taken up in several States—in order to locate lands for resettlement. In addition, some bhoodan or gramdan lands and surplus lands above the ceiling would also be available. Precise estimates of the area that can be utilised for settlement of agricultural labourers are not available.

(c) Rs. 7 crores were provided in the Third Five Year Plan for a centrally sponsored scheme for the settlement of agricultural labourers ; another Rs. 3·67 crores were included in the State Plans for the same purpose. Schemes for welfare of Scheduled castes and Scheduled tribes, to which agricultural labourers mostly belong, also provide for settlement on lands.

About 13 lakh acres are reported to have been distributed to the agricultural labourers during the first 2 years of the Third Plan by the District authorities. A provision of Rs. 5 crores has been made for house sites for agricultural labourers.

The Rural Works Programme on which about Rs. 25 crores are likely to be spent during the Third Plan would help considerably in the rehabilitation of agricultural labourers by providing them additional work opportunities.

Cruel Treatment of Cos and Buffaloes

104. **Shri Hukam Chand Kachhawaiya:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) whether it is a fact that cows and buffaloes worth about Rs. 2 crores are imported into Calcutta every year from other States, particularly from Punjab and that before sending them to the slaughter-house they are kept in a very miserable condition and milked ;

(b) whether Government have received complaints that the traders dealing in cows and buffaloes adopt a very cruel method of milking and that they force their calves to die of starvation ; and

(c) if so, whether Government have under consideration any scheme for salvaging such cattle ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) (a) to (c) : The information is being collected from the State Governments concerned and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it becomes available.

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग

105. **श्री हेम राज :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग के प्रतिवेदन पर अपने विचारों को अन्तिम रूप देने

के लिये सभी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के तुरन्त स्मरणपत्रों का अब उत्तर दे दिया है ; और

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो अभी भी चूक कर रहे हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केरल और पश्चिमी बंगाल ।

पश्चिमी राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन

106. **श्री मणियंगाडन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल और अन्य खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिये मद्रास में पश्चिमी राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्णय ये थे कि चावल के अधिकतम थोक और खुदरा मूल्य निर्धारित किये जाने चाहियें और इन मूल्यों को लागू करने और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये ।

खेती का जापानी तरीका

107. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कृषि विशेषज्ञों के जिस जापानी सर्वेक्षण दल ने भारत का दौरा किया था, क्या सरकार को उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि के जापानी तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिये देश के विभिन्न भागों में 4 और यूनिट खोलना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके ब्योरे क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). जी हां, बपटाला, जिला गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश), चन्नामानाद, जिला अर्नाकुलम (केरल), खोपोली, जिला कोलाबा (महाराष्ट्र) और मान्द्य (मैसूर) में चार अधिक जापानी प्रदर्शन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन फार्मों के ब्योरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

गुजरात और राजस्थान में अभाव की स्थिति

108. { श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और राजस्थान में तोड़े की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या दुर्भिक्ष के कारण हमारे पशुधन अथवा मानवीय जीवन को कोई अधिक हानि पहुंची है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1963 में वर्षा न होने के परिणामस्वरूप राजस्थान के 14 जिलों और गुजरात के 5 जिलों में तोड़े की हालत पैदा हो गई थी । इस वर्ष परिस्थितियां बदल गई हैं । वर्षा ऋतु के आरम्भ के समय से ही दोनों राज्यों के सभी भागों में काफी बारिश हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

फ्लाइंग क्लब के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

109. { श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जुलाई, 1964 को भूपाल के निकट मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) हताहत का विवरण क्या है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना की जांच अभी की जा रही है ।

(ग) विमान में केवल विद्यार्थी पाइलट था जो कि मारा गया ।

सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली

110. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहन कृषि कार्यक्रम क्षेत्रों में सहकारी समितियों के कार्य की जांच करने के लिये कोई अध्ययन दल नियुक्त किया गया है;

(ख) कार्यकारी दल का गठन क्या है और इसके निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) प्रतिवेदन कब पेश किया जायेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3006/64]

(ग) लगभग जनवरी, 1965 के अन्त तक ।

उर्वरकों के लिये गोदाम

111. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारों से प्रत्येक चार या पांच गांवों के लिये उर्वरकों और बीजों के लिये गोदाम बनाने के लिये कहा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : राज्य सरकारों से, गहन खेती कार्यक्रम के लिये चुने गये जिलों में ग्राम, मण्डी और रेल पर्यन्त जैसे विभिन्न स्तरों पर गोदाम बनाने के लिये कहा गया है जिससे कि किसानों को उर्वरक, बीज आदि सुविधा से मिल सकें । तथापि, प्रत्येक चार या पांच ग्रामों के लिये एक गोदाम बनाना आवश्यक नहीं है । यह मुख्यत: अन्य बातों पर निर्भर है जैसे कि संचार साधन, कितना माल स्टाक करना चाहिये, आदि ।

उत्तर प्रदेश में खंडसारी का पकड़ा जाना

112. **श्री श० ना० चतुर्वदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की किसी नीति के अनुसरण में उत्तर प्रदेश में खण्डसारी के स्टाक जब्त किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यह नीति है कि देश में बनाई गई सभी प्रकार की शक्कर के खुले सौदों को बन्द किया जाये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टाक जब्त नहीं किये गये थे, परन्तु माल बेचने पर पाबन्दी लगा दी गई थी ।

(ख) नीति समय समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाती है । इस समय जिस नीति का पालन किया जा रहा है उसका उल्लेख सरकार द्वारा जारी किये गये चीनी नियंत्रण आदेशों में किया गया है ।

कृषि अनुसन्धान

113. **श्री श० ना० चतुर्वदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी और फफूंदनाशी दवाइयों के अंधाधुन्द इस्तेमाल से उत्पन्न

होने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशपद क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के निर्देशपद इस प्रकार हैं :

अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों की समिति के प्रतिवेदनों, इंगलैंड के कृषि, खाद्य तथा मत्स्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदनों और कृषि और वनपालन में रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के कारण मानव स्वास्थ्य और जंगली जानवरों को होने वाले खतरों के बारे में प्रकाशित अन्य सामग्री का अध्ययन करना और निम्न-लिखित बातों के बारे में सिफारिश करना :—

(क) क्या किसी विशेष कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये अथवा कुछ विशेष प्रयोजनों के लिये ही कुछ निश्चित हालतों में प्रयोग में लाई जानी चाहिये ;

(ख) भाग (क) के अन्तर्गत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के बनाने और आयात के लिये भविष्य का कार्यक्रम क्या होना चाहिये ;

(ग) ऐसी हालत में जब कि कुछ रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के इस्तेमाल को सीमित करना आवश्यक हो, कीट तथा मारी द्वारा हुई हानि को कम करने के लिये क्या अन्य उपाय करने चाहियें जैसे कि जीव संबंधी नियंत्रण पर गहन अनुसन्धान करना; और

(घ) अन्य कोई संबंधित मामला ।

पंचायती राज संम्बन्धी समिति

114. श्री काशी राम गुप्त : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज पर नियुक्त अध्ययन दल के प्रतिवेदन की जांच कर ली है ;

(ख) क्या सरकार अन्य राज्य सरकारों को इन सिफारिशों के अध्ययन के लिये मंत्रणा देगी ताकि वे उन सिफारिशों को अपने राज्यों में लागू कर सके, और

(ग) प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और क्या राजस्थान सरकार ने प्रतिवेदन को पूर्णरूप से स्वीकार करने का फैला किया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). प्रतिवेदन की एक प्रति हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होने के पश्चात् अध्ययन दल की सिफारिशों पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

(ग) एक विवरण, जिस में प्रतिवेदन की मुख्य बात हैं, सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3007 / 64 ।]

प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचारारधीन है ।

खाद्यान्नों के मूल्य

115. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में भारत में गेहूं, चावल और चीनी के मूल्यों में वृद्धि जापान, चीन, लंका, बर्मा, इनलैंड, अमरीका और रूस में इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की तुलना में कैसी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : निम्न विवरण संलग्न हैं :—

(एक) 1959–63 में भारत तथा कुछ विदेशों में गेहूं के मूल्यों के देशनांक ।

(दो) 1959–63 में भारत तथा कुछ विदेशों में चावल के मूल्यों के देशनांक ।

(तीन) 1959–63 में भारत तथा कुछ चुने हुए विदेशों में चीनी के खुदरा मूल्य ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3008 / 64 ।]

खाद्यान्नों का आयात

116. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1959–1962 की अवधि में कितना अनाज आयात किया गया ;

(ख) उसका मूल्य क्या था ; और

(ग) क्या 1958 के आंकड़ों की तुलना में खाद्यान्न के आयात में कमी हुई है अथवा वृद्धि ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) :

वर्ष	'000 मीट्रिक टनों में	करोड़ रु० में लागत तथा भाड़ा मूल्य
1959	3868	141.41
1960	5137	192.84
1961	3495	129.56
1962	3640	141.09

(ग) वृद्धि हुई है ।

दिल्ली प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

117. श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने दिल्ली प्रदेश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सर्वेक्षण किया ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं ; और

(ग) क्या सरकार उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखना चाहती है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ; जन साधारण के अध्ययन और सामान्यत: सरकारी कार्यक्रमों विशेषत: पांच विशिष्ट प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों, अर्थात्, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य पुलिस, डाक और दिल्ली परिवहन के समर्थन के रूप में ।

(ख) जिसमें अध्ययन के सभी संबंधित आंकड़े हों ऐसा प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sugar Dealers in the Capital

118. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of sugar dealers in the capital has been reduced ;

(b) if so, the number of shops dealing in sugar previously and those dealing at present ;

(c) whether the number of existing shops is enough to cope with the demand of population of Delhi ; and

(d) if not, the arrangements made by Government to meet the demand of rest of the population ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of wholesale dealers has been reduced from 220 to 64 and of retailers from 5158 to 4738.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Damage to Crops

119. Shri Balmiki :
Shri Daljit Singh :
Shri E. Madhusudan Rao :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the areas where extensive damage was caused to crops by heavy rains in July, 1964;

(b) the names of Kharif crops heavily damaged; and

(c) the total amount of estimated loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) (a) to (c). A statement containing the available information is appended. **[Placed in Library. See No. Lt-3009/64.]**

पर्यटक श्रेणी के लिये विमान भाड़ा

120. श्री दलजीत सिंह : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया इन्टरनेशनल ने 18 अप्रैल, 1964 से पर्यटक श्रेणी के लिये भाड़े की दरें घटा दी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो ये भाड़े अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों द्वारा जो भाड़े लिये जा रहे हैं उनकी तुलना में कैसे हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). एक ओर अमरीका और कैनेडा और दूसरी ओर यूरोप, मध्य-पूर्व, अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और लंका के बीच यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी और रियायती श्रेणी सेवा दोनों के लिये भाड़े की घटी दरें 1 अप्रैल, 1964 से लागू की गई थीं। विमान भाड़ों की ये घटी दरें अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था के सभी सदस्यों द्वारा लागू की जाती हैं और एयर इन्डिया भी इस संस्था का सदस्य है।

गोहाटी के निकट नदी पत्तन

121. श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी के निकट सादीलापुर नदी पत्तन के बनाने का काम आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है और इस पर क्या लागत आयेगी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पत्तन के निर्माण की अवधि में, यह सुनिश्चित करने के लिये कि पत्तन का निष्पादन कार्य अनुमोदित ब्योरों के अनुसार ही किया जाये और समय पर किया जाये, कोई निगरानी रखेगी ; और

(घ) परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ). सादिलपुर में एक नदी पत्तन के निर्माण के लिये एक प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और परिवहन मंत्रालय में इसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

सिंचाई और जल संभरण योजनायें

122. डा० पं० शा० देशमुख : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और जल सम्भरण की उन योजनाओं को भी, जिन पर केवल 5,000 रु० खर्च आता है, तकनीकी अनुमोदन के लिये केन्द्रीय सरकार को पेश करना जरूरी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के कारण बहुत देर हो जाया करती है ; और

(ग) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव था कि सीमा 5 लाख होनी चाहिये और क्या उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

1. सिंचाई योजनायें :

(क) से (ग). 25 लाख रु० की लागत तक की सिंचाई योजनाओं, जिनको लघु सिंचाई योजना की श्रेणी दी गई है, पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ योजना पर वार्षिक चर्चाओं के समय विचार किया जाता है। चर्चा के समय यदि योजनाएं एक बार स्वीकार कर ली जायें और उन का उपबन्ध कर दिया जाये तो इस के पश्चात् इन को मंजूर करने के लिये राज्य सरकारें स्वयं सक्षम हैं और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय प्रत्येक योजना की तकनीकी स्वीकृति के लिये आग्रह नहीं करता ।

2. जल संभरण योजनायें :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल किये जाने से पूर्व सभी पेय जल संभरण योजनायें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित की जाती हैं ।

(ख) सामान्यतः स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूरी लगभग 7 सप्ताह में दे दी जाती है । देर तब ही होती है जब राज्य अपूर्ण प्रस्ताव देते हैं ।

(ग) हां एक प्रस्ताव था कि ऐसी ग्राम जल संभरण योजनाएं, जिन पर 5 लाख रु० तक लागत आये, केन्द्र द्वारा द्वितीय संवीक्षा के बिना ही राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाने दी जायें, परन्तु इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि कुछ राज्यों के पास सुगठित लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग नहीं हैं और इसलिये विशेषज्ञों द्वारा केन्द्रीय संवीक्षा वांछनीय है ; जबकि अन्य व्यक्ति संवीक्षा की प्रक्रिया में व्यवस्थित केन्द्रीय सहायता और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं ।

ग्राम्य शिक्षा आन्दोलन

123. श्री क० ना० तिवारी : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्राम्य शिक्षा आन्दोलन के लिये अखिल भारतीय पंचायत परिषद् योजना के चौथे सम्मेलन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के चतुर्थ सम्मेलन ने सिफारिश की है कि परिषद् की जनरल काउंसिल, अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक छोटी समिति नियुक्त करे। ग्राम्य शिक्षा आन्दोलन के लिये ब्योरे इस समिति द्वारा तैयार किये जायेंगे। विषय पर समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर सरकार उन पर विचार करेगी।

सांता क्रूज हवाई अड्डा

124. { **श्री दे० जी० नायक** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांता क्रूज़ हवाई अड्डे की पूर्वी ओर स्थित गैर सरकारी इंजीनियरिंग कम्पनी का प्रसार परीक्षण बुर्ज जेट विमानों के उड़ने के लिये एक भयानक बाधा है ; और

(ख) यदि हां, तो बुर्ज को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री काननगो) : (क) और (ख). सांता क्रूज़ हवाई अड्डे की पूर्वी ओर को स्थिति एक गैर सरकारी इंजीनियरिंग कम्पनी के प्रसार परीक्षण बुर्ज को, जो विमानों के लिये खतरा बना हुआ था, गिरा कर हटा दिया गया है।

पर्यटक केन्द्र

125. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या परिवहन मंत्री 29 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पर्यटक केन्द्रों के विकास के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : 24 मार्च, 1964 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के उत्तर में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त गुलमर्ग के शरद् ऋतु क्रीड़ा केन्द्र के रूप में एकीकृत विकास के लिये एक बृहित् योजना तैयार करने हेतु कार्यकारी दल ने गुलमर्ग का दौरा किया।

कोवालम पर कार्यकारी दल का प्रतिवेदन इस बीच केरल सरकार को प्राप्त हो गया है और योजना आयोग उस पर जांच कर रहा है। प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के पश्चात् एक प्रति सभा के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

पर्यटन के विकास के लिये इन बृहित् योजनाओं की क्रियान्विति और अन्य चुने हुए पर्यटक क्षेत्रों के एकीकृत विकास को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

गुजरात में खाद्य स्थिति

126. **श्री पु० र० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 तथा 22 जौलाई, 1964 को वे अहमदाबाद में थे ;

(ख) क्या उनको गुजरात सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं ने अभ्यावेदन दिये थे कि गहूं और गुड़ के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने एवं ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण गुजरात में उनके मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं तथा गुजरातवासी सब से अधिक खराब किस्म के गुड़ के लिये, जो कि मानव उपभोग के योग्य भी नहीं है, 100 प्रतिशत अधिक मूल्य दे रहे हैं ; और

(ग) उन पर उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जी, हां । गेहूं तथा गुड़ के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने व ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों तथा गुड़ के अत्यधिक मूल्य के बारे में अभ्यावेदन दिये गये थे ।

गुड़ के लाने ले जाने पर जो प्रतिबन्ध थे उन्हें 27 जुलाई, 1964 से समाप्त कर दिया गया है । गेहूं क्षत्रों में कोई फेर बदल करना इस समय उचित नहीं है ।

मंगलौर पत्तन

127. **श्री बासप्पा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मंगलौर पत्तन के विकास के लिये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर के अभावग्रस्त क्षेत्र

128. **श्री बासप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की सरकार ने मैसूर के अभावग्रस्त क्षेत्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता मांगी गई तथा दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी, हां । मैसूर की सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कार्यान्वित किये जाने के लिये एक योजना भेजी है जिस पर 40 करोड़ रुपया व्यय होगा । इस योजना के

अन्तर्गत भू-संरक्षण उपायों, लघु सिंचाई साधनों तथा कृषि के विस्तार जैसे विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा देकर राज्य के सूखे वाले क्षेत्रों को शीघ्र ही पुनः सुधारा व ठीक किया जायेगा ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने समस्या की ठिकाने पर जाकर जांच करने के लिये एक तकनीकी दल भेजा था । दल के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर मैसूर की सरकार टुमकुर जिले के दो ताल्लुकों (मधुगिरा तथा पावगडा) के विषेष क्षेत्रों में चालू करने के लिये एक अग्रिम योजना तैयार कर रही है। इस समय यही उचित समझा जाता है कि अग्रिम योजना की कार्यान्विति पर ही बल दिया जाय । इसकी कार्यान्विति से महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हो सकेगी जिसके आधार पर अन्य सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में भी इस योजना को लागू किया जा सकेगा ।

तथापि, सूखे से पीड़ित क्षेत्रों सहित राज्य में कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों का विस्तार करने के हेतु राज्य सरकार की आवश्यकताओं को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 1964–65 राज्य सरकार को 265 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की

Central Mechanised Farm

129. Shri P. L. Barupal Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Agricultural Farm, Suratgarh in Rajasthan, is running at a loss for some time;

(b) if so, the deficit every year since its inception; and

(c) the causes of this deficit ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The Annual Accounts of the Farm Show Gross Profit every year, but after allowing deductions for depreciation of machinery, buildings etc. and for interest on the 'Capital Account' at the rate of 4% per annum, the Accounts show losses during some years.

(b)

Crop year (1st July to 30th June)	Gross Profit	Net Profit	Net Loss
	Rs.	Rs.	Rs.
1956-57	3,11,434	..	2,70,837
1957-58	1,58,621	..	5,08,945
1958-59	12,23,499	1,70,209	..
1959-60	10,35,192	..	2,24,559
1960-61	16,83,964	2,83,827	..
1961-62	12,43,233	..	6,23,136
1962-63	12,64,803	..	5,91,855@
1963-64	14,05,320	..	5,9 1,080*

@Audit under completion.

*Approximate; accounts still under finalisation.

(c) The causes are:—

(i) Insufficient and erratic irrigation supplies;

(ii) Damage done to crops by Ghaggar floods;

(iii) Scanty rainfall during summer and failure of winter rains in some years; and

(iv) Severe frost during 1963-64.

चीनी उद्योग

130. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम पुरे :
श्री रा० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री कुरील :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योगों के कार्य की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :(क) जी, हां ।

(ख) आयोग निम्नलिखित जांच कार्य करेगा :

(1) मूल्यों का निर्धारण तथा चीनी वितरण सम्बन्धी प्रणाली ।

(2) नये चीनी कारखानों को लाइसेंस देने तथा विद्यमान चीनी मिलों की विस्तार सम्बन्धी नीति ।

कलकत्ता पत्तन में जहाजों का जमाव

131. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी के दहाने से आने वाली ज्वार की बड़ी लहरों के परिणाम स्वरूप कलकत्ता पत्तन में जहाजों का जमाव हो गया है ;

(ख) जमाव दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) कलकत्ता पत्तन में जहाजों के जमाव का क्या प्रभाव पड़ा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हुगली जैसी नदी के दहाने पर ज्वार की बड़ी लहरों का होना एक सामान्य बात है । हाल में ऊपर से आने वाले पानी की

मात्रा में अधिक वृद्धि होने से हुगली के दहाने पर ज्वार की बड़ी लहरों की गति और प्रचण्डता बढ़ गई है । ज्वार की लहरों के समय ज्वार की प्रचण्डता के अनुसार हम 10 जेटीज तथा 46 मूरिंग तक को ही प्रयोग में ला सकते हैं । अतः जब गोदी में स्थान खाली नहीं होता तो अस्थाई रूप से कमी उत्पन्न हो जाती है और कलकत्ता पत्तन की ओर आने वाले पोतों को सेंडहेड्स पर ठहरना पड़ता है जिससे वहां पर जहाजों का जमाव हो जाता है। जून, 1964 में ज्वार की लहरों के समय 7 से 14 तारीख तक सेंडहेड्स में 12 से 18 पोतों को रुकना पड़ा । साधारणतया ज्वार की लहरों के समय सेंडहेड्स पर कम संख्या में जहाजों को रुकना पड़ता है । जून 1964 में सेंडहेड्स में अधिक संख्या में जहाजों के रुकने का कारण यह है कि कलकत्ता में इस महीने 52 बड़े जहाज (डीप लैडन वेसल्स) आये जब कि उससे पिछले तीन महीनों में 30 जहाजों की औसत थी । पत्तन में जून, 1964 में खाद्यान्न से भरे 33 बड़े जहाज आये जब कि पिछले तीन महीनों में औसत 20 थी । बड़े जहाजों को खाली करने में अधिक समय लगता है अतः जून में गोदी में स्थान अधिक समय तक घिरा रहा । इसके परिणाम स्वरूप पत्तन में प्रवेश करने वाले जहाजों की संख्या को कम करना पड़ा ।

(ख) यदि पत्तन में जहाजों के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था की जाये तो ज्वार की लहरों के समय सेंडहेड्स में जहाजों के जमाव को रोका जा सकता है । ऐसा करना न तो आर्थिक दृष्टि से ही वांछनीय है और न इतने कम समय में जहाजों के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जा सकती है । अतः अन्य वांछनीय कदम उठाने पड़े । इन कदमों में एक कदम श्रमिकों से अधिक मात्रा में काम लेने के लिये उठाया गया ताकि गोदी में जहाजों को शीघ्र लदवाया तथा खाली किया जा सके और स्थान की प्रतीक्षा में खड़े जहाजों को अधिक समय न लगे । तटों पर काम करने वालों की क्षमता बढ़ाने के लिये एक प्रोत्साहन सम्बन्धी योजना चालू की गई है जो संतोषजनक कार्य कर रही है । जहाजों में कार्य करने वालों के लिये भी इसी प्रकार की योजना चालू करने के प्रश्न पर तत्कालिक आधार पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जहाजों के जमाव के कारण जहाजों को मुड़ने में बड़ी कठिनाई होती है । जहां तक 'चार्टर' जहाजों का सम्बन्ध है, उनके बेकार खड़े रहने के समय के लिये किराये पर लेने वाले व्यक्तियों को किराये की शर्तों के अनुसार विलम्ब शुल्क देना पड़ता है । लाइनर चालकों द्वारा भी अभ्यावेदन दिये गये हैं ।

काल्यों कांड बूटी

132. { श्री प्र० के० देव :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर औषधीय पौधे तथा उद्यान समिति के सभापति श्री रसिक लाल वैद्य ने गुजरात के जेसुर पहाड़ों में पाई जाने वाली चमत्कारक बूटी "काल्यों कांड" का पता लगाया है, जिसे यदि कोई व्यक्ति एक बार खाले तो वह कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और इससे देश की खाद्य समस्य का कहां तक समाधान हो सकेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ऐसा समझा जाता है कि गुजरात सरकार द्वारा गठित औषधीय पौधे तथा उद्यान समिति के प्रधान श्री रसिक लाल को समिति के दौरे के दौरान गुजरात में कुछ ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा काल्यो कांड की जड़ दिखाई गई थी । यह बताया गया था कि साधुओं द्वारा यह जड़ लगभग एक सप्ताह की अन्तरावधि के पश्चात् खाई जाती थी और उस समय में वे भोजन नहीं करते थे । इस दावे की परीक्षा नहीं की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

नीन्दकारा पुल

133. **श्री नि० श्रीकान्तन नायर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर नये नीन्दकारा पुल की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा और इसके कब पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) देरी के क्या कारण है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य की योजनाओं और प्राक्कलनों की छानबीन कर ली गई है और इसके निष्पादन के लिये शीघ्र ही स्वीकृति दे दी जायेगी । आशा है कि कार्य लगभग तीन वर्ष में समाप्त हो जावेगा ।

(ग) देरी योजनाओं, प्राक्कलनों और तकनीकी ब्योरों को अन्तिम रूप देने के कारण हुई ।

भारवाहक जहाज का डूब जाना

134. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "यूनियन एटलांटिक" नामक पानामा का भारवाहक जहाज, जो कि कलकत्ता और कोकानाडा से लोह अयस्क ले जा रहा था, 21 जून, 1964 को मद्रास पत्तन के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में डूब गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके डूबने का क्या कारण है और इसके डूबने से कितना नुकसान हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एस० एस० "यूनियन एटलांटिक" द्वारा प्रसारित किया गया विपत्ति संदेश 20 जून, 1964 को सुना गया था । जहाज के शेष 38 व्यक्ति जिनमें

मुख्यत: चीनी राष्ट्रजन थे "मैदान" नामक ब्रिटिश वाष्प यान द्वारा उठा लिये गये थे और उन्हें 23 जून को कोलम्बो में पृथवी पर उतार दिया गया था। यह पूर्वधारणा है कि यूनियन एटलांटिक अवश्य ही डूब गया होगा क्योंकि इसके पश्चात् समुद्र में चल रहे किसी भी जहाज से समाचार नहीं मिला है।

(ख) सम्भवत: जहाज के डूबने का कारण यह था कि कोई छेद हो जाने के कारण तले के फलके नं० 1 में जल भर गया था। जहाज में 8,500 टन लौह अयस्क था जो सारा ही बरबाद हो गया।

शस्य स्वरूप

135. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परिषद्, व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान, दिल्ली द्वारा भारत के शस्य स्वरूप का अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन सरकार को कब पेश किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) परिषद् एक गैर-सरकारी अनुसन्धान संस्था है और अपनी मर्जी से अध्ययन कर रही है। इसलिये इसके द्वारा सरकार को प्रतिवेदन पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सामुदायिक विकास खंड

136 **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हेम राज :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० बरूआ :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी दल द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सामुदायिक विकास खण्डों का वर्गीकरण जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाये जिससे कि कृषि उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाना संभव हो सके; और

(ख) यदि हां, तो सुझाव के कब क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि खण्डों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाए। इनमें से एक श्रेणी ऐसे खण्डों की है जहां कि खेती के गहन कार्यक्रमों को चालू किया जा सकता है और इसके लिये दल ने सुझाव दिया है कि इन खण्डों को निश्चित जल संभरण, अर्थात्, निश्चित सिंचाई अथवा निश्चित वर्षा के आधार पर चुना जा सकता है।

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया गया है कि वे गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड चुनते समय इस सुझाव को ध्यान में रखें।

Delimitation of Constituencies

137. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Law** be pleased to state the progress made upto 31st July, 1964 by the Delimitation Commission regarding the delimitation of constituencies for elections to State Legislatures and Lok Sabha on the basis of the last census ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen). The progress made by the Delimitation Commission in delimiting constituencies is as under:—

(i) the Delimitation Commission has completed the delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies in the States of Kerala and Madhya Pradesh and in the Union Territories of Goa, Daman and Diu as also Pondicherry;

(ii) the Delimitation Commission's draft proposals in respect of Andhra Pradesh were published on 25th February, 1964. Two public sittings have been held so far to hear objections and suggestions relating to six districts. The public sittings to hear objections and suggestions relating to the remaining 14 districts will be held soon and the delimitation completed;

(iii) the Delimitation Commission's proposals in respect of States of Madras and Orissa have been published on the 23rd June, 1964 and the 17th August, 1964, respectively. Objections and suggestions received from the public will be considered at public sittings to be held in due course;

(iv) the Delimitation Commission's proposals in respect of Mysore have been framed in consultation with the Associate Members except in regard to the Bangalore city corporation and the Hubli-Dharwar Corporation. The wards of these two corporations are being re-formed by the State Government;

(v) proposals in respect of the States of Maharashtra, and Punjab, and the Union Territory of Himachal Pradesh, are ready and after discussion with the Associate Members these will be published;

(vi) as regards the other States and Union Territories, the preliminary work of compilation of statistics, preparation of maps and drawing up of tentative proposals for discussion with the Associate Members is in progress;

(vii) the Delimitation Commission has not yet taken up the work of re-delimiting the Parliamentary constituencies for the Union Territory of Delhi.

तम्बाकू के लिये उर्वरक

138. **श्री कोल्ला वेंकैय्या** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में वर्जिनिया तम्बाकू क्षेत्रों और अन्य फसलों के लिये विभिन्न

राज्यों को ऐमोनियम सल्फेट और अन्य रासायनिक खादों की कितनी-कितनी मात्रा दी गई;

(ख) राज्यों के कोटे किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) जून, 1964 के अन्त तक विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी मात्रा दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ग). तम्बाकू की फसल पर इस्तेमाल के लिये आन्ध्र प्रदेश को कुल 10,000 मीट्रिक टन ऐमोनिया सल्फेट दिया गया था। चूंकि यह मात्रा 3-7-64 को दी गई थी इसलिये 30-6-64 तक संभरण करने का प्रश्न नहीं उठता। यह जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है कि आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उगाने वालों को छोड़ कर विभिन्न राज्यों और अन्य इस्तेमाल करने वालों को 30-6-64 तक तम्बाकू किस मात्रा में दिया गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3010/64**।]

(ख) विभिन्न राज्यों के कोटे निम्न बातों पर विचार करके निर्धारित किये जाते हैं :—

(एक) राज्यों से प्राप्त मांगें;

(दो) स्वदेशी उत्पादन और आयात के द्वारा कुल उपलब्ध मात्रा;

(तीन) राज्यों के पास पिछले स्टाक की शेष मात्रा;

(चार) गत वर्षों में राज्यों ने अपने कोटे समय पर उठाये या नहीं ; और

(पांच) किसी विशेष राज्य में उत्पादन के लिये योजनाबद्ध उर्वरक को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता।

मवेशी बीमा योजना

139. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 24 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 721 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने मवेशी बीमा पर तैयार की गई पाइलट मॉडल योजना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यह योजना अभी भी विचाराधीन है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों का संघ

140. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 28 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता सहकारी समितियों की संघ को स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच

राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3011 / 64**]

(ग) यह निर्णय किया गया है कि राज्य संघ उन राज्यों में स्थापित की जायें जिनमें 10 या इस से अधिक थोक स्टोर हैं अथवा जहां पर विद्यमान स्टोरों की कुल वार्षिक बिक्री 50 लाख रु० से अधिक हैं । मैसूर और मध्य प्रदेश में दो राज्य संघ पहले से ही रजिस्टर की गई हैं ।

कृषि संबंधी वस्तुओं की खरीद

141. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 28 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी विपणन समितियों द्वारा किसानों से पूर्ण कृषि उत्पाद को खरीदने की योजना पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) यह योजना 200 चुनी हुई विपणन समितियों में 1964–65 में और अन्य 300 समितियों में 1965–66 में लागू की जायेंगी । योजना मार्गदर्शी आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिये होगी । चुनी हुई विपणन समितियां सम्पूर्ण पैदावार की खरीद करेंगी जिससे कि यदि इस सौदे से कोई नुकसान हो तो वह पूरा किया जा सके । प्रत्येक चुनी हुई समिति अपने वार्षिक शुद्ध लाभ में से 10 प्रतिशत जमा करके एक मूल्य उच्चावधान निधि बनायेगी । सहकारी समितियों द्वारा योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष में खरीदी गई कृषि पैदावार के मूल्य का 2 प्रतिशत सरकार लेगी । सरकार का यह अंशदान चुनी हुई समितियों के लिये होगा परन्तु यह राशि प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी विपणन समिति के खाते में रखी जायेगी । योजना क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई है ।

शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र

142. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **विधि** मंत्री 1 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त

करने की सिफारिशों की क्रियान्विति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Air Accidents

143. **Shri Gulshan :**
Shri Ramachandra Mallick :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of air accidents which occurred from January to August, 1964;

(b) the number of persons who died as a result thereof ;

(c) whether any compensation has been given to the heirs of the deceased; and

(d) the steps taken to prvent such aircrashes in future?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) : (a) and (b). During the period from January to August, 1964, nineteen Indian registered aircraft and six gliders met with accident in India resulting in the death of four persons.

(c) The information is not readily available.

(d) All aircraft accidents and other potentially dangerous incidents are investigated and action is taken to remove any weakness that may be revealed by the investigation.

Election Petitions in Punjab

144. **Shri Gulshan** : Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of election petititons filed with the Election Tribunal in Punjab in connection with the elections held in 1962 for Legislative Assembly and Lok Sabha;

(b) the number of petitions decided upto September, 1964 and the number of petitions pending; and

(c) the reasons for the delay ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen): (a) The number of election petitions referred to Election Tribunals in respect of elections to the Punjab Legislative Assembly was 56 and that in respect of elections to Lok Sabha was 6.

(b) 11 election petititons in respect of elections to the Punjab Legislative Assembly were pending on the 1st September, 1964; the remaining 45 election petitions in respect of elections to the Punjab Legislative Assembly and all the

6 election petitions in respect of elections to Lok Sabha were disposed of before that date.

(c) The reasons for the delay are generally *interim* stay of proceedings before the Election Tribunals granted in writ petitions filed in the High Court in respect of interlocutory orders passed by the Election Tribunals, large number of witnesses cited for examination in the proceedings before the Election Tribunals, transfers of District Judges appointed as members of Election Tribunals and inability of members of the Election Tribunals to spare sufficient time for the tribunal work.

उपचुनाव

145. **श्री बड़े**: क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संसद् और राज्य विधान मण्डलों के लिये कितने उपचुनाव लम्बित पड़े हैं; और

(ख) चुनाव कब होंगे ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री म० कु० सेन) : (क) लोक सभा में 4, राज्य सभा में 1, राज्य विधान सभाओं में 10 और राज्य विधान परिषदों में 4 रिक्त स्थानों के लिये चुनाव होने हैं ।

(ख) राज्य सभा में एक रिक्त स्थान और विधान परिषदों में दो रिक्त स्थानों को भरने के लिये चुनाव हो रहे हैं । अन्य रिक्त स्थानों को भरने के लिये उपचुनाव यथासम्भव शीघ्र अक्तूबर और नवम्बर में किये जायेंगे ।

मोहनबाड़ी के लिए वाईकाऊंट विमान सेवा

146. **श्री जी० ना० हजारिका :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहनबाड़ी (डिब्रूगढ़) के लिये वाईकाऊंट विमान सेवा के स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि डिब्रूगढ़ में वाईकाऊंट विमान सेवा के अभाव में यात्रा करने वाले लोगों को काफी असुविधा हो रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मोहनबाड़ी हवाई अड्डे की मरम्मत हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो जब तक मोहनबाड़ी सेवायोग्य न हो जाय तब तक के लिये क्या छबुआ हवाई पट्टी से वाईकाऊंट विमान सेवा चलाई जा सकती है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) चूंकि धावन मार्ग की मरम्मत हो रही है इसलिये मोहनबाड़ी के लिये वाईकाऊंट विमान सेवा स्थगित करनी पड़ी ।

(ख) और (ग) जी हां

(घ) सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से छाबुआ हवाई अड्डा इस काम के लिये उपलब्ध नहीं है ।

पशुओं का चारा तैयार करने वाले कारखाने

147. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से भारत में पशुओं का चारा तैयार करने वाले कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे और किन-किन स्थानों पर ; और

(ग) इस समय यहां पर स्थापित ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) स्वयं खाद्य तथा कृषि संगठन की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती । यह संगठन केवल ऐसी परियोजनाओं को दिलचस्पी रखने वाली सरकारों/संगठनों के विचारार्थ रखता है जो लाभदायक सिद्ध हो सकती हो । खाद्य तथा कृषि संगठन के कहने पर, अकाल सहायता संबंधी आक्सफोर्ड समिति आनन्द, गुजरात राज्य, में पशुओं का चारा मिलाने वाले संयंत्र के लिये 302,500 डालर का सामान देने के लिये सहमत हो गयी है । इसी प्रकार की योजनायें आंध्र प्रदेश तथा मद्रास से भी प्राप्त हुई थीं जिन्हें खाद्य तथा कृषि संगठन को भेज दिया गया था । उन्होंने मंत्रणा दी है कि इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिये सहायता प्राप्त करना कठिन है और यदि हम चाहते हों तो वह छोटी योजनाओं के बारे में प्रयत्न कर सकता है । यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) सरकारी नियंत्रण में कोई ऐसा कारखाना नहीं है ।

बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग

148. **श्री मा० ल० जाधव :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बम्बई–आगरा सड़क पर, जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, यातायात की बहुत भीड़ रहती है और सड़क के उस भाग पर कई दुर्घटनायें हो जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क को भारी मोटर-गाड़ी यातायात संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) बम्बई तथा थाना के बीच बम्बई–आगरा सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग ३) पर यातायात लगभग 38,000 टन प्रति दिन है और महाराष्ट्र में थाना से परे यह लगभग 10,000 टन प्रति दिन है । यातायात की भीड़ होने के कारण वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है ।

(ख) महाराष्ट्र में 173 मील के इस राष्ट्रीय राजमार्ग में से 86 मील दोहरा मार्ग है और 87 मील केवल एक मार्ग । सड़क को चौड़ा करने, पटरी को चौड़ा करने, वर्तमान सतह को सुदृढ़ बनाने, जहां पुल नहीं हैं वहां उन्हें बनाने, भूसावल, धुलिया तथा अन्य कुछ गांवों के आस पास, जहां भीड़ अधिक रहती है, अतिरिक्त सड़कें बनाने तथा कुछ रेलवे

फाटकों पर अभीपुल बनाने संबंधी सुधार कार्य आरम्भ किये गये हैं। इन कार्यों पर कुल लागत 390 लाख रुपया आयेगी। इन में से कुछ काम तो पूरे किये जा चुके हैं और अन्य अभी किये जा रहे हैं। राजमार्ग के जिस भाग पर सब से अधिक यातायात रहता है वहां पर सुविधा की दृष्टि से हाल ही में एक चार पथ वाला भाग यातायात के लिये खोल दिया गया है। सड़क की मरम्मत आदि प्रत्येक वर्ष बराबर की जाती है।

कोंकन स्टीमर सेवा

149. **श्री कजरोलकर :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकन स्टीमर सेवा के बारे में महाराष्ट्र राज्य तथा बम्बई स्टीम नौपरिवहन समवाय के बीच विवाद हल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकन तटीय स्टीमर सेवा नियमित रूप से चालू रहेगी ;

(ग) क्या कोंकन सेवा को कोई अन्य समवाय चलाया करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस प्रकार का विवाद नहीं है, परन्तु बातचीत चल रही है और कोई अन्तिम निर्णय अभी नहीं निकला है ।

(ख) वर्षा-ऋतु वाले मासों के सिवाय अन्य मासों में स्टीमर सेवा पहले की तरह ही है ।

(ग) और (घ) कोंकन सेवा के लिये मैसर्स चौगूल स्टीमशिप लिमिटेड, गोआ, को ३ नये जहाज बनाने के लिये अनुमति दी गयी है। पहला जहाज नवम्बर, १९६४ में पहुंचने की आशा है। यह समवाय जो सेवा में चालू करेगा उसका ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

कृषि उत्पादन

150. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कृषि उत्पादन पर प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में और वर्ष 1961–62, 1962–63 तथा 1963–64 में कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) वर्ष 1950 में, प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय के अन्त में तथा 31 मार्च, 1963 को कितनी कितनी भूमि पर खेती की जा रही थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि उत्पादन एवं सम्बद्ध कार्यक्रमों पर, जैसे लघु सिंचाई, पशु चिकित्सा तथा मत्स्यपालन प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में और

तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में जो धन व्यय किया गया उसके प्राक्कलन निम्न प्रकार हैं :—

अवधि	व्यय किया गया धन
	(रुपये करोड़ों में)
1. प्रथम पंचवर्षीय योजना	206
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना	271
तृतीय पंचवर्षीय योजना	
1961–62 .	84@
1962–63 . .	98@
1963–64 (प्रत्याशित)	135@

. . अस्थायी

(ख)

अवधि**	क्षेत्र जिस पर खेती की गई
	(000 एकड़ां में)
(1) 1950–51 . . .	319,816
(2) 1955–56 (प्रथम योजना के अन्त में)	347,755
(3) 1960–61 (द्वितीय योजना के अन्त में)	357,233
(4) 1961–62	360,554

**(जुलाई—जून)

वर्ष 1962–63 संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना

151. **श्री शिवचरण गुप्त :**
श्री चाण्डक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्र को दूध को पैस्चोराईस करने तथा इसे दिल्ली में वितरित करने की प्रतिदिन की क्षमता कितनी है ;

(ख) वर्ष 1960, 1961, 1962 तथा 1963 में, क्रमशः, इस संयंत्र की कितनी क्षमता का प्रयोग किया गया ;

(ग) इस परियोजना पर पूंजी विनियोजन की मात्रा क्या है ;

(घ) उपर्युक्त वर्षों में इस मामले में कितना लाभ और हानि हुई ; और

(ङ) वर्ष 1971, 1976 तथा 1981 में इस साधन से दिल्ली की आवश्यकतायें पूरी होने की क्या सम्भावनायें हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक पारि के आधार पर एक दिन की क्षमता 3,750 मन या 1,36,360 लिटर है।

(ख) क्षमता का प्रयोग इस प्रकार किया गया :—

नवम्बर, 1959 से मार्च, 1961	37 प्रतिशत
1961—62	74 प्रतिशत
1962—63	96.85 प्रतिशत

(ग) 31—3—1963 को दिल्ली दुग्ध योजना में पूंजी विनियोजन इस प्रकार था :—

(1) लागत के अनुसार, भवनों के अतिरिक्त आस्तियां .	179.02 लाख रुपये
(2) भवन तथा वातानुकूलन संयंत्र	70.83 लाख रुपये

(घ) योजना घाटे पर चलती रही है । घाटा इस प्रकार हुआ :—

1959—61 . .	5.02 लाख रुपये
1961—62 . .	4.16 लाख रुपये
1962—63 . . .	10.64 लाख रुपये

उपर्युक्त घाटे पूंजी पर ब्याज के अतिरिक्त हुए। इन वर्षों में पूंजी पर ब्याज इस प्रकार था :—

1959—61 . .	4.39 लाख रुपये
1961—62	4.38 लाख रुपये
1962—63	6.34 लाख रुपये

(ङ) संयंत्र की अधिकतम आयोजित क्षमता 7,000 मन दूध प्रति दिन थी जिस के वर्ष 1966 तक प्राप्त होने की आशा है। बाद में इस क्षमता को 12,000 मन तक बढ़ाने का विचार है। तब भी दिल्ली की आवश्यकतायें अंशतः पूरी हो सकेंगी, जैसे कि इस समय होती हैं।

पशु पालन सम्बन्धी कर्मकारी दल

152. श्री मान सिंह पु० पटेल: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पशु पालन तथा डेयरी सहकारी संस्थाओं संबंधी कार्यकारी दल का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन विचाराधीन हैं।

उद्योगों के लिए चीनी का सम्भरण

153. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल, बनस्पति, और अन्य खाद्य परिरक्षण उद्योगों के लिए जो कि विदेशी विनियमन कमाती है को गत वर्ष में इसलिए कम उत्पादन के कारण हानि हुई है, क्योंकि समुचित चीनी की मात्रा उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को समुचित मात्रा में चीनी सम्भरण करने की दिशा में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हां जी, किसी सीमा तक यह ठीक है परन्तु इसका कारण सारे देश भर में ही चीनी का कम हो जाना है।

(ख) (1) जहां पर आवश्यक समझा गया राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी कि वे फल और वनस्पति परिरक्षण उद्योगों को अपेक्षित मात्रा में चीनी का सम्भरण करे।

(2) सेना को सम्भरण करने वाले फल और वनस्पति उत्पादों के लिए विशेष रूप से चीनी के सम्भरण की व्यवस्था की गयी।

(3) निर्यात के लिए फल उत्पादों के निर्माण के लिए, विशेष चीनी का कोटा उपलब्ध कराया गया था।

(4) 1964 में फलों के पूरे समय में फल तथा वनस्पति उद्योग के आवेदन पर केन्द्रीय सरकार से विशेष चीनी का कोटा सीधे रूप में इन परिरक्षण उद्योगों के लिए दो मास (मई–जून और जुन –जुलाई) तक के लिए स्वीकार किया ताकि राज्य सरकारों की सम्भरण मात्रा में कमी आ जाये तो पूरी हो सके।

पठानकोट—श्रीनगर वायु सेवा

154. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन के द्वारा चलायी जाने वाली पठानकोट—श्रीनगर के बीच चल रही नियमित वायु सेवा को समाप्त कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इससे यात्रियों को सामान्य रूप में क्या क्या कठिनाइयों तथा असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर उन पर्यटकों को जिन्हें काश्मीर जाकर वापिस आना होता है। विशेष रूप से उस समय जब कि मौसम खराब हो और जम्मू—श्रीनगर सड़क खराब हो जाय ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सेवा को पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) यह सेवा सितम्बर 1961 के बाद चालू नहीं की गयी ।

(ख) और (ग). अभी हाल अनुसूचित सेवाओं के चालन के लिये पठानकोट का हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं है ।

चीनी का निर्यात कोटा

155. **श्री चांडक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963 और 1964 के लिए चीनी का निर्यात कोटा कितना निर्धारित किया गया है ;

(ख) 1962–63, और 1964 में 31 जुलाई तक वास्तविक रूप में निर्यात की गयी मात्रा कितनी है ; और

(ग) रेलवे द्वारा मिलों से पत्तनों तक ले जाने में रेलवे भाड़े में जो रियायत दी गयी वह राशि कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :(क) और (ख). इस सम्बन्ध में जानकारी निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	निर्यात के लिए बेची गयी मात्रा (लाख टनों में)	भेजी गयी मात्रा (लाख टनों में)	अनुमानतः एफ० ओ० वी० मूल्य (प्रतिटन रुपयों में)
1962 . . .	4.24	3.73	397
1963	4.31	4.79*	676
1964	2.32	2.07** (31-7-64 तक)	842

*इसमें 50,000 टन 1962 में बिक्री भी शामिल है ।

**इस में 2460 टन 1963 में बिक्री भी शामिल है ।

(ग) कोई रियायत नहीं दी गयी थी ।

विधि शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन

156. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री रामहरक यादव :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगापुर में हाल ही में हुई दूसरे क्षेत्रीय विधि-शिक्षा सम्बन्ध सम्मेलन में भारत का अंशदान क्या रहा ; और

(ख) क्या सम्मेलन ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के प्रशिक्षण के लिए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने इस सम्मेलन में कोई शिष्टमंडल नहीं भेजा था। अतः भारत सरकार को इस सम्मेलन की कार्यवाही और निर्णयों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

Development of Agriculture

157. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have introduced an industrial licensing system for the development of agriculture; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan) (a) No.

(b) Does not arise.

Research on Earthquakes

158. **Shri Tan Singh**: Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of seismographic observatories working in the country for carrying out research in connection with earthquakes;

(b) whether any research has been made in the direction of forecasting earthquakes; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo) (a) At present there is a net-work of 19 seismological observatories in the country, for the collection of basic data relating to seismology, which is utilised also for research,

(b) No;

(c) Does not arise.

पटसन की कमी

159. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि इस वर्ष पटसन के उत्पादन में 40 प्रतिशत की कमी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण पटसन की फसल को बहुत हानि पहुंची है। इस समय यह सम्भव नहीं कि इस हानि का सम्भवतः कोई अनुमान प्रस्तुत किया जा सके। इस वर्ष का पटसन उत्पादन का अनुमान अखिल भारतीय अन्तिम अनुमान 1964–65 से प्राप्त होगा। और यह अनुमान दिसम्बर, 1964 तक प्राप्त हो सकेगा।

डमडम कलकत्ता हेलीकोप्टर सेवा

160. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डम डम कलकत्ता हेलीकोप्टर सेवा को चालू करने की प्रस्थापना किस स्थिति में है ।

(ख) क्या यह सेवा गैर सरकारी क्षेत्र में होगी ; और

(ग) इसे कब आरम्भ किया जायेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). कलकत्ता नगर से डमडम हवाई अड्डे तक हेलीकोप्टर सेवा की अर्थ व्यवस्था का अभी तक परीक्षण किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 13

161. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 13 को तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कुल व्यवस्था क्या है ; और

(ग) क्या योजना काल के अन्तर्गत इस के निर्धारित सारी राशि को खर्च कर देना सम्भव होगा ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, हां ।

(ख) 153 लाख के निर्माण-कार्य का कार्यक्रम है, उच्चतम खर्च की सीमा 75 लाख स्वीकृत की गयी है, ताकि तीसरी योजनाकाल में राष्ट्रीय राजपथ का समुचित सुधार कर लिया जाय ।

(ग) इन कार्यों की स्वीकृति हाल ही में दी गयी है अत: खर्च की कोई रिपोर्ट आज तक प्राप्त नहीं हो सकी । वैसे योजना काल के शेष समय में लगभग 50 लाख रुपये की राशि के खर्च े जाने का अनुमान है ।

ग्राम चुनावों में डाक द्वारा मत पत्र भेजना

162. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि भारतीय व्यापारी बेड़े के अधिकारियों और लोगों ने कुछ समय हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त को आवेदन पत्र दिया था कि उन्हें ग्राम चुनावों में डाक द्वारा अपने मत पत्र भेजने की दिशा में सुविधायें दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई निर्णय किया गया है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां ।

(ख) चुनाव आयोग का विचार है कि डाक द्वारा मतपत्र भेजने की व्यवस्था केवल व्यापारी बेड़े के व्यक्तियों के लिए करना ही काफी नहीं होगा, जबकि यह व्यावहारिक भी है। क्योंकि ऐसा करने से अन्य दिशाओं से भी यह मांग आने लगेगी। रेलवे कर्मचारी, आर० एम० एस० के लोग, यात्रा स्टाफ, एयरलाइन कर्मचारी इत्यादि, भी इन सुविधाओं की मांग करेंगे जो कि संख्या में कहीं अधिक हैं।

सहकारी क्षेत्र का विकास

163. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र के विकास की दिशा में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्षवार, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों ने वित्तीय व्यवस्था को कहां तक प्रयोग किया है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य उत्पादनों के कृषि कार्यक्रमों पर इस का क्या प्रभाव रहा है ; और

(ग) अनुमानित तथा वास्तविक कृषि उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) वित्तीय व्यवस्था का तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों का विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3012/64]। तथा योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे भी यथा शीघ्र पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग). कृषि में रसायनिक उर्वरक छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र काफी प्रगति के चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। गत चार वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन 78 से 81 मिलियन टन हो गया है। इस स्थिति के लिए मुख्यत: विपरीत मौसम जिम्मेदार है। इससे देश के 1/5 भाग पर प्रभाव हुआ है, इन्हें सिंचाई सुविधाओं का आश्वासन दिया गया है। 1960-61 से 1963-64 तक खाद्यान्नों का राज्यवार विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3012/64]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

मुखड में दो विदेशियों का एक विमान द्वारा अवैध रूप से उतरना

अध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री नाथ पाई का प्रस्ताव आज के लिए लम्बित रखा था। श्री हाथी के सभा में उपस्थित होने पर उसे लिया जायेगा।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)
RE: POINT OF ORDER (Query)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसी विषय का प्रश्न, मैंने सचिवालय को भेजा था जिस के लिए अनुमति नहीं दी गयी परन्तु आज उसी विषय के ध्यान दिलाने

वाले प्रस्ताव को लिया जा रहा है । यह भेदभाव क्यों किया गया है । क्या भिन्न भिन्न सदस्यों के लिये भिन्न भिन्न नियम हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह कहना कि भिन्न भिन्न सदस्यों के लिये भिन्न भिन्न नियम हैं—आक्षेप है । इस प्रकार के आक्षेप को मैं सहन नहीं कर सकता । मैं इस बारे में जांच कर के उत्तर दूंगा । उस के पश्चात् आप आपत्ति कर सकते हैं । यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सिक्किम में चीनी दस्ते का कथित अनधिकृत प्रवेश

श्री प्र० च० बरुआ (शिवसागर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"27 अगस्त, 1964, को चीनी गश्ती दस्ते का सिक्किम में कथित अनधिकृत प्रवेश ।"

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : सिक्किम के राज्य-क्षेत्र में 150 गज पर एक स्थान पर 6.30 बजे शाम 3 व्यक्तियों का एक चीनी गश्ती दस्ता देखा गया । एक भारतीय फौजी दस्ता तुरन्त भेजा गया जिसे देखते ही चीनी दस्ता वापिस चला गया । उस अवैध प्रवेश के सिलसिले में चीनी सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया है । उसी दिन शाम को 7.15 बजे नाथूला से 500 गज के फासले पर तिब्बत के राज्य-क्षेत्र में जबरदस्त रौशनी देखी गयी । इस स्थान के निकट एक कनात और 20 याक देखे गये । जून में हमारे गश्ती दस्ते द्वारा तंत्र-करला में 2 बंकर और नीली वर्दियों में 3 चीनी फौजी सिपाहियों को देखा गया । 20 अगस्त को गंगटोक से पूर्व की ओर लगभग 17 मील के फासले पर एक टूटी फूटी झौंपड़ी, चार पत्थर के स्तम्भ और 2 बंकर देखे गये । चीनी हमारी सीमाओं के साथ साथ अपनी फौजें जमा कर रहे हैं और संचार एवं हवाई अड्डों का विकास कर रहे हैं ।

श्री प्र० च० बरुआ : 1890 के ब्रिटिश-चीनी अभिसमय के अन्तर्गत सिक्किम तथा तिब्बत की सीमा दोनों पक्षों को स्पष्टतया मान्य है । उस सीमा की रक्षा करना और सिक्किम की स्वतन्त्रता की रक्षा करना भारत सरकार का उत्तरदायित्व है । इस अवैध प्रवेश सम्बन्धी घटना के बारे में हमने एक कड़ा विरोध-पत्र चीन सरकार को भेजा है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Have our Government increased their defence preperations in view of the increasing activities of China along Sikkim Borders.

श्री अ० म० थामस : हमने वहां पर अपनी सेना-शक्ति को और सुदृढ़ कर दिया है और सभी प्रकार से सावधानी बरती जा रही है ।

Shri Prakash Vir Shastri : There is some difference between the statement given by the hon. Minister and that given by the spokesman of the Defence Ministry. According to the statement of the Spokesman of Defence Ministry Chinese patrol intruded 21 miles into Sikkim.

श्री अ० म० थामस : सही स्थिति मैंने बताई है कि गगटोक के उत्तर-पूर्व में लगभग 14 मील के फासले पर उनके गश्ती दस्ते को देखा गया था ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : On a point of Order, Sir, Shri Shastri has raised a point that there is difference between the statements given by the hon. Minister here and by the Spokesman of the Defence Ministry.

Mr. Speaker : There is no difference between the two.

Shri Prakzsh Vir Shastri : According to the statement of the Spokesman of Defence Ministry they intruded 21 miles inside Sikkim and not 14 miles as said by the hon. Minister.

Dr. Ram Manohar Lohia : He has said yards and not miles.

श्री अ० म० थामस : अवैध प्रवेश जिस स्थान तक हुआ वह गंगटोक के उत्तर-पूर्व में लगभग 14 मील के फासले पर है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों वक्तव्यों में कोई अन्तर नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Spokesman of the Defence Ministry said that they intruded 21 miles inside our territory but our hon. Minister says a different thing.

श्री अ० म० थामस : मैं यह बता दूं . . . (अन्तर्बाधायें) मैंने बताया है कि सिक्किम में चुम्बी चाटी से अवैध प्रवेश किया गया । इस पर अनावश्यक तौर पर हंगामा (फ्यूरोर) पैदा किया जा रहा है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, whenever something is said from this side you admonish us. But when a Minister indulges in indecency he should also be treated like-wise. Why should the hon. Minister use the words 'unnecessary' furore. If they start talking in these terms we will also pay back in the same cvin.

Mr. Speaker : It will be defficult to donduct the proceedinge of the House that way.

श्री अ० म० थामस : ठीक स्थिति केवल मानचित्र देख कर ही सुनिश्चित हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य मन्त्री के साथ बैठ कर मानचित्र को देखें ।

Shri Bade (Khargone) : when did the Goverment get information regarding theand intarion and when were ourmen sent teere ?

श्री अ० म० थामस : यह घटना 27 अगस्त, को हुई और सामान्यतया हमें उसी दिन या उससे अगम्लू दिन सूचना प्राप्त हो जाती है । हमने और जानकारी प्राप्त कर के 5 सितम्बर को विरोध-पत्र भेजा था ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या चीनी फौजी सिपाही उस 150 गज़ के क्षत्र से पीछे हट गये हैं ?

श्री अ० म० थामस : ज्यों ही हमारा गश्ती दस्ता वहां गया वह गायब हो गये ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या इन चीनी गतिविधियों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि निकट भविष्य में सिक्किम की वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप होने वाला है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अ० म० थामस : चीन के इरादे क्या हैं इस बात की हमें जानकारी नहीं है परन्तु इस विषय में हम पूरी सावधानी से काम ले रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस अवैध प्रवेश को देखते हुए और सिक्किम की सीमाओं पर बढ़ती हुई चीनी गतिविधियों की दृष्टि से क्या सरकार भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा की गयी इस घोषणा को दोहरायेगी कि सिक्किम के विरुद्ध किया गया आक्रमण भारत के विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा और उसका इसी दृष्टि से मुकाबला किया जायगा ?

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही कहा है कि यह हमारा उत्तरदायित्व है ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या सरकार यह बताने के लिये तैयार है कि सिक्किम पर किये गये हमले को भारत पर किया गया हमला समझा जायगा ?

श्री अ० म० थामस : इस सिलसिले में सन्देह की गुंजाइश नहीं है । चूंकि यह हमारी जिम्मेदारी है इसलिये हमने चीन सरकार को विरोध-पत्र भेजा है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--जारी

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री नाथपाई (राजापुर): जो वक्तव्य माननीय गृह मन्त्री द्वारा परिचालित किया गया है इस से वाल्कॉट के मामले के किसी नये पहलू के बारे में जानकारी नहीं मिलती ।

अध्यक्ष महोदय : हमें तो केवल यह देखना है कि अविश्वास-प्रस्ताव पर अब निश्चित तौर पर चर्चा होगी इसलिये क्या यह प्रस्ताव ग्राह्य है ।

श्री नाथ पाई : यह विषय अविलम्बनीय महत्व का है । प्रक्रिया नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव अविलम्बनीय महत्व के विषय पर चर्चा में बाधक नहीं होता । अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय सरकार की बड़ी बड़ी असफलताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जायगा परन्तु यदि इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर चर्चा होती है तो एक विशेष घटना की ओर ही ध्यानाकृष्ट किया जायगा । इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव नियमों में दी गयी सभी शर्तों को भी पूरा करता है । इसलिये इस विषय पर, जो सुरक्षा के मामले में सरकार की पूर्ण असफलता का द्योतक है, चर्चा करने से सभा को वंचित न किया जाय ।

मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सभा में चर्चा अवश्य मिले । इसका एक कारण यह भी है कि गत् वर्ष जब वालकॉट सम्बन्धी मामला सामने आया तो मुझे अपना कर्त्तव्य पालन करने पर बहुत बुरा-भला कहा गया था । परन्तु वालकॉट ने साबित कर दिया है कि वह भारत में किसी भी स्थान पर उतर सकता है । क्या यह घटना देश के लिये अत्यन्त निन्दनीय नहीं है और संसद् के लिये अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है । सुरक्षा के मामलों को हमें दल के सम्मान का मामला नहीं बनाना चाहिए । यह मामला हम सबसे सम्बन्धित है । सरकार देश की सुरक्षा के मामले में असफल रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अविश्वास प्रस्ताव को इसके मार्ग में बाधक न बनने दिया जाय । इस मामले को उठाना मेरे लिये उस कारण और भी अनिवार्य है कि मुरुड़ मेरे जिले में स्थित है ।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि यह सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय है और इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। परन्तु अन्य नियम भी हैं जिन का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस मामले की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परन्तु अ यदि अविश्वास प्रस्ताव किसी विशेष आधार पर दिया गया होता तो निश्चय ही मैं इसे अलग से लिये जाने की अनुमति दे देता। अविश्वास प्रस्ताव जिस रूप में लिया जा रहा है उस पर सरकार की सभी असफलताओं पर चर्चा हो सकेगी। इसलिये माननीय सदस्य उस अवसर पर इस विषय पर खुले तौर चर्चा कर सकते हैं। मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि श्री नाथपाई को उस समय बोलने का अवसर अवश्य मिले। साथ साथ मैं माननीय मन्त्री से भी कहूंगा कि वह अपना उत्तर देते समय इस विशेष मामले के हर पहलू पर रौशनी डाले। नियम के अनुसार मुझे यह भी देखना है कि सदस्य को कोई मामला उठाने का अवसर मिलने की सम्भावना है या नहीं। इस विशिष्ट मामले में अवसर मिलने का सम्भावना का प्रश्न ही नहीं चूंकि चर्चा के लिये तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब चूंकि सदस्य को एक मामला सभा में उठाने का अवसर मिलने वाला है इसलिये मुझे खेद है कि मैं इस प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है। स्थगन प्रस्तावों एवं अविश्वास प्रस्तावों के लिये दो भिन्न नियम हैं चूंकि स्थगन प्रस्ताव एक अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता। अध्याय 9 स्थगन प्रस्तावों से सम्बन्धित है और अध्याय 17 अविश्वास प्रस्तावों के बारे में। नियम के अनुसार स्थगन प्रस्ताव, यदि उसके लिये अनुमति दे दी जाती है, तो उसी दिन 4 बजे या उससे भी पहले लिया जाना चाहिए, जबकि अविश्वास-प्रस्ताव जिस दिन उसके लिये सभा से अनुमति मांगी जाती है उससे 10 दिन के अन्दर अन्दर लिया जा सकता है। इसलिये नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्तावों का महत्व अधिक है।

यदि इस मामले को अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा के समय उठाया गया तो यह अन्य मामलों में दब कर रह जायेगा। उस हालत में इसको इतना महत्व नहीं दिया जा सकेगा।

श्री नाथपाई : यह महत्वपूर्ण मामला है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तो इससे इस मामले पर विचार करने का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। यह ऐसा मामला है इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मेरा भी यही मत है कि इसका अविश्वास प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा यही विचार है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता केन्द्रीय) : अविश्वास प्रस्ताव के कारण श्री नाथपाई के प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इससे तो वे भी काफी परेशान हुए हैं जिनका सरकार में बहुत ही विश्वास है। अतः इसे स्वीकार करना सदन के बहुमत के हित में है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरे विचार में तो वे लोग भी जो अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थक नहीं हैं इस मामले पर चर्चा करना चाहेंगे, अतः यह बात अलग महत्व की है।

Shri Bade (Khargon) : You cannot call an adjournment motion. This adjournment motion should be accepted.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न देना बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है । इससे तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : इस स्थगन प्रस्ताव पर अविश्वास प्रस्ताव से पहले विचार होना चाहिए ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : इस स्थगन प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव के साथ मिला कर आप माननीय सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि शीघ्र ही अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होने वाला है और उस समय सरकार की सभी प्रकार की असफलताओं पर विचार हो सकता है । तथापि, मैं अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा के दौरान इसके लिए ढाई घंटे का समय पृथक रूप से नियत करने को तैयार हूं ताकि इस मामले पर विशेष रूप से विचार किया जा सके ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत और चीन के बीच नोटों (पत्रों) का विनिमय

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से निम्न-लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा 5 सितम्बर, 1964 को भारत में चीन के दूतावास को दिये गये नोट की एक प्रति ।

(2) दिनांक 7 जुलाई, 1964 के चीनी विदेश मंत्रालय के नोट के उत्तर में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा 5 सितम्बर, 1964 को भारत में चीन के दूतावास को दिये गये नोट की एक प्रति ।

(3) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, पीकिंग द्वारा 7 जुलाई, 1964 को चीन में भारत के दूतावास को दिये गये नोट की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2994/64 ।]

विवरण दो विमान निगमों के कर्मचारियों के मजूरी प्रश्न की छान-बीन करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति न बनाना

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं 24 मार्च, 1964 को लोक सभा में परिवहन मंत्री की घोषणा के अनुसार दो विमान निगमों के कर्मचारियों के मजूरी के प्रश्न की छानबीन करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति न बनाने और एयर इंडिया के कर्मचारियों के मांग पत्र पर न्याय निर्णय के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्याय अधिकरण स्थापित करने के सरकारी निश्चय के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2995/64 ।]

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की धारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 24 अक्तूबर, 1963 के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ 12/64/62-पी आर (टी) ।

(दो) दिनांक 14 मार्च, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 869 में प्रकाशित अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग (संशोधन) नियम, 1964 । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2785/64 ।]**

(तीन) वणिक् नौवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उप धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 11 अप्रैल, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 589 में प्रकाशित वणिक् नौवहन (यात्री जहाजों के सर्वेक्षण प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र) नियम 1964 की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2944/64 ।]**

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम 1940 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 27 फरवरी, 1964 के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० 12(76)/60—62—परिवहन एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2996/64 ।]**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं निम्नलिखित की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक्ट, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 25 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1058 में प्रकाशित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक्ट, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 14 मार्च, 1963 से 31 मार्च, 1963 तक की अवधि के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के, लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित प्रमाणित लेखे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2997/64 तथा 2998/64 ।]**

1964–65 में प्राप्त किये गये केन्द्रीय सरकार के ऋणों के परिणाम सम्बन्धी एक विवरण

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं 1964–65 में प्राप्त किये गये केन्द्रीय सरकार के ऋणों के परिणाम सम्बन्धी एक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2999/64**]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : श्री शाहनवाज खां की ओर से मैं आवश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 6 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1933 में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1964।

(दो) दिनांक 13 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2017 में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1964।

(तीन) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2610 में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1964।

(चार) दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2789 में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1964 [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3000/64**]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिनांक 30 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर0 818 में प्रकाशित चावल (मद्रास) मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1964।

(2) दिनांक 30 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर0 819 में प्रकाशित चावल (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (पांचवां संशोधन) आदेश, 1964।

(3) दिनांक 6 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 841 में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1964।

(4) दिनांक 13 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 857 में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल वसूली (शुल्क) तीसरा संशोधन आदेश, 1964।

(5) दिनांक 27 जून, 1964 का जी० एस० आर० संख्या 931 जिसके द्वारा मद्रास चावल वसूली (शुल्क) आदेश, 1964 को रद्द किया गया है।

(6) दिनांक 27 जून, 1964 का जी० एस० आर० संख्या 932 जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश धान (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1964 को रद्द किया गया है।

[श्री दा० रा० चव्हाण]

(7) दिनांक 27 जुलाई, 1964 का जी० एस० आर० 1064 जिसके द्वारा चावल (मद्रास) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1964 को रद्द किया गया है ।

(8) दिनांक 31 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1098 में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) आदेश, 1964।

(9) दिनांक 31 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1099 में प्रकाशित मद्रास मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) आदेश, 1964 ।

(10) दिनांक 31 जुलाई, 1964 का जी० एस० आर० 1101 जिसके द्वारा चावल (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 रद्द कर दिया गया है ।

(11) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1102 में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (पांचवां संशोधन) आदेश, 1964।

(12) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1103 में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1964।

(13) दिनांक 7 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1130 में प्रकाशित बिहार खाद्यान्न (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1964।

(14) दिनांक 5 अगस्त, 1964 का जी० एस० आर० 1132 ।

(15) दिनांक 5 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1133 में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1964।

(16) दिनांक 7 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1136 में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) संशोधन आदेश, 1964।

(17) दिनांक 15 अगस्त, 1964 का जी० एस० आर० 1159।

(18) दिनांक 29 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1218 में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) छटा संशोधन आदेश, 1964 । [पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 3000/64 ।]

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सुब्रह्मण्यम् द्वारा 7 सितम्बर, 1964 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेंगे :

"कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय ।"

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : 1963–64 के वर्ष के आरम्भ से ही कीमतें बढ़ रही हैं। मंत्री महोदय ने इस दिशा में कोई स्पष्ट बात नहीं बताई। केवल उत्पादन की ही बात कही गयी है। विदर्भ जिले महाराष्ट्र में विलय हो जाने और क्षेत्रीय व्यवस्था लागू किये जाने के बाद विदर्भ में प्रमुख खाद्यानों के संभरण की स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। भंडारा जिले में पैदा होने वाला अधिकांश चावल और बाकी जिलों में पैदा होने वाली जवार की फसल करने के तुरन्त बाद बम्बई भेज दी जाती है। इसलिए जवार उत्पादन करने वाले जिलों में इसका संभरण कम रहता है। राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप विदर्भ जिले को, जो सैंकड़ों वर्षों से छतीसगढ़ से चावल के सम्भरण पर निर्भर रहता रहा है, अपने उपभोग के लिए उन जिलों से कुछ नहीं मिल रहा है। गेहूं के वितरण की क्षेत्रीय व्यवस्था के फलस्वरूप नागपुर और विदर्भ के कस्बों में गेहूं के दाम बहुत अधिक हैं।

मंत्रालय द्वारा परिचालित समीक्षा में यह बात ठीक ही कही गयी है कि प्रत्येक राज्य की केवल अपने हितों पर ही ध्यान देने की प्रवृत्ति से कमी वाले राज्यों की कठिनाइयां बढ़ी हैं। राज्यवार जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उनसे राष्ट्रीय एकता को भी खतरा अनुभव किया जा रहा है। इसका उचित उपाय केवल एक है कि कुछ राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार किया जाय। और इस तरह की बातों पर समुचित रूप से ध्यान देकर उसके पश्चात्, उन क्षेत्रों में रहने वाली जनता के जीवन और खुशी से अधिक सम्बन्ध है। इन क्षेत्रों में विभिन्न एकक बनाये जाने चाहिएं। केवल भाषा के आधार पर और इसी तरह के अन्य आधारों पर किसी भी प्रकार के पृथक एकक न बनाये जायें।

खाद्य समस्या के सम्बन्ध में वर्तमान कठिनाई मुख्य रूप से इस कारण है कि सरकार ने इस समस्या का महत्व बहुत देर के बाद महसूस किया है। आशा करनी चाहिए कि नयी सरकार आवश्यक कदम उठायेगी और सभी समस्याओं पर ध्यान देगी।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : आज सारे देश में यह अनुभव किया जा रहा है कि हम बड़े भारी खाद्य संकट में से गुजर रहे हैं। आज का संकट इस प्रकार का है कि 1943 के बाद इस प्रकार का संकट कभी नहीं देखा गया। सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी कृषि योजनायें नितान्त असफल रही हैं। हो सकता है कि यह बात सच हो लेकिन हमें यह भी अनुभव करना चाहिये कि सरकार के लिये अपनी योजनाओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र के विकास के रास्ते में बहुत ही कठिनाइयां आई हैं अन्य देश भी इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं। इस दिशा में रूस और चीन भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सके। केवल अमरीका ही एक ऐसा देश है जिस ने कृषि समृद्धि प्राप्त की है। हमें यह याद रखना चाहिये कि कृषि विकास औद्योगिक क्रान्ति से ज्यादा कठिन चीज है। हमारे देश का 70–80 प्रतिशत आबादी कृषि के अन्तर्गत आती है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनका कि खाद्य स्थिति पर विचार करते हुए ध्यान रखा जाना चाहिये।

लगभग 6 वर्ष हुए खाद्यान्न जांच समिति की स्थापना सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये की गयी थी कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय। उसकी सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी कि हमें अभी आत्म निर्भरता के धोखे में नहीं रहना चाहिये और निरन्तर बाहर से अनाज मंगवाते रहना चाहिये। मेरा निवेदन है कि सरकार को एक बड़ा अनाज भंडार बनाने के लिये कदम

[श्री अ० चं० गुह]

उठाने चाहिये ताकि ठीक प्रकार से खाद्यान्नों के मूल्य और सम्भरण पर नियंत्रण रखा जा सके। यह भण्डार अनाज का आयात करके ही समाप्त किया जा सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और लगभग प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि कोई कम नहीं है लेकिन यह हमारी आशा और आवश्यकता से बहुत कम है। यद्यपि वर्ष 1963-64 में पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन बढ़ा है, परन्तु बाजार के संभरण में लगभग 20 प्रतिशत की कमी हुई है। किसानों में अनाज जमा रखने की शक्ति आ गयी है और जब उनसे आशा की जाती है तो वे अपनी उपज को, बाजार में नहीं भेजते। लेकिन प्रमुख बात तो यह है कि निजी व्यापारियों द्वारा अनाज जमा किया जाता है। सरकार को इस समस्या को सख्ती के साथ सुलझाना चाहिये।

सरकार पर यह आरोप ठीक ही लगाया गया है कि यह निजी व्यापारियों को उचित नियंत्रण में रखने में असफल रही है। लोगों के दिमाग में यह सन्देह है कि सरकारी अधिकारी निजी व्यापारियों के साथ सहानुभूति दर्शाते हैं। सरकार को इस बारे में बड़ा सतर्क रहना चाहिये और इसमें कोई ढील नहीं दिखानी चाहिये।

आज प्रवृत्ति यह है कि सरकार जिस वस्तु पर नियंत्रण लगाना चाहती है वह बाजार से लोप हो जाती है। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हो रहा है। यदि सरकारी अधिकारी सत्यनिष्ठा से कार्रवाई करते तो स्थिति में सुधार हो गया होता।

सरकार जब तक छिपे हुए काले धन के बारे में प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं करती, हमारे देश की समूची अर्थ व्यवस्था के लिये और अधिक विकट संकट बने रहेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि किसानों को अधिक मूल्य देने से उपभोक्ता को भी कष्ट न उठाना पड़े। इसके लिये सरकार को बिचोलियों को समाप्त करने के लिये कदम उठाने चाहियें।

यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में विद्यमान गम्भीर खाद्य संकट के समय मुनाफाखोरी और जमाखोरी चल रही है। सरकार को इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहियें। सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे खाद्यान्नों के मूल्य सारे देश में प्रायः समान हो जायें। सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कमी वाले राज्यों में खाद्यान्नों का संभरण प्रायः उसी भाव पर किया जाये जिस पर कि वे खाद्यान्न फालतू उपज वाले क्षेत्रों में बिकते हैं।

अब मैं अन्य बातों की ओर आता हूं, जहां पर कि सरकार असफल रही है। गत दिसम्बर से कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार का ध्यान उसकी ओर जाना चाहिए था। परन्तु हुआ यह कि वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी उदार ऋण नीति की घोषणा कर दी। अखबारों में इस पर आलोचना हुई। इसके अतिरिक्त वह धन भी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है उसके सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है। सम्भव है कि हमारी सारी अर्थ-

व्यवस्था के लिए ही भारी संकट पैदा हो जाय। यह सब जमाखोरी बैंक एडवांस मिलने के कारण ही हुई है। आज जबकि कीमतें बढ़ रही हैं इस बात पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

खाद्यान्नों के मूल्य देशनांक बढ़ रहे हैं और दो कृषि वर्ष खराब गये हैं। मैं इस बात पर अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को ऋण सम्बन्धी नीति को उदार नहीं बनाना चाहिए। कृषि ऋण इस ढंग से दिया जाना चाहिए कि यह कृषि में ही लगे और जमाखोरी तथा अन्य कार्यों में न लगने पाये। हमारे देश में प्रति एकड़ उपज सबसे कम है। अतः सरकार को इस दिशा में अवश्य कोई पग उठाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता खाद्य समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

इन सब कार्यों के लिए सिंचाई योजनायें बनायी जानी चाहिए। हमें इसके लिए बड़ी सिंचाई योजनाओं की अपेक्षा है। हम दामोदर घाटी निगम का नाम 1947-48 से सुन रहे हैं परन्तु इस पर भी पता नहीं कितना पानी अब तक उससे प्राप्त हुआ है। इस दिशा में छोटी सिंचाई की परियोजनायें बहुत कुछ कर सकती हैं। जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है हमने तीसरी पंच वर्षीय योजना का 40 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरा विचार है कि वित्त मंत्रालय उर्वरकों के निर्यात के लिए संकोच नहीं करेगा, ताकि प्रति एकड़ उपज तो बढ़ाई जा सके। इससे सामान्यतः कृषि उत्पादन में प्रगति होगी।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : सरकार की खाद्य नीति से कुछ निहित हितों को ही लाभ प्राप्त हो रहा है। सरकार की ओर से खाद्य स्थिति पर पुस्तिका दी गयी है। उसमें आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। मेरा निवेदन है कि आंकड़े प्रस्तुत करके लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। ऐसा लगता है कि इस प्रकार की खाद्य नीति जानबूझ कर बनाई गयी है। सरकार ने इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करने का अपना वचन पूरा नहीं किया। जनता से सहयोग मांगने से पूर्व सरकार को अपना वचन निभाते हुए इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

इस दिशा में जो भी कदम उठाये जायें वे बड़े स्पष्ट होने चाहिएं। इन उठायें जाने वाले पगों के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि दक्षिण भारत में स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गयी है। न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के फलस्वरूप, विशेषतः दक्षिण में खाद्यान्न मंडी से बिलकुल गायब हो गये हैं। मूल्यों में बेहद वृद्धि हो गयी है। सरकार को इस के बारे में तुरन्त कदम उठानें चाहिएं। उचित मूल्य वाली दुकानें सरकार को खोलनी चाहिएं। इन दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए।

कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार को इस दिशा में कुछ प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए ताकि कीमतों को बढ़ने से रोका जाय। परन्तु हो यह रहा है कि बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के स्थान पर सरकार उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने सरकार की इन नीतियों के विरुद्ध आन्दोलन किया है। शायद सरकार यह समझती है कि उनके कारण मूल्य बढ़े हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह कि किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जो प्रोत्साहन पहले दिये गये थे वे भी वापिस ले लिये गये हैं। किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। किसानों को प्रोत्साहन दिये बिना खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। सरकार लोगों को खेती योग्य भूमि देने में असमर्थ रही है। मेरा निवेदन है कि इतनी भमि बेकार पड़ी है कि उसे बेकार

[श्री अ० क० गोपालन]

लोगों को दे दिया जाय तो उत्पादन में वृद्धि हो सकती है । परन्तु खेद है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया ।

इसके अतिरिक्त मेरा कहना यह है कि खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए । सरकारी क्षेत्र में तो इन सिफारिशों को लागू करने की सिफारिश तो भारतीय श्रम सम्मेलन ने कर ही दिया है । अतः इन्हें तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिए । यदि ऐसा न किया गया तो गैर सरकारी क्षेत्र में भी ये कार्यान्वित न हो सकेंगी । भमि सुधार कानून की त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए । यदि भूमि सुधारों को स्थगित कर दिया गया तो खाद्य समस्या पर इसका बहुत ही प्रभाव होगा ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जमा किया हुआ खाद्यान्न बाहर निकाला जाना चाहिए और उसका लोगों में समुचित ढंग से वितरण होना चाहिए । बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । और अनाज का व्यापार सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए । साथ ही खाद्यान्नों की खरीद पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए ।

अन्त में मेरा यही कहना है कि देश विगत सत्रह वर्षों से भूखा मर रहा है, यदि यही स्थिति रही तो हालात बहुत खराब हो जायेंगे । राज्य सरकारों पर एकाधिकार वाले व्यापारियों का नियंत्रण है । और वे लोग नहीं चाहते कि कुछ हो । डर है कि हालात और बिगड़ जायेंगे ।

Shri M. P. Mishra (Begusaria): Rising of food prices has created a crisis in the country. We must look at it with realist eye. Sometimes when the difficulties come they bring in some good result. The China's invasion also has done one good, *i.e.* we rose like one man. And the strength of unity that we showed at that time is probably unparallel in the history of the country. If the present food crisis awakens us from lethargy. I think we should welcome it. This is a warning which we must boldy accept. I think there is some mistake somewhere.

But I know the real cause of this crisis is due to imbalances in our economic planning. That is the root cause of the whole disease. Government should have given top priority to agriculture in the Third and Fourth five year Plans. I admit that Industrialization is very necessary, but the balance between the industries and agriculture must be kept up. We are concentrating on heavy industries, and with this the inflationary conditions are bound to be created.

This is not in India alone, in almost all the under developed countries of the world the problem of agriculture is the foremost. Agriculture should be made more attractive so that the literate people might also feel tempted to take up farming as a vocation. The peasants should be reassured about the security of their tenure. Steps should be taken to ensure remunerative prices to the farmers. Another problem is the increasing population of the country. This is a great threat to the country's food situation. I urge upon the Government to adopt effective measures to control the situation.

With the rise in food prices the Communists in their wisdom started agitation known as 'Bharat Band', 'Bengal Bind' and Bihar Band' etc.

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : एक औचित्य प्रश्न है। खाद्य स्थिति पर चल रही चर्चा के दौरान माननीय सदस्य 'बंगाल बांध', 'बम्बई बांध आदि की चर्चा कर के साम्यवादी दल को आरोपित कर रहे हैं। हड़ताल साम्यवादी दल द्वारा नहीं की गई थी . . . (न्तर्बाधायें)

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

Shri M. P. Mishra : These people are insistent today that we should adhere to the policies pursued by late Shri Jawahar Lal Nehru, but these are the very people who will take full advantage of any critical situation in the country. Tomorrow they might ridicule Shri Jawahar Lal Nehru. But our party and our Government cannot be entrapped by their clever-trickings. The Communists are traitors.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। वह साम्यवादियों को देशद्रोही नहीं कह सकते। उन्हें यह शब्द वापिस लेने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को किसी को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। वह इस शब्द को वापिस लें।

श्री म० प्र० मिश्र : मैं ने किसी सदस्य को देश द्रोही नहीं कहा। यदि कोई सदस्य ऐसा समझता है तो मैं इस शब्द को वापिस लेता हूं।

The problem that is facing us is that educated people are not inclined to take to agriculture. Unless we are able to change their psychology, little progress can be expected in the field of agriculture. And for that purpose, agriculture needs the assistance of Government. Production can be increased only by rendering extensive help to the farmers and by transforming the outlook of our educated youth.

We have no objection to land reforms policy and to ceiling on land holdings as such but we must change our approach to this problem. Today there is the sense of insecurity pervading the minds of farmers, for, they are not sure whether the lands which they possess at present will remain with them or not. The Government should take action promptly and remove the sense of insecurity from their minds. The slogan of collective farming is fraught with dangers as we know that this system of farming has proved abortive in certain countries.

Adequate attention has not been paid to the question of checking population growth. The Government should pay more attention to this problem.

The formation of Samyukta Socialist Party is a regrettable incident. These people are trying to create anarchy by pursuing the path of Communists. Such people should also be treated as anti-social elements like profiteers and hoarders.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Ever since the formation of this Government food crisis and the problem of high prices have been the constant features. It seems that it is impossible to solve these problems until this Government is in existence. The Minister-beaurocrat-big trader triangle has played a big role in worsening the food situation. wasteful expenditure and inflationary measures have increased prices. 1200 crores of rupees can be saved and spent on productives sources if a ceiling on individual income is fixed at Rs. 1000/- a month. Import of foodgrains on large scale has checked indigenous production. In our efforts to earn foreign exchange prices of articles have gone high in the country. Speculation in foodgrains and our credit policy

[Shri Ram Sewak Yadav]

have affected adversely our economic life. Dual price policy in regard to foodgrains has resulted in starvation and profiterring. Unless this Government pays attention to these factors food situation cannot be eased.

The food situation has worsened throughout the country. No foodgrains are available even at fair price shops. Some of the hon. Members said that food problem should not be mixed up with politics. I want to ask what do we then mean by politics. Does it mean corruption, increasing prices and protection of profiteers.

For the last 18 years Government have been planning to check the recurrence of floods and to increase food production, but when a particular Minister fails in his policy he is thereafter given a higher post elsewhere. That shows that the ruling party has itself made it a political issue.

This Government looks after the interests of a handful of people but it ignores the problems of the masses. Masses are dying of starvation and if somebody disagrees with this statement he should compare the death rate and mortality rate of this country with those of the other countries.

Foodgrains are imported under PL 480 from U. S. A. with political motives. Then fair price shops are opened. But the worst part of the story is that licences to open such shops are given to those who have some pull with the Officers. The licensees become the agents of M.Ps., and M.L.As. and secure votes for them. These licensees sell half of their quota of foodgrains at shops and the other half they dispose off in black market. When complaints are lodged no heed is paid to them. Here was a case in Delhi which was reported in 'Vir Arjun' of 20th August, 1964. Some articles were sent out deceitfully. A complaint was lodged in that regard. Shri Nanda ordered an enquiry into that case. But in the meantime, speculation was banned and all those guilty of offence were not arrested because they had the backing of some big congress leader who is an M.P. I will give another instance. Rajasthan is a scarcity area and maize is consumed in abundance there. Some big traders approached the Chief Minister, offered some contribution, and sought his permission for the export of maize, which he gave. When an objection was raised by some Member in the State Assembly about the contribution so accepted, the Chief Minister said that the sums so obtained had been spent on some hostel that was being built for the students of the nearby areas.

Our farmer never gets fair price for his produce. At the time of crops ninety per cent of them sell their produce at cheaper prices. Thereafter prices began to rise and the stockists and hoarders take away all the advantage of the increased prices. But our ruling party presents this picture in such a way that a conflict arises between the producer and the consumer. They do not try to find out the real culprits. They say that the farmers are holding back their produce which has resulted in scarcity of food. But, in fact, their produce is taken away by the stockists and capitalists at cheaper prices. In order to bring foodgrains in the market the godowns of the stockists should be raided. Had there been really a scarcity the foodgrains would not have been available in black market and at higher prices. This Government is playing into the hands of profiteers and capitalists. It is unfair on the part of our Prime Minister to issue warnings to the hoarders before hand. He has in a way alerted them. Food problem can be solved if proper action is taken against the hoarders and profiteers. Instead of importing foodgrains under PL 480 the Government should try to import such equipment as may help our farmers in increasing production.

There is no use raising the slogan of Socialism. I want to know what have our Government done to assist and encourage our farmers? U.S.A. is a capitalist country but they give much more assistance and facilities to their producers in Comparison.

If we are serious about solving food crisis, the Government will have to do much for the farmers. Land reform measures should be implemented. The Government will have to inculcate a new sense of respect for the labour.

The Government should give figures showing lands allotted to landless people in various States under Land Ceiling laws. The Government are unable to show that production has really increased as a result of increased irrigation facilities. The increased rates of irrigation has proved burdensome for the farmers,

We are not opposed to State Trading in foodgrains. But the purpose of of State Trading in foodgrains ought to be to make available foodgrains to the masses in ample quantities and at cheaper rates.

The water relates should be decreased. There should be no uneconomic holdings. Iron and cement should be made available to the farmers at cheaper rates. The prices of essential goods that they require should also be made available to them at lesser rates. There ought to be some proportion and parity in the prices of their produce and those of other essential goods required by them. But as things are to day, there is no balance in the policies of this Government.

The opposition parties are prepared to extend their fullest cooperation to the Government, provided it works on right lines and takes action against the hoarders, profiteers and Capitalists. The Government should try to avert the Satyagraha that is due to be launched on 25th of September by taking appropriate measure regarding the food crisis and high prices.

This Government has failed to solve food problem and it has no right to exist morally, legally and by any canons of justice.

Shri D. D. Mantri (Bhir) : In the booklet that Government have distributed it has been clearly shown that food situation is serious and also that prices have gone high. And the mind of the Government is open in so far as the suggestion put forth by the opposition Members are concerned.

The Government has been compelled to impart foodgrains from foreign countries, because there is scarcity inside the country. It is better to import foodgrains and save the people from starvation.

The question before us today is that how and why the foodgrains have been hoarded. The hon. Members who have information in this regard may kindly pass that on to the Central and State Governments and thereafter appropriate action will be taken by them.

The Government have taken a right step by deciding to have State Trading in foodgrains. But surprisingly brought the opposition Members who were previously in favour of that are now opposed to it. That shows that by making it a political issue they want to take advantage of the situation. But such an attitude is not appreciable. Public will not react favourably to such an attitude.

Government should take some steps without any delay. Our agriculture is subject to the vagaries of nature. Even Russia and China are subject to the vagaries of nature. We should not sit idle but do something in a planned manner. The prices of factory-made goods are allowed to increase but the

[Shri D. D. Mantri]

cultivators are not given increased prices for their produce. We should give them better prices so that they may feel encouraged to raise more production. Government should not wait for the recommendations of the Committee but give them ad hoc increase in prices. The farmers raise cash crops rather than foodgrains crops because they get better returns from them. Therefore some kind of subsidy should be given on the yield per acre or on better yields to induce the farmers to take to foodgrain crops.

The distribution arrangements seem to be faulty because there is vide range of difference between the prices in different regions of the country. The distribution system needs some change to bring uniformity in prices throughout the country. The zonal system is also defective and it should be completely done away with. State Trading in foodgrains is to be introuced from Ist January. But these two-three months are a very hard period for Maharashtra State. There is no grain in that State in spite of action being taken against hoarders. The distribution of foodgrains there is in the hands of cooperative societies and not in private hands. The Maharashtra Government is not in a position to supply foodgrains to the people in sufficient quantity. The centre should try to remove difficulty of that State and supply them more foodgrains.

To some extent fertilisers and insecticides should be given free to the farmers and irrigation and power rates should also be reduced. The farmers should be educated about the modern methods of agriculture and encouraged to apply them to agriculture.

Shri Yajnik (Ahmedabad) : The people throughout the country have been agitating against the rising prices for the last several months. Country-wide strikes took place in the month of August.

(डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं ।)
(DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*)

The Government gave repeated warnings to the hoarders and profiteers but the prices continued to rise unabated. The August strike has forced the Government to bring this motion before the House. Shri T.T.Krishnamachari in his budget speech had made it clear that the main cause of this price rise is black money. But what has the Government done to take that money out ? They have raided the Houses of a few film stars but the big capitalists have been left untouched. The imported wheat constitutes only 3-5 per cent of the requirements of the country. The purchase and sale of the rest of the foodgrain requirements of the country is done by wholesale traders backed by big capitalists. In spite of the budget statement of the Finance Minister, no earnest effort has been made to bring under check the hoarding of foodgrains. The creation of food zones was wise, but the Government should have stepped in and purchased surplus foodgrains from the surplus areas and supplied it to deficit States. Bu it did not step in and the business community took undue advantage of it and the public had to pay more prices. The National Development Council recommended lifting of zones and the setting up of a cooperation for the procurement of foodgrains. With the lifting of the Zonal system, the Government should procure foodgrains from the surplus states and supply them to deficit areas. After Shri Nehru's death the capitalists have taken it into their head that they should take the reigns of the country in their hands. They have hatched a conspiracy to keep the farmers, labourers and middle class people under their feet. There is an open conflict between the rich and the poor in this country. The Congress, no doubt, has faith in socialism but it is

under the influence of Capitalists. That is why the Government tries to sabotage the agitation of the public against the capitalist class, and is playing in their hands. The idea of setting up of a State Trading Corporation has been postponed. The same is the fate of the issuing of licences to the wholesale dealers of foodgrains. The Government had to abandon them under pressure from the big businessmen. Some raids were made on the godowns of big traders, but nobody knows what action has been taken against them and whether the stocks of foodgrains have been confiscated. The raids have suddenly been stopped. This is nothing but stooping before the big business.

It is welcome that the Government propose to amend the Penal Code to root out corruption from the country. The Government should not leave any loopholes and prescribe limits of hoarding and other similar things and also prescribe severe penalties and even confiscatiion of property for hoarders and profiteers. It is time that the Congress Government should deal with such anti-social elements with a firm hand.

Why the Government wants to start a new State Trading Corporation from the Ist of January ? It could have done it earlier, but the Government wanted to give more time to the black-marketeers. If the Government is bent upon bringing socialism in the country, it should wage its attack against the capitalist class and keep them under check. If unfortunately the capitalists succeed in gaining control over the Government, the poor man would be subject to even greater hardships than at present.

The capitalists have a hold on the villages also and they have made arrangements for purchasing the produce of the farmers there. While creating a State Trading Corporation, Government should simultaneously announce that the Government will have the sole right to procure foodgrains. Otherwise by voluntary procurement the Corporation is not going to get much foodgrains. The Government should start it in a few states to begin with if it finds it difficult to start it on an all-India basis. If the Government persists in its dally dallying tactics, a grave danger is in store for them.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : देश के सामने इस समय दो बड़ी समस्यायें हैं—एक मंहगाई तथा दूसरी खाद्यान्न की कमी। मंहगाई के दो कारण हैं। एक अनुत्पादी योजनाओं पर अधिक व्यय तथा दूसरा घाटे की अर्थव्यवस्था। खाद्यान्न की कमी का कारण उत्पादन की कमी तथा जनसंख्या में हुई वृद्धि है। हमारा देश अल्प-विकसित देश है अतः हमें खाने तथा कपड़े के अतिरिक्त, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की भी व्यवस्था करनी है और इसलिये इन मदों पर भी व्यय करना जरूरी है। परन्तु अब हमें यह अनुभव हो गया है कि हमें ऐसी परियोजनाओं पर अधिक धन व्यय नहीं करना चाहिये। भारत जैसे विकासशील देश में घाटे की अर्थ-व्यवस्था से बचा नहीं जा सकता परन्तु इसकी भी सीमा होनी चाहिये। खाद्यान्न उत्पादन के बारे में हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं। दूसरी ओर हमारी जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है और पाकिस्तान तथा अन्य पड़ौसी देशों से भी काफी संख्या में भारत में शरणार्थी आये हैं। उन सब को हमें भोजन उपलब्ध करना है।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की है और हमारे नये खाद्य मंत्री विदेशों से अन्न प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में अमरीका तथा ब्रिटेन ने हमारी काफी मदद की है और हम उनके कृतज्ञ हैं। हम खाद्यान्न के आयात पर सदैव के लिये निर्भर नहीं कर सकते। हमें अपने देश में अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर जोर देना चाहिये। कृषि को सरकारी स्तर पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। मुख्य मंत्री

[श्री प्रं० चं० बरुआ]

अथवा मंत्रिपरिषद् में दूसरे नम्बर के सदस्य को कृषि विभाग अपने हाथ में लेना चाहिये ताकि राज्य के खाद्य अधिकारियों द्वारा कृषि के महत्व को समझा जा सके। जिला स्तर पर उपायुक्त या अन्य प्रभावी पदाधिकारी को जिले के कृषि कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये उत्तरदायी ठहराया जाये और उनको उनकी ओर अधिक ध्यान देने के लिये कहा जाये। ब्लाक स्तर पर ब्लाक विकास अधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे कृषि का ज्ञान हो। नये व्यक्ति भरती करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये। इन अधिकारियों को अपने ब्लाकों में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये विशेषकर जिम्मेदार ठहराया जाये। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि केवल कृषि कार्यक्रमों के लिये ही पृथक् रूप से ग्राम सेवक रखे जाने चाहियें। सब यही चाहते हैं कि खाद्य तथा कृषि मामले राजनीति से दूर रखे जाने चाहियें।

अन्न समस्या अधिक उत्पादन तथा उचित वितरण व्यवस्था द्वारा ही हल की जा सकती है। तृतीय योजना में जो कृषि कार्यक्रम शामिल हैं वे सही हैं परन्तु उनकी कार्यान्विति सम्बन्धी व्यवस्था कुछ ढीली तथा दोषपूर्ण है। यही कारण है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। सरकार तथा काश्तकार दोनों के सहयोग से ही हम कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।

किसानों को उपलब्ध विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान से लाभ उठाना चाहिये। उसे यह बात समझ लेनी चाहिये कि कृषि उत्पादन बढ़ाना उसके तथा देश के दोनों के हित में है। जो किसान खेती के आधुनिक तरीके जानते हैं उन्हें अपनी जानकारी द्वारा अन्य किसानों की सहायता करनी चाहिये और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिये जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

प्रत्येक फसल की बोआई के समय से पहिले किसान को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उसके उत्पादों के उचित तथा लाभप्रद मूल्य दिये जायेंगे। इससे वह प्रोत्साहित होगा और उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करेगा।

जिन क्षेत्रों में किसान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर सकते हैं वहां किसानों को पारितोषिक के रूप में भूराजस्व से छूट दी जाये ताकि किसानों को इससे उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिलता रहेगा। खाद्यान्न तथा अन्य चीजों के उत्पादन के लिये अलग-अलग सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

किसानों को कीटाणु-नाशक औषधियां नि:शुल्क दी जानी चाहियें। भारत में उर्वरकों के मूल्य बहुत अधिक हैं अत: सरकार को इनके मूल्य कम करने के लिये राजसहायता देनी चाहिये। खाद्यान्नों का राज्य व्यापार किया जाना चाहिये। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो वहां उचित मूल्य वाली दुकानें खोली जायें। खाद्यान्नों के मूल्य उत्पादन स्तर, थोक बिक्री के स्तर तथा उपभोक्ता स्तर पर निर्धारित किये जाने चाहियें। बैंकों द्वारा खाद्यान्नों के स्टाक बनाने के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय व्यवस्था से खाद्य समस्या अधिक गंभीर हो गई है। अत: यह समाप्त होनी चाहिये तथा खाद्यान्नों को निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति होनी चाहिये। इससे जनता में एकीकरण की भावना उत्पन्न होगी तथा वितरण व्यवस्था में सुधार होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : The food problem is not only a problem of any party. It is a national problem and should be tackled at national level.

The food problem has become so serious because the increase in the production of foodgrains is not proportionate to the increase of our population. The total food production in India is 80 or 82 million tons which is deficit by ·5 million ton of the toal requirement of the country. It is, therefore, necessary to increase our food production and we will have to import foodgrains under PL 480 till our production is not increased. A psychological atmosphere must be created keeping this basic factor in view in order to meet the situation. So fare as the immediate solution of the problem is concerned, in order to create confidence among people in the country rationing should be introduced in deficit areas and sufficient foodgrains should be sent to meet the requirement of people in those areas. I would like to warn the polticial parties that strikers and such other activities cannot solve the food problem.

Several steps have been taken to control the prices of foodgrains but the Government have not sufficient quantity of foodgrains to meet the situation effectively. Therefore buffer stocks should be created with the help of imported foodgrains.

Our distribution system is a defective. The deficit areas are not being supplied with adequate quantity of foodgrains from the surplus areas. This has resulted in marked difference in prices of foodgrains prevailing in different parts of the country. There should be no discrimination in the matter of distribution of foodgrains. Being a national problem, a national policy should be evolved towards the fixation of food prices throughout the country. Government should open more fair price shops in rural areas as the present number is not adequate to meet the requirements of the villages. There should be no discrimination between the rural and the urban areas in this matter of opening fair price shops.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । / *Mr. Deputy Speaker in the Chair.*)

Till the food problem is solved no economic development can be made. The Committe set up for this purpose under the chairmanship of Ashoka Mehta recommended that a long term policy should be evolved. The Committee set up by Ford Foundation in 1959. the National Development Council and the mid term appraisal of the Third Five Year Plan have also expressed similar views. These Committees laid stress that highest priority should be given to agriculture. Similar recommendations have been made in the resolution passed in the Congress session.

The President has also emphasized the need of increasing agricultural production in his address before the joint session of both Houses on the first day of Budget Session.

The Government have failed to adopt a proper price policy. In order to provide the necessary incentive to the farmer, he must get remunerative prices for his agricultural products. We have a clear exammple of jute in this regard. The increase allowed in jute prices has resulted in increased production of jute. Same thing happened in the case of sugar.

By giving fair and remunerative price to the producers, the price to be paid by the consumer will also increase. But the Government should reduce the price by giving subsidy.

I would like to say some thing about agricultural credit, 90 per cent of the given by the Government is to the heavy industries. Keeping in view the importance of agriculture sector adequate credit should be given to the producers.

Representatives of farmers should also be taken in the proposed Agriculture Price Commission. The proposed State Trading Corporation alone should be allowed to purhase foodgrains from the farmers, stock it and sell it to the public. If necessary it may be done with the help of cooperative Societies.

It is not correct to say that farmers have accumulated stocks of foodgrains. They are traders who have hoard the foodgrains.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, the policies of Congress Government are fundamentally wrong and, therefore, even with the most sincere efforts and best intention, perhaps the hon. Food Minister will not be able to deliver the goods. It is not possible for him to extract himself out of the vicious net of wrong policies.

The Government claimed that production of foodgrains has increased during the last years but he is completely failed to explain why the prices of foodgrains have gone so high with the increase of foodgrains. In fact the Government have completely failed to formulate a definite policy and chalk out a proper progamme for arresting the rising prices. It is the time, when people are facing acute shoratge, that Government should release their food stock.

It is a basic mistake on the part of the Government that it has not given the top priority to agriculture in our plans. Too much emphasis has been laid on the heavy industries and it continues to be so at present. Even Communist countries like Russia and China have given top priority to the agriculture sector. We cannot solve the food situation unless the agriculture is not given top priority in our plans. The agriculturist class is neglected class. It has no status in the society. They are not well treated by the Government officials.

We have a shortage of docks. Government should increase the number of docks so that the imported foodgrains may reach in market in time.

Agriculture on cooperative basis cannot bear any fruit. It should be done away with. If the Government really want to increase agricultural production. the farmer should be given proprietory rights on the land.

It is a disgrace for us that we can not feed our population whereas Pakistan much smaller nation than India can give us 28 lakhs maunds of rice. If we ask the Government the reasons of less production it say that they are making preparation for the defence of the country. Inspite of defence preparations and allowing people to live in starvation condition 38,000 sq. miles of our territory has been taken by China.

If Government want to introduce state Trading in foodgrains, a guarantee should be given to the people that they will get all their requirement of food-grains, sugar and other necessaries of life and they will have not to stand in queues for a long time.

Today conditions of prisoners in jails are better than that of an honest citizen outside the jail. While a prisoner in jail get 6 killos of foodstuffs a week, a law-abiding citizen of Uttar Pradesh get only 2 killos after a long waiting in the

queue. In fact there is no shortage of foodgrains in country. This shortage is only man made. Profiteers and hoarders have hoarded large quantity of foodgrains and the Governments have not taken any effective steps in this direction.

The Government are bluffing and exploiting people in the name of socialism. Nearly 3 lakhs of people are getting 5 rupees per month in Uttar Pradesh. It encourages corruption. These law-paid Government servants are compelled to adopt corrupt means to supplement their income. If Government really wants to eradicate corruption, these poor employees should be paid adequate salary.

It is very deplorable that sugar is being exported at a rate of Rs. 19·50 per maund to earn some foreign exchange while our own people cannot get it even for Rs. 60 or Rs. 70 per maund. If the Government wants to improve the present situation it should radically change its policies in matters.

It is wrong to say that the question of bread and butter is not a polticial question. It has been provided in our Constitution that we will provide full meals to our entire population. It early shows that this question is very much a political question because it involves the lives of the people.

Under the Government 250 goldsmiths committed suicide but not a single gold smuggler has been shot down by the Government. The Government are responsible for the death of these 250 goldsmiths. The government themselves indulge in profiteering and protect the profiteers. That is why they dare not to take any strong action against these anti-social elements who continue to play with he lives of the people.

The Government should change its attitude and make sincere efforts to improve the situation otherwise people will change the Government.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Deputy Speaker, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on this motion. We are facing present crisis due to our bad administrative machinery. No amount of control can successfully improve the situation unless the administrative machinery works honestly and efficiently. Nearly fifty per cent of our officers are corrupt at present. They do not entertain complaints from the public and indulge in malpractices.

In fact there is no shortage of food in the country. The present situation has been created by some anti-social elements and vested interests for taking undue advantage of the situation. If control is abolished and free movement of food grains is allowed, all the people of the country will get their supplies and no foodgrains will have to be imported from other countries. Foodgrain smugglers be shot down at public places.

While majority of the members of the ruling party come from villages, they are neglected by the Government. In the matter of food supply also, the arrangements have been made in such a manner that nearly 90 per cent of the supply goes to the urban population while the poor villagers with meagre incomes continue to starve for want of food. The government should take effective steps to improve the conditions of villagers who are the main supporters of it.

Government should take firm action against profiteers, hoarders and other anti-social elements in a democratic way. We do not want to have dictatorship in the country but the action against culprits is necessary. The Food Minister is responsible to provide food to the people of the country. Therefore he should

take every effective step to deal with the present situation. It is wrong to show sympathy to anti-social element when an action is taken against them. Action against "Indian Observer," which publishes objectionable materials, should be taken by the Government.

Government should be strict in formulating price policy. Prices should be fixed for the period between January, 1965 and January 1967. Anybody charging a higher price should be severely dealt with.

People are not well treated by the police and other officials of the Government. Government should take some effective steps to bring honesty, efficiency and courtesy in the administrative machinery.

Small irrigation projects are not given importance in our Plans. The Tube well department has not proved to be of any use. This department should be abolished and crores of rupees wasted on it should be saved. The Planning Commission should give more emphasis on the improvement of small scale industries and minor irrigation projects.

Instead of charging land-revenue in cash the Government should take one-sixth of the produce in kind and make a buffer stock of foodgrains to meet the emergent situation. Sugarcane should be taken out from the category of cash crop.

We were united at the time of Chinese aggression and after the death of our late Prime Minister the present Prime Minister was elecetd unanimously. Even at present we can tackle the situation with the help of opposition parties.

If instead of wheat atta is supplied to the people profiteering and black-marketing will be ended and every body will get meals. I request the Government to help the poor class who are the main supporters of the Government.

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना): मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 म० पू० तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 9 सितम्बर, 1964 /18 भाद्र, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, September 9, 1964/*Bhadra* 18, 1886 (*Saka*).

GMGIPND–LSIII—1106 (Ai) LS–6-10-63—600